खण्ड-323, अंक-3
बुधवार, 12 कार्तिक, शक संवत् 1898
(3 नवम्बर, 1976 ई0)

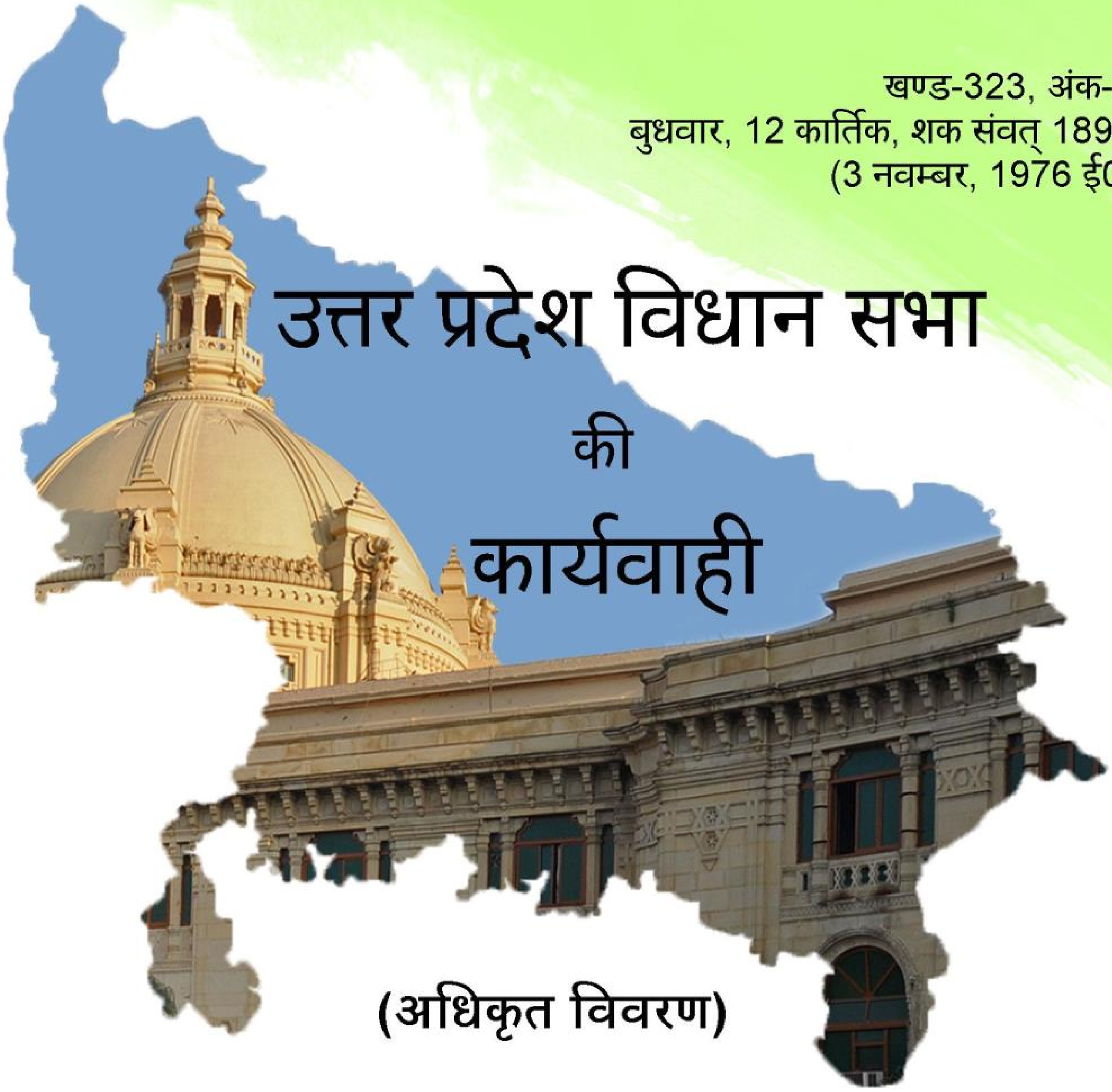

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	377–380
प्रश्नोत्तर	380–420
प्रश्न का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	420
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	420-421
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	421
उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	421
उत्तर प्रदेश पशु क्रय–कर विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	422
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	422
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव–स्वीकृत) ..	422–424
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव–स्वीकृत) ..	424–425
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव–स्वीकृत) ..	425–426
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव–स्वीकृत) ..	426
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव–स्वीकृत) ..	427
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (विचार करने एवं मामले की समाप्ति के प्रस्ताव—स्वीकृत) ..	428
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	428-480
उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	480
उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	480
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	480
प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	480
हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंध में संकल्प (पारित)	480–481
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	482
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	482
नत्थियां	483–518

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 3 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर, अध्यक्ष, श्री बासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थिति सदस्य–263

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगं बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री

जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन , श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर , श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार,श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यार लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपालसिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौत प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ , श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री

रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमा कान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज मंगल पाण्डय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह ,श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
रमा रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राममेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री

सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 3 नवम्बर, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जमानियां पम्प कैनाल गाजीपुर के डूबे हुए बार्ज को निकालने पर व्यय की गयी धनराशि

*1—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमानिया पम्प कैनाल, गाजीपुर में 1971-72 में बार्ज पानी में डूब गया था उसके डूबने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सच है कि उक्त डूबे हुए बार्ज को निकालने में बार्ज की कीमत से कई गुना ज्यादा खर्च तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री आर० पी० शर्मा) द्वारा किया गया है? यदि हां, तो बार्ज की कीमत क्या थी? उसके निकालने पर कितना रुपया खर्च किया गया और उसके लिये कौन जिम्मेदार था? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

इस सम्बन्ध में ता० 7-5-76 को मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्ता ने पत्र भी लिखा है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

जी हां। बार्ज डूबने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि वह भयंकर तूफान आन क कारण डूबा था। यह सत्य नहीं है कि उक्त डूबे हुए बार्ज को निकालने में बार्ज की कीमत से कई गुना अधिक खर्च किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 7-5-75 को प्रश्न कर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी को लिखे गये पत्र में की गयी शिकायत पर जांच कराई गई और चूंकि बार्ज भयंकर तूफान आने से डूबा था, किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

कोरम न होने के कारण 5 मिनट तो यूं ही निकल गये।

श्री ऊदल—

अगर खर्च ज्यादा नहीं हुआ तो कितना हुआ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

30,390 रुपये 84 पैसे मदवार खर्च हुये हैं।

श्री ऊदल—

जो भंयकर तूफान आया था उसकी गति क्या थी?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

100 किलोमीटर प्रति घंटा।

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

परिगणित जाति की उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की संख्या तथा सहायक निरीक्षिकाओं की पदोन्नति की मांग

*3—श्री मनीराम (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त प्रदेश में आपके बेसिक शिक्षा विभाग में परिगणित जाति की कितनी उप निरीक्षिका, बालिका विद्यालय नियुक्त हैं? यदि रिजर्वेशन कोटे से कम हैं, तो क्यों? सरकार इस कोटे को कब तक पूरा करने की कृपा करेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ऐसी परिगणित जाति की उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की संख्या—4 है जो कि रिजर्वेशन कोटे से 6 कम हैं। उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की स्थिति में ही आरक्षित कोटे की पूर्ति सम्भव होगी।

*4—श्री मनी राम (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की परिगणित जाति की सहायक निरीक्षिका बालिका विद्यालयों को विभागीय प्रोन्नति देकर उप निरीक्षिका, बालिक विद्यालयों के स्थान पर प्रोन्नत करके रिजर्वेशन कोटे को पूरा किया जाये? यदि हां, तो क्या अब तक कोटा पूरा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार कोटा कब तक पूरा कराने की कृपा करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों-अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति एवं वेतन का भुगतान

*5—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् में कुछ नियुक्तियां अध्यापक-अध्यापिकाओं की 1975 में हुई और कुछ माह पश्चात् उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई? क्या उनका वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अनवार जमील—

इसके पहले भी यह स्थगित हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले भी एक बार स्थगन दिया जा चुका है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसका जवाब न दिया जा सके। इसका जवाब क्यों नहीं आया अभी तक?

श्री अम्मार रिजवी—

इस संबंध में सूचना मंगायी गयी है.....

श्री अध्यक्ष—

आप अधिकारियों का जवाब तलब कीजिये, इतना विलम्ब नहीं लगना चाहिये, इसमें। अगले दिन जवाब दीजिये इसका. . . . . .

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, अगले हफ्ते इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है कि विभाग के लोगों ने जैसा चाहा वैसा यहां उत्तर दे दिया। (व्यवधान) आप भी तो चुप रहते हैं। और कोई मिनिस्टर यहां कह देता है कि 18 वर्षों का एवरेज निकाल रहे हैं, वाटर मीटर के संबंध में। आप नहीं जानते कि कैसा गणित है, वह? (हंसी)

सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, बबेरू, बांदा के विरुद्ध रिश्वतखोरी की शिकायत

*6—श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, बबेरू, जिला बांदा के विरुद्ध रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 1-4-76 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है तथा सरकार न इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही की?

खाद्य राज्य मंत्री (सरदार कुलतार सिंह)—

जी हां। शिकायतकर्ता द्वारा जांच अधिकारी को बताया गया था कि उन्होंने निम्न लिखित आरोप लगाये थे :—

(1) वरिष्ठ हाट निरीक्षक, बबेरू ने व्यापारियों तथा फड़ियों को परेशान करके सरकारी ज्वार विकवाने के सम्बन्ध में पैसे लिये और स्वयं खा गये।

(2) वरिष्ठ हाट निरीक्षक ने बबेरू से जाने वाले प्रत्येक धान के ट्रक लोड पर 20-25 रु0 प्रति ट्रक लिया।

उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच से आरोप तो सिद्ध नहीं हुये परन्तु वरिष्ठ हाट निरीक्षक का आचरण संदिग्ध पाया गया तथा उनकी ख्याति भी अच्छी नहीं पाई गई। अतः उनको हाट निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित करके मुख्यालय, झांसी में नियुक्त कर दिया गया। उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, बांदा से भी कर्त्तव्यों का उचित निर्वाह न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है, जो विचाराधीन है।

श्री देवकुमार यादव—

जब माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि उस निरीक्षक का आचरण संदिग्ध पाया गया और उनकी ख्याति भी अच्छी नहीं पायी गयी, तो क्या उसे निलम्बित या बरखास्त करने की कार्यवाही करेंगे?

सरदार कुलतार सिंह—

उसमें ऐसा है कि किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी। उसके लिये जांच कराई गयी, उसको इसीलिए रिवर्ट कर दिया गया और अभी जांच उसके खिलाफ चल रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने, अध्यक्ष जी, अभी कहा है कि आरोप थे रिश्वत लेने के, तो जिन लोगों से रिश्वत ली गयी, जिन लोगों ने आरोप लगाया था, उन लोगों से जांच के दौरान बयान लिया गया या जांच के दौरान बयान किसी आदमी का हुआ?

सरदार कुलतार सिंह—

पुलिस सेल द्वारा उक्त आरोपों की जांच की गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार जांच में पाया गया कि श्री मुरलीधर मिश्रा ने व्यापारियों पर दबाव डाला और ज्वार न खरीदने पर 15-00 रु0 प्रति बोरा की दर से, सरकारी दर तथा बाजार दर का अन्तर बबेरू के लाइसेंसीज तथा फड़ियों से वसूल किया और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा। उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, बांदा द्वारा 440 बोरे सरकारी ज्वार बबेरू को निस्तारण हेतु आवंटित की गयी थी। प्रश्नगत ज्वार वहां के व्यापारियों ने खरीदने से असमर्थता प्रकट की थी। अतः मूल्य के अन्तर की धनराशि वसूल की गयी जिससे सरकार को कोई हानि न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी तो आपने कहा कि जांच साबित नहीं हुई, लेकिन इससे तो जांच साबित हो जाती है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सीनियर इन्स्पेक्टर, बबेरू, जिला बांदा के विरुद्ध रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 1-4-76 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? यह प्रश्न है। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, जैसा भी आपका उत्तर हो। दूसरा यह कि अगर प्राप्त हुआ है, तो क्या शिकायत है और उसके संबंध में कार्यवाही आपने क्या की? ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में एक मिनट की देरी नहीं लगानी चाहिये। अब यहां पर विरोधी पक्ष नहीं बैठा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी मंत्री जी ने पढ़ा कि सारे आरोप साबित हो गये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया, इस पर सख्त कार्यवाही कीजिए, आप।

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

इस मामले में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जांच रिपोर्ट जो दी गयी है, उससे यह संदेह जरूर होता है कि जिस हाट निरीक्षक की इसमें गलती है और भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले को मैं और आगे देख लूंगा और अगर गलती सचमुच में है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

हां, धन्यवाद, धन्यवाद।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

उप-नेता जी हैं, उन्होंने जब कह दिया, तो उसको हम मान लेते हैं।

हायर सेकन्डरी स्कूल, मुबारकपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के भतीजे एवं प्रबंधक के लड़के की प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति

*7—श्री भाभी (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य एवं पूर्व प्रबन्धक ने क्रमशः अपने भतीजे व लड़के को प्रवक्ता समाज शास्त्र एवं प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र नियुक्त कर लिया है और इस अनियमित कार्य से बचने के लिये प्रबंधक ने उक्त नियुक्त के 2 माह बाद इस्तीफा देकर दूसरा प्रबंधक बिना कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाये चुन लिया? यदि हां, तो क्या सरकार इन सबकी जांच करा कर कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इस संबंध में जांच कराई गई। प्रधानाचार्य के भतीजे, जो विद्यालय में पहले से ही एल0 टी0 ग्रेड म नियुक्त थे, की तदर्थ पदोन्नति प्रवक्ता पद पर हुई। इसमें आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धक के पुत्र श्री रिजवान अहमद की तदर्थ नियुक्ति अनियमित पाये जाने पर अस्वीकृत कर दी गई है और अब वे विद्यालय में कार्यरत नहीं हैं।

तत्कालीन प्रबन्धक ने 7-1-76 को त्याग-पत्र दे दिया जिसकी स्वीकृति प्रबन्ध समिति ने 31-1-76 को करते हुये सर्वसम्मति से नये प्रबन्धक का चुनाव कर लिया है।

बहराइच, सरजू पम्प नहर योजनान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

*8—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच में सरजू पम्प नहर योजना के निर्माण के लिये जो भूमि किसानों की अधिग्रहण की गयी है उसका मुआवजा किसानों को दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक दिया जायेगा?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

अस्थायी रूप से ली गयी भूमि का मुआवजा पूर्णरूप से दे दिया गया है। स्थायी रूप से ली गयी भूमि का मुआवजा आंशिक रूप से दे दिया गया है। शेष मुआवजा का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालय, लवायन तथा चाका, इलाहाबाद के भवनों की मरम्मत

*9—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि अप्रैल, 74 से जून, 75 के मध्य ब्लाक चाका, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद में स्थित ग्राम लवायन तथा ग्राम चाका में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवनों की मरम्मत हेतु प्रश्नकर्ता ने अनेक मांग पत्र जिलाधिकारी, इलाहाबाद तथा जिला परिषद्, इलाहाबाद को दिया? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि मरम्मत नहीं करायी गयी, तो क्यों और यदि मरम्मत करा दी जायेगी तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

वर्ष 1975-76 में जिला परिषद्, इलाहाबाद की ओर से प्राथमिक विद्यालय; लवायन की आवश्यक मरम्मत के लिये रु0 3000 की व्यवस्था की गई थी और कार्य भी आरम्भ हो गया है। वर्ष 1975-76 म ही प्राइमरी पाठशाला, चाका के लिये रु0 2500 तथा प्राइमरी पाठशाला, लवायन क लिये रु0 5,000 कुल रु0 7,500 का अनुदान शिक्षा निदेशालय ने जिला परिषद्, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया। इस धन के उपयोग करने हेतु जिला परिषद्, इलाहाबाद द्वारा आगणन तैयार करके मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*10—श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

[बुधवार 3 नवम्बर, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रधानाध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल, अडिग, मथुरा की पेंशन तथा ग्रेच्युटी

*1—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मन्त्री 20 दिसम्बर, 1972 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 1 तथा द्वितीय सत्र 1974 के 5वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 4 के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित वृद्ध अध्यापिका के पुराने एरियर तथा पेन्शन एवं अन्य भत्ता के विषय में आज 6 वर्ष से अधिक की लम्बी अवधि में बराबर प्रार्थना करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसका क्या कारण है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या शिक्षा मन्त्री अब अविलम्ब उस नेत्रहीन अध्यापिका की उपलब्धियों का भुगतान कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका के नियमानुसार देय अवशेषों रु0 314.35 तथा 316.35 का भुगतान क्रमशः दिनांक 30 जून, 1973 तथा 31 अगस्त, 1974 को ही किया जा चुका था।

पत्रजात अपूर्ण होने के कारण पेन्शन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाया था जो इस बीच महालेखाकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया है।

श्री अनवार जमील—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह 6 साल तक ग्रेच्युटी और पेन्शन उसको नहीं मिल पाई, उसमें कौन-कौन से दोषी अधिकारी थे ? यह बकाया मान्यवर, कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इसके दो भाग थे। जहां तक ग्रेच्युटी और पेन्शन का सम्बन्ध है, उसमें बहुत कागज ऐसे होते हैं, जिनको हमें महालेखाकार के कार्यालय में भेजना पड़ता है। वह जांच वगैरह पूरी हो कर आ गयी है और अब तो उसको अधिकार मिल चुका है, थोड़े दिन में पेमेन्ट हो जाएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कोई आपने समय निश्चित किया है कि अध्यापक या अध्यापिका जो रिटायर हो जायं और वर्षों बीत जायं, महालेखाकार से कागज आने जाने में, वह महालेखाकार का कौन सा नियम है ? क्या माननीय मन्त्री जी इसका कोई समय निश्चित करेंगे कि साल, 6 महीने में ग्रेच्युटी और पेन्शन का मामला हल हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रश्न है और सरकार इस समस्या पर पूरी तरह से विचार कर रही है और हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अब कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाय जिससे रियटार होने के बाद टीचर्स का एक साल के अन्दर ही पेन्शन मिल जाय। उसके लिए यह भी सोचा गया है कि रिटायर होने के एक साल पहले से ही उससे सम्बन्धित सारे कागजात तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाय, जिससे रिटायर होने के समय तक वह कार्यवाही समाप्त हो जाय। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और हम बराबर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अध्यापकों का शोषण न हो और न उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई उठानी पड़े।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री जी को ज्ञात है कि रिटायर होने के 6 महीने के अन्दर ही पेन्शन दे देने का कोई प्रावधान है ? यदि यह बात सही है, तो जिन लोगों ने पेन्शन के कागजात बनाने का कार्य किया है और जिन लोगों की वजह से देरी हुई, तो उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा कि मैंने निवेदन किया, जब शिक्षा का प्रश्न आता है, तो उसमें सिर्फ सरकार बीच में नहीं होती बल्कि बहुत सी एजेन्सियां भी होती हैं जो बीच में होती हैं। जैसे मैनेजमेन्ट है या और दूसरी एजेसियां हैं। इस प्रकार जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, सरकार को पूरा ज्ञान है कि पेन्शन जल्दी और तुरन्त मिलनी चाहिए लेकिन बीच में कुछ ऐसी कड़ियां हैं, जिनकी वजह से देरी हो जाती है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कोई न कोई तरीका निकाल दिया जाय जिससे पेन्शन जल्दी मिल सके।

जवाहर लाल मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद की प्रधानाध्यापिका के पद पर अनियमित नियुक्ति

*2—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में दिनांक 19 फरवरी, 1971 को अध्यक्ष, नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की गयी थी, जो प्रशिक्षण एवं आयु सीमा की निर्धारित योग्यतायें पूर्ण नहीं करती थीं एवं इन्हीं अयोग्यताओं के कारण जून, 1971 में इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी थी तथा एक अन्य प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति 15 अप्रैल, 1972 को की गयी, जिसकी स्वीकृति शासन ने सितम्बर, 1972 में कर दी थी ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पुन : किन परिस्थितियों में शासन ने दिनांक 19 फरवरी, 1971 की उस अवैध नियुक्ति को दिनांक 19 अप्रैल, 1974 को वैध कर दिया तथा इन प्रधानाध्यापिका को चार्ज दिलवा दिया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

यह प्रश्न पिछले 2 साल से कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न ऐसा है जो बहुत पहले 20 मई, 1976 को किया गया और प्रश्न की प्रकृति ऐसी है जिससे मालूम पड़ता है कि जानबूझ कर विभाग द्वारा टालमटोल किया जा रहा है।

"जवाहर लाल मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में दिनांक 19 फरवरी, 1971 का अध्यक्ष, नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा प्रधानाध्यपिका की नियुक्ति की गयी थी, जो प्रशिक्षण एवं आयु सीमा की निर्धारित योग्यताएं पूर्ण नहीं करती थीं एवं इन्हीं अयोग्यताओं के कारण, जून, 1971 में इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी थी तथा एक अन्य प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति 15 अप्रैल, 1972 को की गई जिसकी स्वीकृति शासन ने सितम्बर, 1972 में कर दी थी।" तो इसमें कौन सी ऐसी सूचना है जो आपका विभाग नहीं भेज रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ न कुछ चीज है, विशेष, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी करके ही उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष—

इसको देख लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह प्रश्न 1971 से चला आ रहा है, तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतलावें कि आखिर कौन सी ऐसी अड़चन है, जिससे वे सूचना अभी तक एकत्रित नहीं कर सके हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

बहुत सी सूचनायें ऐसी आती हैं, जिनसे बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं और जब माननीय सदस्यों को कोई जवाब देना होता है, तो जब तक पूरी सूचना न हो तब तक जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं इस पार्टिक्यूलर प्रश्न के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसी कठिनाई है, जिससे अब तक आप उसका उत्तर नहीं प्राप्त कर सके हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

बात यह है कि पहले बेसिक शिक्षा परिषद् बनी। उसमें बहुत से स्कूल स्थानीय निकायों के स्कूल्स आ गये। उनके अधिकारी हैं और बहुत से जिला परिषदों के स्कूल्स हैं.....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं इस विशेष प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं, औरों के बारे में नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उनको बतलाने दीजिए क्योंकि बहुत से अध्यापक हैं, इस कारण से वे बतला रहे हैं। उनको सुन लीजिए।

श्री ऊदल—

मान्यवर, श्री विमल प्रसाद तिवारी, सन् 1974 से प्रश्न कर रहे हैं और अब सन् 1976 का अन्त हो रहा है। तो अब तक जैसा कि आपने कहा—इसमें कौन सी ऐसी विशेष सूचना थी जो नहीं दी गयी ? वह शर्त क्या थी, जो पूरी नहीं हुई जिससे नियुक्ति हुई और फिर उनको निकाल दिया गया और फिर दूसरी नियुक्ति हुई ? अगर ऐसा प्रश्न किया जाय और उसका उत्तर समय से हासिल न हो तथा ढाई साल तक ऐसे मामूली प्रश्न पर क्वेरी होती रहे तो कैसे काम चलेगा और कैसे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इसमें कुछ आपके समय का है नहीं। बहुत पहले का मामला चला आ रहा है। ऐसी बात न हो कि आप पर, इसमें कोई असावधानता का मामला हो। इसके पहले न मालूम कितने शिक्षा मन्त्री आए। तो इसमें आपकी कोई बात नहीं। इसको देख लीजिए, इसका जवाब जल्दी आना चाहिए। आज के दिन, अगले सप्ताह में यह प्रश्न आएगा।

बस्ती जिले के झिनकू लाल इन्टर कालेज के फार्म की आय तथा फार्म की जमीन की बिक्री

*3—श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झिनकू लाल इन्टर कालेज, कलवारी, जिला बस्ती के पास निजी कितने एकड़ का फार्म है तथा उससे होने वाली प्रतिवर्ष की आय क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस विद्यालय के पास निजी 57.65 एकड़ का फार्म है। पिछले पांच वर्षों की आय का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 483 पर।)

*4—श्री काजी जलील अब्बासी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त कालेज की प्रबन्ध समिति ने अनियमित रूप से विद्यालय की ग्राम कुसौरा की जमीन को साधारण सभा की अनुमति प्राप्त किए बिना भूतपूर्व प्रबन्धक के लड़के को बेच दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम कुसौरा की .22 एकड़ (7 बिस्वा) भूमि दिनांक 7 फरवरी, 1966 को भूतपूर्व प्रबन्धक के लड़के को बेच दी गई थी।

विभाग द्वारा जांच करने पर विद्यालय के बाईलाज एवं प्रशासन योजना से स्पष्ट नहीं हुआ कि भूमि को बेचने का अधिकार साधारण सभा को है अथवा प्रबन्ध समिति को है।

फर्रुखाबाद जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्राविधायी निधि का भुगतान

*5—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जून, 1974 तक अवकाश प्राप्त करने वाले कितने अध्यापकों का प्राविध निधि (प्राविडेन्ट फन्ड) का राजकीय अंश नहीं दिया गया है? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस देरी का क्या कारण है और कब तक इसके भुगतान की आशा है?

श्री अम्मार रिजवी—

21 पुरुष अध्यापकों को उनके प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं किया गया है। इस देरी का मुख्य कारण प्रबन्धकों द्वारा कागजातों का समय से प्रेषित न किया जाना है। कुछ मामलों में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निराकारण में विलम्ब होने से भी समय लगता है। इस सम्बन्ध में निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन अध्यापकों के सामने अवकाश ग्रहण के बाद तमाम कठिनाइयां आती हैं। प्रबन्धकों की लापरवाही और उनको परेशान करने की वजह से प्रबन्धक ऐसा रुख करते रहे हैं तो क्या मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था निश्चित अवधि की कर देंगे जिससे प्राविधि निधि और जो अंशदान है, उसका भुगतान जल्दी हो जाय?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन, लेटेस्ट पोजीशन जो है, वह यह है कि इसमें 5 मामलों में राजकीय अंश का भुगतान हो गया है कल रात मुझे यह सूचना मिली है। एक मामले में महालेखाकार की अथारिटी प्राप्त हो गयी है। भुगतान कर दिया जायगा। 11 मामले में महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित किए जा चुके हैं। 2 मामलों में महालेखाकार की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसका स्पष्टीकरण जाना है। 1 विषय में महालेखाकार और ट्रेजरी के बीच में विवाद है तो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राजकीय अंशदान फौरन मिल जाय। शासन पूरा प्रयास कर रहा है कि इनको फौरन राजकीय अंशदान मिल जाय।

*6—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र में हायर सेकेन्ड्री स्कूल की स्थापना की मांग

*7—श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि स्वतन्त्रता के बाद से आज तक वर्तमान पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र, जनपद पीलीभीत में कोई भी नया हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर स्कूल खोलने के निदेश जारी करेगी। यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्तमान पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र में कोई नया हायर सेकेन्डी स्कूल नहीं खोला गया। प्रसंगाधीन अवधि में शिक्षा के विस्तार हेतु संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त क्षेत्र में सम्प्रति कोई नए स्कूल खोलने के विचार नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 484 पर।)

उदित नारायण इन्टर कालेज, देवरिया के लिपिकों का वेतन

*8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना नगर में उदित नारायण इन्टर कालेज के लिपिकों को सितम्बर, 1974 से आज तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और अब कब तक वेतन दे दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचना अपूर्ण होने के कारण पूर्ण सूचना मांगी गई है।

*9—श्री जंगबहादुर वर्मा—

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगर क्षेत्र गंगोह, सहारनपुर के शिक्षा विभाग के लिपिकों का वेतन

*10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि नगर क्षेत्र गंगोह, जिला सहारनपुर के कितने ऐसे शिक्षा लिपिक शिक्षा विभाग में हैं, जिन्हें फरवरी 1973 से अब तक वेतन नहीं दिया गया है और वेतन न देने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*11—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 मार्च, 1975 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मन्डल उन्हें मिला और 11 सूत्रीय मांगों को दिया था जिसमें एक मांग यह भी है कि पहली अप्रैल, 1971 के पूर्व का बकाया वेतन दिया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया और मांग के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

9 मार्च, 1975 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मन्डल ने 16 सूत्रीय मांग (11 सूत्रीय नहीं) प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 1971 के पूर्व

के बकाया वेतन देने की मांग भी थी। उक्त मांग पर विचार किया गया तथा उसे अस्वीकार कर दिया गया।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बकाया के सम्बन्ध में जो मांग थी, उसको क्यों अस्वीकार किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिस चीज का जिक्र है उसमें यह कहा गया था, जिस वक्त (1-4-71) सेलरी डिसबर्समेंट ऐक्ट सरकार ने पास किया उसके पहले की तनख्वाह जो बकाया है, वह उसको दे दी जाय। टीचर्स को दे दी जाय। इसकी रकम 90 लाख 34 हजार होती थी। यह वह पैसा है जो प्रबन्धकों को, कालेजेज को सरकार की तरफ से दिया गया लेकिन किसी कारण से वह टीचर्स को नहीं दिया गया। इसके बाद (1-4-71) की जिम्मेदारी सरकार की ह और इसके पहले का जो बकाया है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। इसको प्रबन्धकों ने और कालेजेज ने भुगतान नहीं किया। जिस बकाया का जिक्र है, 90 लाख 34 हजार बकाया है। सरकार नें फर्स्ट ग्रान्ट दी थी। फर्स्ट ग्रांट की वजह से अन्डर ऐसेज हुआ था। दिनांक 22 मार्च, 1974 को राजाज्ञा ईशू हो चुकी है और पैसा दे दिया जायगा। जहां तक 90,34,000 रुपए का सम्बन्ध है, उसको देना सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जिन प्रबन्धकों ने एक करोड़ रुपया अध्यापकों को नहीं दिया जिसको कि सरकार ने दिया था, तो क्या उन प्रबन्धकों के कालेजों को सरकार हस्तगत करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिन प्रबन्धकों के खिलाफ शिकायत की गयी है, उनकी जांच करवा रहे हैं। यदि शिकायत और माननीय सदस्य करेंगे, तो जांच करवा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक करोड़ रुपया प्रबन्धकों पर बाकी है और इसके अलावा उनको ग्रान्ट-इन-एड दी गयी होगी जिसको भी वह हड़प कर गए। तो क्या उन प्रबन्धकों के खिलाफ मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिनके विरुद्ध शिकायत सिद्ध हो जाएगी उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा दे रहे हैं। जिसमें पूछा जा रहा है उसमें बतायें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, प्रबन्धक ग्रान्ट-इन-एड खा गए और एक करोड़ रुपया उन पर बकाया है, तो क्या इसके ऊपर इन्क्वायरी नहीं की जा सकती है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें जांच की जा रही है। यदि प्रबन्धक दोषी पाए जायेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही की भी गयी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि 90 लाख 34 हजार रुपया प्रबन्धकों की गलती से बकाया था। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कौन से कदम उनके विरुद्ध उठा रहे हैं और इस सदन को आश्वासन दें कि इतने दिनों में उन प्रबन्धकों

के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करेंगे। 90 लाख रुपए उनके ऊपर बकाया था तो क्या उनकी चल और अचल सम्पत्ति से वसूल करेंगे चूंकि यह सरकार का पैसा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है और 1975 में मांग-पत्र अध्यापकों ने दिया था। तो मार्च, 1975 से नवम्बर, 1976 तक किसी मामले में, अभी तक जांच क्या कम्प्लीट हुई है और किसी प्रबन्धक को दोषी पाया गया है कि नहीं तथा कितने मामले ऐसे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि 1970 से यह बकाया है और साल भर हो रहा है शिकायत मिले हुए, तो मन्त्री जी स्पष्ट बतायें कि क्या-क्या कार्यवाही अभी तक की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जहां तक प्रबंधकों और इस प्रकार के विद्यालयों का प्रश्न है, उसपर सरकार स्वयं विचार करती आयी है और कानून बनाती आयी है कि प्रबन्धकों को कंट्रोल में लाया जा सके। नियम बनाए जा चुके हैं कि प्रबन्धकों पर कन्ट्रोल किया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, कानून बनाए लेकिन उनके अन्तर्गत सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही किया है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में उनको रोक देते हैं। क्यों इतना अधीर हो जाते हैं ? उनको उत्तर पूरा करने दें।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, प्रबन्धकों और विद्यालयों तथा अध्यापकों की दशा को देखते हुए ऐक्ट लाया गया था और उसके बाद इस प्रकार के जो विद्यालय थे, उन पर कन्ट्रोल रहा। राष्ट्रीयकृत सेवा का मामला सरकार के विचाराधीन है कि किस प्रकार से इनके ऊपर ऐक्शन लिया जाय। स्पेसिफिक केसेज जो हमारे सामने आते हैं, उन पर ऐक्शन लिया जाता है, उन पर पूरी कार्यवाही होती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ में और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। आज से दस साल पहले केरल स्टेट में एजूकेशन ऐक्ट पास हुआ था और उसमें प्रबन्धक शब्द ही उड़ा दिया गया। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रबन्धकों से इन संस्थाओं को छुटकारा दिलाने के लिए, प्रबन्धक जो गड़बड़ी कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एक धन्धा बना लिया है, शिक्षा माध्यम से धन कमाने का, इन से छुटकारा पाने के लिए इस पर विधेयक लाया जा सकता है।

श्री अम्मार रिजवी—

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह कई बार सदन में उठ चुका है। इसके दो विकल्प हैं। पूरी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय या शिक्षा प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा रोक लगायी जाय और मैनेजमेंट के अधिकार कम किए जायं। जहां तक राष्ट्रीयकरण

का सवाल है, यह बात भी सामने आयी सदन के और सरकार के सामने भी। 423 करोड़ रुपया राष्ट्रीयकरण में मुआवजे की बात चली थी। सरकार की वित्तीय पोजीशन को देखते हुए यह सम्भव नहीं हो पाया था? जो बात कही गयी है कि मैनेजमेंट शोषण करता है, उन पर रोक लगाने के प्रयास किए गए हैं। अब वह बगैर हमारे अधिकारी की स्वीकृति के नियुक्ति नहीं कर सकता है। अभी हाल में एक कान्फ्रेन्स हुई थी कि मैनेजर्स पर सरकार ने इतना ज्यादा नियन्त्रण कर दिया है कि वे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा यह भी प्रयास किया गया है कि टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें और उनको शोषण से छुटकारा मिले।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जांच कब तक पूरी हो जाएगी और 16 मांगें जो हैं, वह क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

पूरे उत्तर प्रदेश में जो चार हजार, चार सौ कुछ विद्यालय हैं, उन में जो एरियर है इसमें जांच करने में जरूर कुछ समय लगेगा। निश्चित मैं नहीं बता सकता। इसकी जांच करवा कर मैं सूचित कर सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने गड़बड़ कर दी है और वह विषय से निकल जाने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कानून पास कर दिये लेकिन प्रश्नगत विषय पर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है। इस पर चर्चा मांगें क्योंकि अब प्रश्न और भी हैं।

*12—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर उत्तरित।]

*13—श्री सीता राम निषाद—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

शारदा सहायक परियोजना के अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं का कथित निलम्बन

*14—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत जनवरी, फरवरी व मार्च, 1976 में शारदा सहायक परियोजना से कितने तथा किन-किन अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया है तथा उनके विरुद्ध अब तक मुख्य रूप से क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति—

जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1976 में शारदा सहायक परियोजना के किसी भी अधीक्षण अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित नहीं किया गया। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*15—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ जिले के शिविर लिपिक के स्थानान्तरण के आदेश

*16—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के शिविर लिपिक का स्थानान्तरण दिनांक 18 जुलाई, 1975 को शिक्षा निदेशक कार्यालय से किया गया था जो शिक्षा मन्त्री तथा तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा क्रमश: दिनांक 7 अगस्त, 1975 तथा

26 नवम्बर, 1975 को निरस्त कर दिया गया ? किन्तु अब तक उक्त लिपिक का स्थानान्तरण निरस्त करने का आदेश कार्यान्वित नहीं हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल शिक्षा मन्त्री द्वारा इस स्थानान्तरण को निरस्त करने के प्रारम्भ में आदेश दिए गए थे। परन्तु इस प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी के उपरान्त प्रश्नगत लिपिक का स्थानान्तरण स्थिर रखे जाने का निर्णय लिया गया। अत : स्थानान्तरण निरस्त करने के आदेश कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं रह गया था।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह सम्पूर्ण तथ्य कौन से थे जो पहले से उनकी जानकारी में आए ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह श्री बाबू लाल जो आजमगढ़ में 1961 से लेकर 1970 तक रहे, उसके बाद सिर्फ 4 महीने के लिए जौनपुर गए, तो वहां जौनपुर के कुछ सम्मानित सदस्यों ने उनका स्थानान्तरण रुकवाने के लिए मुझसे कहा।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं इस सवाल की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

आपको स्वीकृत ही नहीं करना चाहिए था।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। केवल एक बात मैं सदन के सामने लाना चाहता था कि सरकार जो आदेश देती है उस आदेश का पालन सरकारी अधिकारी कहां तक करते हैं। आपको याद होगा कि यह आदेश है कि लिपिक वर्ग और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनका स्थानान्तरण 7 साल के अन्दर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका भी उल्लंघन बिना शिकायत के किया जाता है। मैं इसी चीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता था कि सरकार को अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, एक व्यक्ति के सवाल को लेकर इतना जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मान्यवर, पिछले प्रश्न को आपन विस्तीर्णता के आधार पर रद्द कर दिया। उसमें आप देखें तो सारे प्रदेश में सरकार की ओर से मितव्ययता के आदेश दिये गए थे कि आपातकालीन स्थिति के कारण सारे प्रदेश में 7 साल से कम समय वालों का लिपिक वर्ग वालों का तबादला न किया जाय परन्तु डाइरेक्टर आफिसों में सारे प्रदेश में करीब-करीब 6 हजार आदमियों का तबादला किया गया और लाखों रुपए खर्च किए गए, तो यह तो एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सारे प्रदेश के लिपिक वर्ग का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ठीक है। जितनी अनियमिततायें हैं, जो आप समझते हैं और जो बहुत सी हैं, उनके बारे में आप कह सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं और फिर अगर उससे संतोष न हो, तो प्रश्न कर सकते हैं और अगर प्रश्नों से भी संतोष न हो तो चर्चा मांग सकते हैं, लेकिन एक के सवाल को लेकर ज्यादा .....

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने जनहित का सवाल किया था .....।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल को अब स्वीकृत नहीं किया जायगा।

*17—श्री जंग बहादुर तथा श्री भाभी —

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

रिग्स प्रखंड, वाराणसी के सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत विभिन्न आपूर्ति आदेश एवं रिग्स मशीनों का विवरण

*18—श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री भाभी (अनुपस्थित)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि रिग्स प्रखंड, वाराणसी के सहायक अभियन्ता, चतुर्थ ने जुलाई, 1973 से सितम्बर, 1974 तक कुल कितने का सप्लाई आर्डर, पेपर आर्डर व रिपेयर आर्डर किया? उपरोक्त अवधि में इनके पास कौन-कौन सी मशीनें किस अवधि तक थी व इनका क्या मूल्य था? इस अवधि में इन मशीनों ने कुल कितने फुट छिद्रण किया व इन पर क्या व्यय हुआ? शासन द्वारा सहायक अभियन्ता व वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विधायकों द्वारा मई, 1975 में दिए गए आरोप-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति—

रिग्स प्रखंड, वाराणसी के सहायक अभियन्ता चतुर्थ ने जुलाई, 1973 से सितम्बर, 1974 तक कुल 1,42,427 रुपए के आपूर्ति आदेश अथवा कार्यादेश तथा मशीनों की मरम्मत से सम्बन्धित रुपया 3,07,200 के आपूर्ति आदेश अथवा कार्यादेश किए। बजरी की ढुलाई के सम्बन्ध में भी 3,35,300 रुपए के कार्यादेश किए। सितम्बर, 1974 तक चतुर्थ उपखंड में दो रिग्स मशीनें थीं एक होल मास्टर रिग जनवरी, 1974 में तथा दूसरी वोल्टास रिग जुलाई, 1974 में स्थानान्तरण से आई थी। इन मशीनों का मूल्य सितम्बर, 1974 तक इनसे छिद्रण और इन पर व्यय का विवरण संलग्न है।

सहायक अभियन्ता एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विधायकों द्वारा मई, 1975 में दिए गए शिकायती-पत्र पर विभागीय जांच कराई गई। चूंकि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच की जा रही है। अत: विभागीय जांच आख्या पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 485 पर)

बहराइच के कन्या प्राइमरी पाठशालाओं की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं का अनुपात

*19—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जनपद के कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में कितनी कन्या विद्यार्थियों पर एक महिला अध्यापिका नियुक्त है? क्या यह है सही कि कुछ प्राइमरी पाठशालाओं में लड़कियों की संख्या से अधिक अध्यापिकायें हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन पाठशालायें हैं और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

बहराइच जनपद के कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में औसतन 38 विद्यार्थियों पर एक महिला अध्यापिका है। किसी भी कन्या प्राइमरी पाठशाला में लड़कियों की संख्या से अधिक महिला अध्यापिका नियुक्त नहीं है।

एल० टी० वेतनमान के उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नति एवं ज्येष्ठता सूची

*20—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उर्दू एल० टी० वेतनमान में सेवारत स्थायी अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए कृपया बताएगी कि उक्त सूची के आधार पर कितने ज्येष्ठ ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति अभी तक नहीं दी गई है ? पदोन्नति न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। केवल एक अध्यापक को प्रोन्नति नहीं दी गयी है।

क्योंकि सम्बन्धित अध्यापक के विषय में एम० ए० (उर्दू) उत्तीर्ण करने की सूचना समय से प्राप्त नहीं हुई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग डी० सी० यू० (रोड) कर्वी, बांदा के स्टाक के रख-रखाव पर व्यय की धनराशि तथा सामानों की अनियमित बिक्री

*21—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत डी० सी० यू० (रोड) कर्वी, बांदा की मशीनों, ट्रकों, जीपों, रोलरों तथा कंकरीट मिक्सर रख-रखाव के लिए 1974-75 में कितना धन दिया गया और इस धन को किस-किस काम के लिए खर्च किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*22—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों ने बहुत सा नया सरकारी सामान बेच लिया है और बेचे गये सामान की चोरी किये जाने की इत्तला विभाग में कर दी है ? यदि हां, तो ऐसे सामान का विवरण क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का बहुत गम्भीर घपले का सवाल है और करीब 5-6 महीने हो गए हैं यह दिनांक 1 जून, 1976 का प्रश्न है। इसमें मान्यवर, विभाग के अधिकारियों ने सामान, जीपें, ट्रक्स वगैरह बेच लीं और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह बहुत बड़ा घपला है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस मामले की जांच कब तक करा देंगे और कब तक सदन में इसका उत्तर दे सकेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मुझे स्वयं खेद है कि जितनी सूचना माननीय सदस्य चाहते हैं, वह सूचना पूरी उपलब्ध नहीं हो सकी है। मुझे खुद संतोष नहीं हुआ इसलिए मुझे यह अन्तरिम उत्तर देना पड़ रहा है। अगर माननीय सदस्य पुनः प्रश्न कर दें या आपकी आज्ञा हो तो मैं जो उत्तर प्राप्त है, उसको सदन की मेज पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष—

इन दोनों प्रश्नों को मैं अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर रहा हूं।

नारीबारी, इलाहाबाद में पकड़ी गयी चावल से लदी ट्रक

*23—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान नारीबारी, थाना शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद में तारीख 22 जून, 1975 को 82 बोरा चावल से लदी ट्रक नं0 9181 एम0पी0 ए0 को मारकेटिंग इन्सपेक्टर ने भागते हुए पकड़ा था और थाना शंकरगढ़ में रिपोर्ट भी लिखा कर ट्रक चावल समेत बन्द किया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

सरदार कुलतार सिंह—

जी हां। इस सम्बन्ध में अभियोग-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है तथा मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है।

पिथौरागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतनमान

*24—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं चमोली के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को 1965 से राजाज्ञा संख्या 27-122(शिक्षा) 28/ए0–66, दिनांक 1 अगस्त, 1966 के अनुसार वेतनक्रम (100–180) पर निर्धारित किया गया? यदि हां, तो क्या यह वेतनक्रम पिथौरागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को तब से लगातार दिया जा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि दिनांक 30 नवम्बर, 1968 की राजाज्ञा द्वारा इन जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतनमान दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से 80–125 रुपए स्वीकृत किया गया।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को वेतनमान दिनांक 1 अगस्त, 1966 को निर्धारित किया गया था, वही पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को न देने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य ने जिन अध्यापकों के सम्बन्ध में सवाल उठाया है 1960-61 में उनका ग्रेड 60 से 120 रुपए था। 1966 में पर्वतीय विकास विभाग ने उनका ग्रेड 100 से 180 कर दिया लेकिन 1965 में जो पे रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी थी और उसने 1968 में रिपोर्ट दी, उसने उनका ग्रेड 80 से 125 कर दिया। फिर 1 अगस्त, 1972 से उनका ग्रेड 200 से 320 हो गया और 1 फरवरी, 1974 से वह 210 से 330 रुपया कर दिया गया। थोड़े समय तक एनामली अवश्य रही पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट की वजह से लेकिन बाद में, वह दूर कर दी गयी और इस समय उनका ग्रेड 210 से 330 रुपए है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जब राज्य सरकार ने इन अध्यापकों का वेतन 100 से 180 रुपए निर्धारित कर दिया था, तो बाद में 80 से 120 कैसे कर दिया गया जब कि फायनेन्शियल हैंडबुक के मुताबिक किसी का वेतन कम नहीं किया जा सकता?

श्री अध्यक्ष—

पूरा जवाब आपने नहीं सुना। आप बहुत पीछे रह गए और पानी बहुत आगे चला गया।

फर्रुखाबाद की सांडा झील तथा बहोसी एवं लाख नालों की जल निकासी

*25—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपको जिला फर्रुखाबाद, ब्लाक उर्मदा स्थित (निचली गंगा नहर प्रखंड कानपुर से सम्बन्धित) सांडा झील दिनांक 4 जुलाई, 1974 तथा बहोशी बरसाती झील 24 से 29 अप्रैल, 1975 तथा सांडा बहोशी लाख झीलें दिनांक 24 जून, 1975 तथा चीफ इन्जीनियर सिंचाई (नहर) दिनांक 7 जनवरी, 1976 को पानी निकासी हेतु दिए गए खुदाई-सफाई के प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सांडा झील के पानी निकासी के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया गया है। प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। बहोशी नाला तथा लाख नाला की सफाई इस वर्ष वर्षा से पहले करा दी गई थी और इसमें पानी की निकासी भली प्रकार हुई।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

सांडा झील से पानी की निकासी के लिए जो सर्वेक्षण कराया गया उसकी कुल लम्बाई कितनी है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सांडा झील का विस्तृत सर्वेक्षण तिरबहा रजबहे के मील 21.1 इक्वाडेट से ईसन नदी तक करा लिया गया है।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

आपके प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं वह बजट कब तक बन जाएगा?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी हां, प्रयास किया जाएगा कि बहुत जल्दी बन जायं।

बहराइच में मकला नदी पर माखला सेतु के निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*26—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद में विगत चार वर्षों के अन्दर मकला नदी पर माखला सेतु एवं उसके दोनों ओर, 'गाइड बन्द', का निर्माण हुआ है और पुल के दोनों ओर की सड़कों का निर्माण हुआ है और सेतु "गाइड बन्द" तथा सड़कों के निर्माण के लिए तमाम काश्तकारों की भूमि एक्वायर की गई थी? यदि हां, तो क्या जिन-जिन काश्तकारों की भूमि निकली थी, उन-उन काश्तकारों को निकली भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1971 से 1973 तक इस पुल का निर्माण हुआ था। इसके गाइड बांध तथा पंहुच मार्गों के निर्माण के लिए जिन काश्तकारों की भूमि ली गयी थी उनमें से कुछ को प्रतिकर दे दिया गया है और कुछ को नहीं क्योंकि कुल काश्तकारों ने भूमि के बदले में भूमि की भी मांग की है जिसके लिए शीघ्र कार्यवाही करने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को लिख दिया गया है। शेष काश्तकारों को प्रतिकर शीघ्र दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की सिंचाई विभाग में नलकूप चालकों के पद पर नियुक्ति

*27—श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के 1250 छटनी शुदा सहायक कृषि-प्रसार निरीक्षकों को नलकूप चालक के पद पर नियुक्त करने पर सरकार को 20 या 25 लाख रुपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करना होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य विभागों जैसे कृषि विभाग, शारदा सहायक समादेश, प्रक्षेत्र विकास योजना फैजाबाद, गन्ना विभाग व उद्यान विभाग में रिक्त तृतीय वर्ग के पदों पर उक्त कर्मचारियों को नियुक्त करके इस अतिरिक्त व्यय को बचाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

छटनी शुदा सहायक कृषि प्रचार निरीक्षकों की संख्या 1162 है जिनमें से 1107 की नियुक्ति नलकूप चालक के पद पर कर दी गई है। 55 कर्मचारी विभाग छोड़कर चले गए हैं। इन पर लगभग 13 लाख रुपए वार्षिक का अतिरिक्त व्यय हो रहा है जो प्रति वर्ष कम होता जायगा। इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने का प्रयास किया जा रहा है।

*28—श्री राम रति बिन्द—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

इटावा–गोंडा मार्ग को पक्का करने की मांग

*29—श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

जनपद बस्ती में बांसी से इटावा तथा बिस्कोहर होते हुए गोन्डा जिले में तुलसीपुर तथा बलरामपुर को जो राजकीय सड़क जाती है, क्या सरकार इस सड़क की महत्वपूर्ण स्थिति, आवागमन की बहुलता तथा क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए इसको अविलम्ब डामर की सड़क (पीच रोड) बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मार्ग का निर्माण धनाभाव के कारण इस समय सम्भव नहीं है।

श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह वही सड़क है जिसकी कल भी यहां चर्चा हुई थी। धनाभाव के कारण इसमें कार्य नहीं हो रहा है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह कोई नई सड़क नहीं है, सरकारी सड़क है। आपके यहां सड़कों के निर्माण के लिए क्या आधार है, प्राथमिकता आप किस आधार पर देते हैं ?

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक आपके पास धन होगा ? क्या अगले वर्ष धन होगा और उसमें इसकी मरम्मत करवा ली जाएगी ? साथ ही साथ मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि इस सड़क पर मीलों तक गिट्टियां पड़ी हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं होना है। बाढ़ के कारण सड़क की हालत खराब है जैसा मैंने बताया कि वहां पर गर्भापात की भी संम्भावना रहती है। आपके ए0 जी0 एम0 वगैरह अपनी बस वहां नहीं चला रहे हैं। प्राइवेट वाले बस चलाते हैं, जिस कारण जन-जीवन की वहां इतनी हानि होती है।

श्री अध्यक्ष—

कल भी आपकी इस छोटी सी सड़क ने इस सदन का इतना समय लिया और आज भी समय ले रहे हैं, तो इसके लिए (मन्त्री जी से) कुछ कीजिए।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य की शिकायत अपनी जगह पर ठीक है कि सड़क की हालत अच्छी नहीं है। वह कुल 48 कि0 मी0 है और इसको ठीक करने में 44 लाख रुपए का अनुमानित व्यय आएगा। आप स्वयं जानते हैं और माननीय सदस्य को भी जानकारी है कि सड़कों के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं है। जो भी धन उपलब्ध होता है, उसी आधार पर पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण पर खर्च कर देते हैं। हम नई सड़कें तो नहीं ले रहे हैं, यह हमारी कठिनाई है। लेकिन जैसे ही धन उपलब्ध होगा, क्योंकि यह सड़क महत्वपूर्ण है, इसका पुनर्निर्माण करा दिया जाएगा।

गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, यह जानना चाहता हूं कि अभी इस सड़क पर कितना और बलिदान मानव जीवन का देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सड़क कोई बलिदान थोड़े ही चाहती है। सवाल यह है कि जहां गाड़ी खड्ड में गिरी, उसे देख लें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं स्वयं ही माननीय सदस्य की कठिनाई का अनुभव करता हूं।

गोंडा के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*30— श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोन्डा जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को फरवरी, 1976 मास का वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और यह कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। गोन्डा जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के फरवरी, 1976 के वेतन का भुगतान हो चुका है। अत: दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा के कन्या प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका का कथित जाली प्रमाण-पत्र

*31—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अन्तर्गत कन्या प्राइमरी स्कूल, खटवारा, ब्लाक रामनगर की वर्तमान प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध इस आशय की शिकायत कि उनके पास योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं है और जो उन्होंने विभाग को दिया था वह जाली था, शासन को 1975 में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा, अन्तर्गत कन्या प्राइमरी स्कूल, खटवारा के ब्लाक रामनगर, की वर्तमान प्रधानाध्यपिका (श्रीमती चमेली देवी) के विरुद्ध 1975 में जब वे कन्या प्राइमरी पाठशाला राजापुर (बांदा) में कार्यरत थीं, एक शिकायती-पत्र मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, झांसी मन्डल, झांसी को प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य शिकायतों के साथ उक्त अध्यापिका के पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट तथा ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र न होने की बात कही गई थी।

श्रीमती चमेली देवी की सेवा पुस्तिका में उनकी योग्यता बी0 टी0 सी0, 1943 तथा अपर मिडिल परीक्षा, 1944 अंकित है, जिनका सत्यापन दिनांक 25 अगस्त, 1974 को सहायक बालिका विद्यालय ने किया है। शिकायत-कर्ता की शिकायत के आधार पर प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण खटवार कर दिया गया।

इस प्रश्न के प्राप्त होने पर जाली प्रमाण-पत्र का आरोप प्रथम बार प्रकाश में आया है। अत: सम्बन्धित अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बांदा/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका को आदेश दिया गया है कि वह इस विषय में जांच करें।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब शिकायती-पत्र सन् 1975 में दिया गया, तो अब तक उसकी जांच पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

पहले सार्टिफिकेट में यह कहा गया था कि इनके पास कोई क्वालीफिकेशन नहीं है, उस पर उनका सत्यापन कराया गया। सर्विस बुक से तो यह पाया गया कि शिकायत गलत है इनके पास है। दुबारा यह शिकायती-पत्र मिला है कि श्रीमती चमेली देवी के पास कोई सार्टिफिकेट है ही नहीं, तो उसकी जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मन्त्री जी ने जवाब में कहा है कि सत्यापन में यह पाया गया कि इन्होंने सन् 1943 में बी0 टी0 सी0 किया था, किन्तु सन् 1943 में बी0 टी0 सी0 परीक्षा थी ही नहीं ? तो फिर यह सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका से कैसा सत्यापन कराया गया है और फिर उनसे ही जांच कराई जा रही है ? मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि उस अध्यापिका के पास न तो कोई योग्यता प्रमाण-पत्र है और न कोई ट्रेनिंग है, फिर भी वह अध्यापिका बनी हुई है और सरकार का पैसा खा रही है। तो क्या मन्त्री जी इनकी जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह करा ली जायगी और यदि पाया गया कि उसके पास कोई सार्टिफकेट नहीं है, तो उसे सजा मिलेगी।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर जांच सही पायी गई और उसके पास, कोई सार्टिफिकेट नहीं मिला, तो जब से उसने सर्विस शुरू की है तब से अब तक का पैसा उससे वापस कराने की कृपा की जाएगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो कानूनी कार्यवाही इस सिलसिले में मुमकिन होगी, वह की जाएगी।

लोअर गंगा कैनाल, फतेहपुर में हुयी खांदी का मुआवजा

*32—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मील 48 फर्लांग 3 पटरी बायां लोअर गंगा कैनाल, डिवीजन फतेहपुर, जिला फतेहपुर, में जो नहर में अपने आप खांदी सन् 1975 में हुई थी उसमें काश्तकारों को अब तक मुआवजा वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

जी नहीं। खांदी की जांच हो रही है।

श्री प्रेमदत्त—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जहां यह खांदी होना बताया जाता है, वहां कोई फसली कुलावा लगाया गया था और उसके कोने पर ही नहर कटी है ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

तिवारी जी की शिकायत पर मुख्य मन्त्री जी ने आयुक्त, इलाहाबाद को इसकी जांच के आदेश दिए थे। इस सम्बन्ध में जांच दिनांक 17 जून, 1976 को परगनाधिकारी, फतेहपुर

तथा एक सहायक अभियन्ता ने मिलजुलकर की, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कुलावा ऐसी जगह पर लगाया गया था कि जब फसली निकाला गया तो यह कुलावा टूट गया और किसानों की जमीन डूब गयी। किन्तु अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह दिखा दिया है कि नहर काटी गयी है। तो क्या इस सारे मामले की जांच कराकर जिन अधिकारियों की टेक्निकल अक्षमता या गलती से यह हुआ है, उनके खिलाफ मन्त्री जी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सजा देने की कृपा करेंगे? क्योंकि वह कुलावा कर्व जगह पर बनाया गया है जबकि कर्व पर कुलावा नहीं बनना चाहिए। मुआवजा देने से बचने के लिए वह अपनी जिम्मेदारी किसानों पर थोप रहे हैं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

इसमें अग्रिम कार्यवाही जब ही हो सकेगी, जब हमको पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जहां पर यह नहर कटी, जहां पानी फैला है, उसकी सिंचाई वसूली भी आपके अधिकारी कर रहे हैं या छोड़े हैं?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार यह खांदी 26/27 की रात्रि को हुए जिसे 28 नवम्बर, 1975 को बन्द कर दिया गया। इसके अलावा मुझको यह इल्म नहीं है कि वहां पर कुलावा है या नहीं या कुलाबे की वजह के खांदी हुई। लेकिन यह जरूर है कि खांदी हुई। अगर किसानों का नुकसान हुआ होगा तो जरूर मुआवजा दिया जायगा।

श्री शिवकुमार पांडेय—

हमारे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री प्रेमदत्त—

इस नहर के कट जाने से चार-पांच गांवों की काश्त डूब गयी। मैं जानना चाहता हूं, इस गम्भीरता को देखते हुए माननीय सिंचाई मन्त्री विजिलेंस की इन्क्वायरी करा कर मुआवजा दिलायेंगे और कोई समय निर्धारित करेंगे तब तक इनक्वायरी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

सतर्कता की जांच (विजिलेंस की इनक्वायरी) किसी के खिलाफ होती है। विजिलेंस बाढ़ के खिलाफ थोड़े ही बैठा दिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कर्व पर कुलाबा लगाया गया। मन्त्री जी बताने का कष्ट करें कि कौन से इन्जीनियर ने किस टेक्निकल आधार पर कर्व पर कुलावा लगाया?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जांच हो रही है। फिर पूरी तरह से जांच करवा ली जायगी। अगर किसानों का नुकसान हुआ होगा तो मुआवजा दिया जायगा।

श्री प्रेमदत्त—

जांच जब से शुरू हुई तब से क्या प्रगति हुई। मेरे ख्याल में जांच हो चुकी है। सब लोगों ने बयान दे दिया है। गलत कुलाबा लगाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

अभी गलत या सही का सवाल नहीं है। लेकिन जांच कब तक पूरी होगी?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

इसमें जांच हो चुकी है। लेकिन अभी तक जिला अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। उनको रिमाइन्डर दिया जा चुका है।

*33—श्री भीखा लाल —

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*34—श्री भीखा लाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

दपसौरा लिफ्ट कैनाल, फतेहपुर की सिंचन क्षमता

*35—श्री प्रेमदत्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दपसौरा लिफ्ट कैनाल, जिला फतेहपुर के पम्पिंग सेट की कैपिसिटी कम होने के कारण नहर को पर्याप्त पानी न मिलने से काश्तकारों को सींच के लिए पर्याप्त पानी न मिलने से बड़ा असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार इसे पूरा करने के लिए कौन सी कार्यवाही कर रही है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

दपसौरा पम्प नहर 30 क्यूसेक क्षमता की निर्माणाधीन है। आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु 10 क्यूसेक क्षमता का एक पम्प लगाकर फिलहाल यह नहर चालू की गयी है। इसके लिए अन्य पम्पों का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके उपलब्ध होने पर यह नहर पूर्ण क्षमता से चल सकेगी।

श्री प्रेमदत्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 क्यूसेक्स का पम्प कब लगाया गया ह वह नहर नहीं चलती है। नहर कट गयी, उसे सिंचाई दिखा दिया गया। कितना पानी नहर दे सकती थी, उस अनुपात से वह पानी दे चुकी है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि नहीं चल रही है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मुझे सूचना है कि 1975-76 में 259 एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि इस नहर का कमान्ड एरिया कितना है, जब नहर बनी तब क्या लक्ष्य था, कितने एकड़ की सिंचाई करेगी और आज कितने एकड़ की सिंचाई कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण क्यों देते हैं? कितना कमान्ड एरिया है, यह पूछना चाहते हैं बस?

श्री काशीनाथ मिश्र—

और कितना कर रही है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह सवाल नहीं पूछा है कि कितना कमान्ड एरिया इसका है। इसलिए सूचना की आवश्यकता है। यह 30 क्यूसेक्स क्षमता की नहर है। 10 क्यूसेक्स की क्षमता का पम्प चलाया गया, 1975-76 में 259 एकड़ की सिंचाई हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय सदस्य के प्रश्न में निहित है कि जो 10 क्यूसेक्स का पम्प लगाए गए हैं, वह कमान्ड एरिया को पूरा नहीं कर रहा है और माननीय सदस्य का कहना है कि इस पम्प के लगाने के बाद भी सिंचाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य देखें कि यह पम्प कैनाल 30 क्यूसेक्स की है और निर्माणाधीन है। अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है।

(श्री काशीनाथ मिश्र और श्री प्रेमदत्त के बात करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों आदमी सलाह कर लें तब प्रश्न करें।

अब प्रश्नों का समय समाप्त। अब दूसरा कार्य है जिस पर हम चल रहे हैं।

श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सीतापुर के प्लाटों की बिक्री

*36—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन के शिक्षा (9) अनुभाग के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 9(1) 1533/पन्द्रह–74, दिसम्बर, 4, 1974 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा शासन को प्रषित जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सीतापुर के नाम दर्ज 30–75 एकड़ पड़ाव भूमि में से 16 प्लाट (प्रत्येक प्लाट 1650 वर्ग फोट के) 3,500 रुपए प्रति प्लाट की दर से विभिन्न नामों से बेचने हेतु यू0पी0 ऐक्ट नं0 3 आफ 1975 के प्राविधान 5 (प्रीवियस अप्रूवल नेसेसरी फार ट्रान्सफर आफ प्रापरटी) के अनुसार उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति अथवा उसके किसी पदाधिकारी को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश न अनुमति दी है? यदि नहीं, तो सन्दर्भित ऐक्ट के प्राविधान नं0 7 (पेनालटी) के अन्तर्गत सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, सभी 16 प्लाट रु0 3,300 की दर से दिनांक 24 नवम्बर, 1973 से दिनांक 25 मई, 1974 के मध्य बेचे गए हैं? अधिनियम 3 मार्च, 1975 से लागू ह। अस्तु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से अनुमति लने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर के रिहन्द स्कूल, पिपरी के अध्यापकों को वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान

*37—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, ओवरा बांध निर्माण मन्डल, ओवरा, (मिर्जापुर) न प्रमुख अभियन्ता, को सम्बोधित अपन अर्ध शासकीय पत्र 4061/ओ0डी0सी0/क्यू0-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1973 के माध्यम से वेतन आयोग 1971-73 की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों की ही भांति रिहन्द स्कूल, पिपरी के अध्यापकों को भी वेतन दिए जाने हेतु शासन द्वारा मांग की थी? यदि हां, तो कृपया अधीक्षण अभियन्ता के मांग-पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे? यदि कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, तो उसका क्या कारण है?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है?

शारदा सहायक, बाराबंकी के पजरौली हेड रेगुलेटर के निर्माणार्थ आमंत्रित निविदायें

*38—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6 मार्च, 1976 को शारदा सहायक बाराबंकी खंड 11 के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पजरौली हेड रेगुलेटर के निर्माण हेतु

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आमन्त्रित निविदाओं पर निर्णय हुआ जिसमें न्यूनतम दर वाली निविदा को निरस्त करके द्वितीय न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

पजरौली हेड के निर्माण हेतु दिनांक 6 मार्च, 1976 को निविदायें आमन्त्रित की गयी थीं जिसमें नियमानुसार प्राप्त टेन्डरों में से न्यूनतम वाली निविदा को ही स्वीकार किया गया था लेकिन काम का रूप बदल जाने से अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है।

प्रदेश की प्रसार योजना की समाप्ति

*39—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रसार योजना समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या लक्ष्य की पूर्ति हो गई ? यदि नहीं, तो इस योजना को क्यों समाप्त कर दिया गया ?

श्री लोकपति—

जी हां। इस योजना का कार्य अब ब्लाक स्तर पर कार्यरत सहायक कृषि विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक (कृषि) आदि द्वारा किया जा रहा है।

*40—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[तीसरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के अन्तर्गत क्षति ग्रस्त बन्धे

*41—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में कितने विभागीय व कितने अविभागीय बन्धे गत वर्ष की बाढ़ एवं बरसात से कट एवं टूट गए हैं ? क्या इसें इसमें निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार से सम्बन्धित बांध-चितहरी थुन्ही, बरही, पाथ, राजधानी बढ़हरा-सिलहटा मुन्डेरा, करही विशुनपुरा-महुबरकोल एवं मलौनी बांध भी हैं ? यदि हां, तो क्या इनका सुधार व निर्माण होकर उपयोगी स्तर दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार गोरखपुर में राप्ती एवं गोर्रा नदियों के कटाव से प्रभावित ग्राम

*42—श्री मधुकर दिघे तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र, मुन्डेरा बाजार के कौन-कौन गांव राप्ती व गौर्रा नदी के कटाव के कारण इस समय व पहले 3 वर्ष से पीड़ित हैं ? क्या इसमें नौवा डुमरी, सेमरा मानिक चौक, सेमरौना, बरही, चित्तहरी, सहोड़वा यादवटोला, अमारी सरार, मझगांवा उधवलिया, वंसुही, जोगिया भवरही बंगलाटोला, जयराम कोल, बड़हरा भी हैं ? यदि हां, तो वहां की जन-धन की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

राप्ती व गोर्रा नदियों के कटाव से पीड़ित गांवों की सूची संलग्न है।

नौवा व सेमरा मानिक चौक की आबादी को छोड़कर कथित गांव कटाव से प्रभावित हैं। पीड़ित गांवों की सुरक्षा हेतु एक योजना विचाराधीन है।

[देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 486 पर।]

गोंडा के माधोपुर न्याय पंचायत चयन समिति का चीनी की दूकान निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव

*43—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी विक्रय समिति, न्याय पंचायत, माधवपुर, तहसील तरबगंज, जिला गोन्डा न दिनांक 24 जनवरी, 1976 तथा दिनांक 21 अप्रैल, 1976 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त न्याय पंचायत की दूकान को निरस्त किए जाने का शासन से निवेदन किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? उक्त प्रस्ताव में समिति ने उक्त दूकान के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें की हैं ? क्या उनकी जांच कराई गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

न्याय पंचायत स्तर पर गठित चयन समिति माधोपुर (जो कि अब चयन एवं सतर्कता समिति कहलाती है) ने एक प्रस्ताव 24 जनवरी, 1976 को तथा दूसरा 21 अप्रैल, 1976 को न्याय पंचायत, माधोपुर की चीनी की दूकान को निरस्त करने के लिए भेजा था। प्रस्तावों में कहा गया था कि कोटेदार के विरुद्ध जनता में व्यापक असन्तोष है और वह वितरण अनियमित रूप से करते हैं। दोनों प्रस्तावों में उल्लिखित शिकायतें जांच के उपरान्त निराधार पायी गयीं।

फर्रुखाबाद में शहीद स्मारक एवं सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति की स्थापना की मांग

*44—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ ने पिछले जनप्रतिनिधियों को जी० टी० रोड के तिराहे पर शहीद स्मारक तथा छिबरामऊ-बिधना रोड पर सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति स्थापित करने के लिए इजाजत नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। यातायात की सुविधा के हित में प्रश्नगत स्थानों पर मूर्ति लगाना और शहीद स्मारक की स्थापना करना उचित नहीं है।

विजयपुर विजौरा बन्धी परियोजना वाराणसी से पानी न मिलने की शिकायत

*45—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सिंचाई विभाग प्रखंड ने एक बंधी विजयपुर विजौरा की सिंचाई हेतु ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में बनवाया है ? यदि हां, तो क्या यह बात सत्य है कि उस बंधी का पानी नहीं जा सका तो एक सहायक बंधी बनायी गई और अब भी सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है ? ऐसा क्यों ? क्या इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी जायगी ?

श्री लोकपति—

जी हां, लेकिन यह सत्य नहीं है कि उक्त बन्धी का पानी नहीं जा सका तो एक सहायक बन्धी भी बनाई गई। वास्तव में सहायक बन्धी विजयपुर विजौरा बन्धी परियोजना का एक अंग है। जिसका निर्माण जनवरी, 1976 एवं उससे निकाली गई अल्पिकाओं का निर्माण जुलाई-अगस्त, 1976 में पूरा हुआ है जिससे इसके पूर्व सिंचाई नहीं हो सकी। अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

एस० एन० इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के लिपिक श्री टापूराम गुप्त की सेवा समाप्ति

*46—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 एन0 इन्टर कालेज, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के स्थायी लिपिक (श्री टापू राम गुप्त) को वहां की प्रबन्ध समिति ने बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति के 30 जून, सन् 1966 में निकाल दिया। जिसके विरुद्ध श्री टापूराम गुप्त ने 23 जुलाई, सन् 1966 को उपशिक्षा निदेशक, चतुर्थ मन्डल, इलाहाबाद को एक ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर दस वर्ष तक विचार न किए जाने अथवा कोई निर्णय न दिए जाने के क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, मुख्यत : विलम्ब प्रबन्धक द्वारा उत्तर न दिए जाने के कारण हुआ। अब मामला रीजनल अपीलेट कमेटी के विचाराधीन है।

बांदा के राजापुर कस्बे के चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*47—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत राजापुर कस्बे में चीनी के कोटे की तीन दुकानें एक ही परिवार के पास हैं और वे दुकानदार पूरी चीनी ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जांच की जा रही है।

*48—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

बकुलहा संसार टोला बांध को बाढ़ से क्षति एवं सहायक बांध का निर्माण

*49—श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बकुलहा संसार टोला बांध के वर्ष 1975 की बाढ़ में टूटे हुए भाग जिससे सारा क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, के मरम्मत के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है और कितने का बिल पेंडिंग है ? क्या यह सत्य है कि टूटे हुए भाग के मरम्मत पर अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है और सारा पैसा फालतू तरीके से इस प्रकार खर्च किया गया है जिससे बाढ़ के रोकने में कोई सहायता नहीं मिलेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

बकुलहा संसार टोला बांध का वह हिस्सा जो वर्ष 1975 की बाढ़ में टूट गया था, उसकी मरम्मत के लिए कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न कोई कार्य शुरू किया गया है। फलस्वरूप कोई भी पैसा फालतू तरीके से खर्च होने अथवा अवशेष होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*50—श्री बनवारी राम यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 की बाढ़ में बकुलहा संसार टोला बांध के उस भाग पर जहां नदी का कटाव बिलकुल नजदीक था, एक नन्हा बांध करीब 700 मीटर का बनाया गया था ? यदि हां, तो इस पर कुल कितन घन मीटर मिट्टी का काम हुआ, कुल कितना रुपया व्यय हुआ, इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ ?

श्री लोकपति—

बकुलहा संसार टोला बांध पर वर्ष 1975 की बाढ़ में बाध के टूटने के पूर्व एक सहायक बांध 700 मीटर लम्बा बनाया गया था जिसमें कुल खर्च रु0 46,898.99 हुआ था। सहायक बकुलहा संसार टोला बांध को बनाने में कुल 16,710 धनमीटर मिट्टी का कार्य हुआ। यह कार्य दिनांक 21 जुलाई, 1975 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 19 अगस्त, 1975 को पूर्ण हो गया।

आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हरिजन अध्यापकों का कोटा

*51—श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल कितने शिक्षक एवं शिक्षिकायें हैं और उनमें हरिजन शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है? क्या हरिजनों का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिज़वी—

आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5,719 अध्यापक एवं 918 अध्यापिकायें कार्यरत हैं। इनमें 1011 हरिजन शिक्षक एवं 154 शिक्षिकायें हैं। इस प्रकार हरिजनों की संख्या 17.5 प्रतिशत से अधिक है। चयन के समय हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनका प्रतिशत पूरा नहीं हो सका।

*52—श्री दयाराम भास्कर—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

डी० सी० यू० कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*53—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गिरजा शंकर रस्तोगी, सदस्य, भारतीय जनसंघ, करनलगंज, जिला गोन्डा का कोई शिकायती पत्र दिनांक 19 मार्च, 1975 या उसके पास प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने डी0 सी0 यू0 कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोन्डा द्वारा लाखों रुपए का गोलमाल करने की शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, मामले की जांच अधीक्षण अभियन्ता, 40 वां वृत्त एवं अधीक्षण अभियन्ता, 23वां वृत्त से कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अनियमिततायें पाई गईं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में एस० डी० सिंह रिपोर्ट का कार्यान्वयन

*54—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एस0 डी0 सिंह रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन अध्यापकों और 2 अधिकारियों के विरुद्ध जुर्म आयद होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि हां, तो कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिज़वी—

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक अध्यापक एवं एक कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। विश्वविद्यालय की संस्तुति के आधार पर 4 अध्यापकों, दो

अधिकारियों एवं एक कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया शेष मामले विचाराधीन हैं।

बलिया के रसड़ा कस्बे में एक ट्रक चावल पकड़े जाने की सूचना

*55—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के रसड़ा कस्बे में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक ट्रक चावल पकड़ा गया था, ट्रक नं0 यू0 पी0 2280 है जिसकी सूचना माननीय मन्त्री जी को 29 मई, सन् 1975 को दिया था उस सम्बन्ध में शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस घटना की सूचना माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक 29 मई, 1975 द्वारा प्राप्त हुई थी। इसकी जांच पुलिस अधीक्षक, बलिया के माध्यम से कराई गई। जांच के फलस्वरूप इस चावल के संचलन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

बेकार सरकारी नलकूपों की संख्या

*56—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 मार्च, 1976 तक प्रदेश में मौके पर लगे कितने सरकारी नलकूप बेकार पड़े हैं और उनके बेकार पड़े रहने की वजह से प्रदेश की कितनी भूमि का सिचन नहीं हो पाया तथा सरकार इन बिगड़े नलकूपों के सुधारने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री लोकपति—

31 मार्च, 1976 को प्रदेश में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 334 नलकूप बन्द थे :—

(1)	125 नलकूप	.. इनके क्षेत्र में निजी नलकूप अधिक बन जाने तथा सिंचित क्षेत्र कम रह जाने के कारण बन्द कर दिये गए ।
(2)	125 नलकूप	.. फेल हो जाने के कारण बन्द थे। इनके पुनर्निर्माण की कार्यवाही की गई है।
(3)	25 नलकूप	.. नहर कमान्ड क्षेत्र में आ गए हैं।
(4)	17 नलकूप	.. नहर कमान्ड क्षेत्र में आ जाने की सम्भावना है।
(5)	30 नलकूप	.. इनका पानी अनुपयुक्त या खारा है।
(6)	12 नलकूप	.. विविध कारणों जैसे स्ट्रेटा का ठीक न होना आदि, से बन्द हैं।

उक्त मद (2) से (6) में वर्णित नलकूपों के बन्द होने के कारण लगभग 39,000 एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो सकी।

क्रीड़ांगन (स्टेडियम), वाराणसी का राजनीतिक कार्य हेतु उपयोग

*57—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या शासन ने ऐसा आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी स्टेडियमों में खेल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी ? अगर हां, तो जनवरी, 1976 से मई, 1976 तक सूबे के किसी भी सरकारी स्टेडियम में खेल के अलावा क्या राजनैतिक आम सभायें हुई हैं ? अगर हां, तो किसकी और किस आधार पर ?

श्री लोकपति—

जी हां, दिनांक 13 मार्च, 1976 को क्रीड़ांगन, वाराणसी में माननीया प्रधान मन्त्री ने जनता को सम्बोधित किया। प्रधान मन्त्री की सभा के लिए अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण शासन ने यह अनुमति प्रदान की थी ?

सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी०, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*58—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के कुसम्ही-पिपराइच मार्ग के सहायक अभियन्ता व जूनियर इन्जीनियर (पी0 डब्लू0 डी0) द्वारा जनवरी, 1976 में उक्त पी0 डब्लू0 डी0 के मार्ग से 10 ट्रक कंकड़, 5 पेड़ शीसम, 3 पेड़ सागौन और फर्जी मस्टर रोल का पेमेन्ट लेने के सम्बन्ध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता, गोरखपुर (श्री कृष्णचन्द्र पांडे) का शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, मुख्य अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0 डी0, उत्तर प्रदेश, अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता, पी0 डब्ल्यू0 डी0, गोरखपुर को माह जनवरी, 1976 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। शिकायती-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच कराने पर पेड़ों की नीलामी में अनियमितता किया जाना सत्यापित हुआ तथा अन्य आरोप निराधार पाए गए। इस अनियमितता के लिए सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता दोषी पाए गए, जिसके लिए सहायक अभियन्ता को निन्दित किया जा चुका है एवं अवर अभियन्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है।

टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति न होना

*59—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में किन-किन राजकीय हाई स्कूलों में किन-किन विषयों के अध्यापकों की पिछले सत्र में माह जनवरी, 1976 तक नियुक्तियां नहीं हुई थीं ? अध्यापकों के अभाव में इन विद्यालयों में इन विषयों की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की गई थी ?

श्री अम्मार रिज़वी—

जनपद टिहरी-गढ़वाल के निम्नलिखित राजकीय हाई स्कूलों में पिछले सत्र में माह जनवरी, 1976 तक उनके सम्मुख अंकित विषय के अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हुई थीं :—

1—राजकीय हाई स्कूल, गूलर दोगी	..	सामान्य सी0 टी0
2—राजकीय हाई स्कूल, कमान्द	..	सामान्य सी0 टी0
3—राजकीय हाई स्कूल, चाका	..	सी0 टी0 (व्यायाम)
4—राजकीय हाई स्कूल, छाम	..	सामान्य सी0 टी0

जनपद के सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उक्त विषयों को अन्य अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई।

गोरखपुर में बाढ़ सुरक्षा मद हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता

*60—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975-76 में केन्द्र द्वारा गोरखपुर जिले को कितनी धनराशि बाढ़ सुरक्षा के मद में मिली और निर्धारित अवधि में कितना धन बाढ़

सुरक्षा कार्य में व्यय किया गया ? क्या यह सच है कि काफी धन दूसरी मदों में स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1975-76 में ड्रेनेज प्रखंड, गोरखपुर को केन्द्र द्वारा एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के अन्तर्गत 27.65 लाख रुपए की धनराशि बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें से बाढ़ सुरक्षा कार्य पर 29,06,738.00 रु0 व्यय किया गया। इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अन्य किसी कार्य पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

ड्रेनेज खण्ड, बस्ती में अनियमितताओं के फलस्वरूप, अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों का निलम्बन

*61—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में ड्रेनेज विभाग में वर्ष 1971 से 30 जून, 1976 तक लाखों रुपये के गबन हैं, जिनके फलस्वरूप कई अधिकारी एवं कर्मचारी निलम्बित हुये ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध अब जांच चल रही है, और क्या यह सही है कि भतपूर्व विधायक, (श्री सुखपाल पांडेय) ने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा भी दायर किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति--

ड्रेनेज खण्ड बस्ती, जनवरी, 1972 में सृजित हुआ था। प्रारम्भिक जांच के अनुसार गबन नहीं, वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं। एक अवर अभियन्ता गम्भीर अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था जिसके लिए मुख्य अभियन्ता ने उन्हें निलम्बित किया था परन्तु अवर अभियन्ता ने लोक सेवा अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। प्रारम्भिक विभागीय जांच के अनुसार एक क्लर्क, एक अवर अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता दोषी प्रतीत होते हैं। अधिशासी अभियन्ता जो सेवा निवृत्त हो गए हैं की पेन्शन रोक दी गई है और समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराई जा रही है।

श्री सुखपाल पांडेय ने सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पुलिस बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिलाधीश, बस्ती ने इस शिकायत पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को लेखा का आडिट कराकर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया। प्रमुख अभियन्ता ने सम्बन्धित अवीक्षण अभियन्ता से जांच कराकर रिपोर्ट शासन को 30 अप्रैल, 1976 को भेजी जिसे प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा जांचा जा रहा है।

बाराबंकी स्टेशन पर खराब चावल पकड़े जाने की घटना

*62—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि जून के अन्तिम सप्ताह में ए0 सी0 आई0, बाराबंकी द्वारा बाराबंकी स्टेशन पर काफी सड़ा व कीड़े पड़ा चावल केरल प्रदेश भेजने हेतु लाया गया और शुबहा होने पर स्टेशन मास्टर ने सी0 एम0 ओ0 बाराबंकी व अन्य अधिकारी को जांच करने हेतु सूचना दी जिस पर दिनांक 2 जुलाई, 1976 को सी0 बी0 आई0 के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और सारा चावल खाने योग्य न पाया ? यदि हां, तो पूरी स्थिति क्या है ? दोषी व्यक्ति कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत तथा कथित खराब चावल भारतीय खाद्य निगम का था जो कि भारत सरकार की एक स्वशासी संस्था है और जिस पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

रुड़की विश्वविद्यालय के विरुद्ध अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र

*63—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश कपूर ने रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के बारे में एक शिकायती-पत्र दिनांक 17 अगस्त, 1975 का उन्हें दिया था जिसके आधार पर उन्होंने विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा था? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उस सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। श्री वेद प्रकाश कपूर की शिकायतों तथा उनके सम्बन्ध में रुड़की विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण का ब्योरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 487 पर।)

गोरखपुर के "लेडी प्रसन्न कौर इन्टर कालेज, बसडीला" के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

*64—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद में स्थित "लेडी प्रसन्न कौर इन्टर कालेज, बसडीला" के प्रधानाचार्य के अवकाश ग्रहण के पश्चात् कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति अध्यापकों में से वरिष्ठता क्रम के आधार पर नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचना अपूर्ण थी अत: पूर्ण सूचना मांगी गयी है।

आंसुका में निरुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक

*65—बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कितने अध्यापक आंसुका में निरुद्ध हैं? क्या उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपखंड शारदा सहायक लालगंज, आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

*66—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 23 के तृतीय उपखंड शारदा सहायक लालगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक 3 जून, 1976, 12 जुलाई, 1976 व 18 जुलाई, 1976 को व इसके पूर्व जनता की ओर से शासन को प्रार्थना-पत्र मिला है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति—

3 जुलाई, 1976 को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। उसीकी प्रतिलिपि फिर से 12 जुलाई, 1976 को प्राप्त हुयी थी। 18 जुलाई, 1976 को एक अन्य प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ था। ये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

*67—श्री राम अधार—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*68—श्री रघुनाथ—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जूनियर व सीनियर बेसिक टीचर्स, बरेली के स्थानान्तरण का वार्षिक प्रबंध

*69—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बरेली में जूनियर व सीनियर बेसिक टीचर्स के स्थानान्तरणों के निमित्त वार्षिक प्रबन्ध अभी तक इस वर्ष तैयार नहीं किया गया है जबकि जून, 1976 तक ही उसे तैयार कर देना चाहिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बरेली में जूनियर तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के वार्षिक प्रबन्ध किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर में लोअर पूर्वी यमुना नहर खंड की भूमि का पट्टा

*70—श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्वी जमुना नहर लोअर खंड के अंचल में स्थित नहरी भूमि जो लगभग 65 पट्टेदारों को खेती के लिए दी हुई है इन पट्टेदारों में से कौन-कौन पट्टेदार भूमिहीन हरिजन हैं और किस-किस पट्टेदार या उसके परिवार के पास अपनी निजी भूमि होते हुए भी शासकीय आदेश संख्या 3187/एस0के0/(71) 23–आई0बी0—51 डब्ल्यू0 54, दिनांक 27 अगस्त, 1971 में दी गई प्राथमिकताओं के प्रतिकूल भूमि पट्टे पर दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति—

जनपद मुजफ्फरनगर में लोअर पूर्वी यमुना नहर खंड के अंचल में स्थित नहरी भूमि जो 65 पट्टेदारों को खेती के लिए दी गयी है उनमें से 60 अनुसूचित/जनजाति के भूमिहीन कृषक हैं। किसी भी पट्टेदार या उसके परिवार को शासकीय आदेश संख्या 3187-एस0के0/71/23,आई0बी0—51 डब्ल्यू/54, दिनांक 27 अगस्त, 1971 में दी गयी प्राथमिकताओं के प्रतिकूल भूमि पट्टे पर नहीं दी गयी है। अत: दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा श्री सलेक चन्द्र के उत्तराधिकारियों के नाम पट्टे का नवीनीकरण

*71—श्री हुकम सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग ने शासकीय पत्र संख्या 4275/एस-के0/71–23/1बी0–42/पौ-(69), दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 द्वारा आदेश पारित करके मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस आशय के निर्देश दिए कि मुजफ्फरनगर जनपद के एक बड़े कृषक के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किया गया मुकदमा वापिस करके उसी के हक में जमीन का पट्टा कर दिया जाए ? यदि हां, तो इस कृषक विशेष के हक में पट्टा कराने का क्या कारण था और क्या विभागीय भूमि से बेदखल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लोकपति—

प्रश्न में उल्लिखत शासनादेश में स्वर्गीय श्री सलेक चन्द्र के उत्तराधिकारी के प्रत्यावेदन पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् उनके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमें को वापिस करने और वारिसों के नाम पट्टे के नवीनीकरण के आदेश दिए गए थे। वारिसों म से कोई भी बड़ा कृषक नहीं था। अतएव बेदखली की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर शारदा सहायक खंड 13 से संबंधित शिकायतों की जांच

*72—श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नवम मन्डल सिंचाई कार्य, सीतापुर के अधीन अधिशासी अभियन्ता (श्री राम निवास गर्ग) शारदा सहायक खंड 13 से सम्बन्धित हुई शिकायत की जांच मुख्य अभियन्ता शारदा के पत्रांक 6565 डब्ल्यू0/7/इ–24/गर्ग, दिनांक 6 सितम्बर, 1974 के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता (श्री वी0 सी0 बाजपेई) 16वें मन्डल, प्रतापगढ़ द्वारा की गयी विस्तृत जांच में लिखा था कि नवम् मन्डल के अधीन किवानी साईफन के निर्माण कार्य में 1: 2: 4 कंकरीट में अनुबन्ध एवं विभागीय एस्टीमेट के अनुसार हलद्वानी की पूरी रेत लगाने के बजाय उसमें 40 प्रतिशत स्थानीय खुदाई से प्राप्त बालू प्रयोग करके विभाग द्वारा ठेकेदार को 2 लाख 25 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। क्या विभाग द्वारा ठेकेदार को रेल रोड भाड़े के अन्तर के हुये भुगतान से भी स्पष्ट है कि लगभग 80 प्रतिशत हलद्वानी से रेत मंगाया गया जिसका एफ0 एम0 लगभग 2-00 से 2–25 तक ही होता है ? यदि हां, तो क्या श्री बाजपेई की रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार के उपरोक्त कार्य के फाइनल भुगतान में से उपरोक्त अतिरिक्त भुगतान की कटौती कर ली गयी या नहीं और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नवम मन्डल, सिंचाई कार्य, सीतापुर के अधीन शारदा सहायक खंड, 13 से सम्बन्धित शिकायत की जांच मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के अर्धशासकीय पत्रांक जी-624–नि–7, दिनांक 22 अक्तूबर, 1974 में दिए गए आदेशानुसार श्री विपिन चन्द्र बाजपेई, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करायी गयी थी। श्री बाजपेई की जांच रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया गया था कि किवानी साईफन के निर्माण में 1:2:4 कंकरीट में 40 प्रतिशत स्थानीय बालू जो नीव की खुदाई से प्राप्त हुआ, प्रयोग किया गया और फलस्वरूप ठेकेदार को लगभग सवा दो लाख रुपए का लाभ अनुमानित किया गया। इस कार्य के अनुबंध के अनुसार ठेकेदार मोटा बालू जो अनुबन्ध में निर्धारित एफ0एम0 का हो, कहीं से ला सकता था। विभागीय एस्टीमेट में 1:2:4 कंकक्रीट में पूरी हलद्वानी रेत लगाने का प्राविधान था। परन्तु विभागीय एस्टीमेट का अनुबन्ध की दरों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। ठेकेदार उपरोक्त कार्य पर प्रयोग की गई कुल बालू का लगभग 52 प्रतिशत बाहर से मोटा बालू जिसका एफ0 एम0 2 से 2.5 था, लाया। जिसकी 87.5 प्रतिशत मात्रा रेल के बजाय सड़क द्वारा लाई गई जिस पर रेल रोड भाड़े के अन्तर का अतिरिक्त भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किया गया।

मुख्य अभियन्ता ने स्थानीय बालू के प्रयोग के लिए ठेकेदार से 24,823.00 रुपए की कटौती करा ली है। इस सम्बन्ध में एक अन्य शिकायत पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से भी जांच कराई गयी। कोष्ठ की जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार से और यथोचित कटौती करने तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है।

*73—श्री मानपाल सिंह—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ के भूतपूर्व अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक श्री राघव सिंह गौतम के वि अनियमितताओं की जांच

*74—श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें भूतपूर्व अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ (श्री राघव सिंह गौतम) के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में मास फरवरी, 1976,

22 अप्रैल, 1976 तथा 26 जून, 1976 को दस्ती व रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्रों में से माह फरवरी, 1976 के 4 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 5 और शिकायती-पत्र मई और जून, 1976 में विभिन्न तिथियों को प्राप्त हुये थे। इनमें की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच में श्री राघव सिंह गौतम द्वारा वित्तीय अनियमिततायें किए जाने का आभास मिला है। अत: लेखे का आडिट कराया जा रहा है।

लल्लू प्रसाद मिश्रा इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों के प्रमाण पत्र का वितरण

*75—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लल्लू प्रसाद मिश्रा इन्टर कालेज, कानपुर में इन्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र वर्ष 1967-68 के अब तक नहीं वितरित किए गए हैं ? यदि हां, तो इतनी अवधि बीत जाने पर प्रमाण-पत्र न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

लल्लू प्रसाद मिश्रा इन्टर कालेज, कानपुर जिसका पूर्व नाम कान्य कुब्ज इन्टर कालेज है, के इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1968 के सभी 236 संस्थागत छात्रों के प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1970 को ही छात्रों को वितरण हेतु उक्त संस्था को भेज दिए गए थे। इनमें से 189 छात्रों ने स्वयं संस्था से अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए। एक छात्र का प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। अब 46 छात्रों के प्रमाण-पत्र संस्था में ही पड़े रहे तथा मई, 1976 म संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद् को वापस भजे गए। परिषद् द्वारा पुन: इन प्रमाण-पत्रों को इस निर्देश के साथ संस्था के प्रधानाचार्य को वापस कर दिया गया है कि इन्हें रजिस्टर्ड डाक से सम्बन्धित छात्रों को भेज दें।

क्राइस्ट चर्च कालेज, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान और गैर ईसाई अध्यापिकाओं की संख्या

*76—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 मार्च, 1973 से 30 जून, 1973 का किन-किन सहायक अध्यापिकाओं का वेतन क्राइस्ट चर्च कालेज, लखनऊ ने भुगतान नहीं किया ? क्या यह सही है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाली इन अध्यापिकाओं को तरह-तरह से परेशान करके कालेज छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

7 मार्च, 1973 से 30 जून, 1973 की अवधि में तथा इसके बाद भी क्राइस्ट चर्च कालेज, लखनऊ द्वारा वेतन का भुगतान बराबर होता रहा है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाली अध्यापिकाओं को तरह-तरह से परेशान करने के सम्बन्ध म कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि में केवल एक अध्यापिका श्रीमती ऊषा कटियार ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वयं त्याग-पत्र देकर जुलाई, 1973 से कालज छोड़ दिया।

*77—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1972 स 30 जून, 1973 तक कितनी गैर ईसाई महिला अध्यापिकायें क्राइस्ट चर्च कालेज में थीं ? इनमें कितनी अध्यापिकाओं ने कालेज छोड़ दिया या छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया ? इनमें

कितनी महिलाओं ने अन्तर्जातीय विवाह किया ? क्या उनको स्वास्थ्य लीव (मेडिकल लीव) प्राविडेन्ट फन्ड तथा बकाया वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जुलाई, 1972 से 30 जून, 1973 की अवधि में 10 गैर ईसाई अध्यापिकायें स्टाफ में थीं। केवल एक ईसाई अध्यापिका ने स्वेच्छा से कालेज छोड़ दिया परन्तु किसी भी अध्यापिका को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया। अन्तर्जातीय विवाह व्यक्तिगत मामला होने के कारण इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है अत : यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कितनी अध्यापिकाओं ने अन्तर्जातीय विवाह किया। किसी भी अध्यापिका को स्वास्थ्य लीव (मेडिकल लीव) अस्वीकार नहीं की गई तथा किसी का प्राविडेन्ट फन्ड तथा बकाया वेतन का भुगतान शेष नहीं है।

देवरिया के शिक्षा परिषद् में हरिजन एवं जनजाति के कर्मचारी और अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान न होना

*78—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में शिक्षा परिषद् में कर्मचारियों की नियुक्ति में इस समय तक हरिजनों एवं जन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ति कर दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*79—श्री हरिकेवल—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जनपद के समस्त अध्यापकों का वेतन नसबन्दी की निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु गत मई; 1976 से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो पुन: वेतन देने का आदेश कब तक दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा के चिल्लाघाट के ठेकेदार के विरुद्ध अनियमितताओं सबंधी शिकायती-पत्र

*80—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1976 में चिल्लाघाट, जिला बांदा में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा को कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

शिकायती-पत्र में विधायक के द्वारा शिकायत पुस्तिका मौके पर मांगने पर घाट दरोगा द्वारा उपलब्ध न कराए जाने, घाट पर पावरवार्ज निश्चित समय पर न चलाए जाने तथा ठेकेदार द्वारा अधिक किराया वसूल करने की नियत से पावरवार्ज के अतिरिक्त नावों के न चलाये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

शिकायत पुस्तिका घाट दरोगा द्वारा विधायक के समक्ष न प्रस्तुत करने के अपराध में उसको निन्दित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि पावरवार्ज निश्चित समय पर ही चलाया जाता है तथा नावें उसी समय चलाई जाती हैं जब पावर बार्ज खराब हो जाता है।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद के अमृतपुर-जरीयनपुर मार्ग का निर्माण

1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतान का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर ब्लाक में निर्मित हो रहा अमृतपुर-जरीयनपुर मार्ग कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

यह मार्ग कि0 मी0 6 तक पूर्ण किया जा चुका है। कि0 मी0 7 एवं 8 मार्च, 1977 तक पूर्ण किये जाने की आशा है। शेष कार्य पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृत के उपरान्त पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इलाहाबाद की चकवपुरा-अलीमाबाद मड़ौका-मोहब्बत गंज मार्ग के निर्माण की मांग

2—श्री सत्य प्रकाश मलवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम चकवपुरा-अलीमाबाद (शाहजी का पूरा) तथा ग्राम मड़ौका-मोहब्बतगंज जो कि तहसील करछना, खंड विकास चाका, जनपद इलाहाबाद में स्थित है, में आम रास्तों की जो सड़कें अत्यन्त ही खराब हालत में हैं, को आवागमन के लिए अतिशीघ्र सुलभ करा दिया जायगा ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। यह ग्राम समाज का मार्ग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके रख-रखाव अथवा निर्माण से सम्बन्धित नहीं है।

3—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नौरगियां-कप्तानगंज मार्ग, देवरिया का निर्माण एवं छोटी गंडक नदी पर पुल निर्माण की मांग

4—श्री श्रीनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में नौरगियां-कप्तानगंज रोड का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ और अब तक उस पर कितने रुपए खर्च हुए हैं तथा इस सड़क पर छोटी गन्डक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सन् 1963 में प्रारम्भ हुआ तथा सन् 1968 में पूर्ण हो गया। निर्माण कार्य में कुल 10.80 लाख रुपया खर्च हुआ। प्रश्नगत पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

यू० पी० सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ में अनियमितताओं की जांच

5—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 12 मार्च 1975, को अथवा उसके आस-पास किसी दिन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 12 मार्च, 1975 का पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायतें मुख्य रूप से स्कूल की अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं। शिकायतों की जांच के परिणाम स्वरूप स्कूल के रजिस्ट्रार एवं 4 अध्यापकों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं।

सेमरा कठकुइयां इन्टर कालेज, देवरिया के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का कथित निलम्बन

6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में सेमरा कठकुइयां इन्टर कालेज में वर्ष 1973, 74, 75 में कितने अध्यापक एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है? निलम्बन का कारण क्या था?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित विद्यालय में वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में किसी अध्यापक एवं कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया गया था। अत: दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया के पडरौना शुगर फैक्टरी-मेंसा छापर बाजार मार्ग के निर्माण की मांग

7—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग पडरौना शुगर फैक्टरी के उत्तर फाटक से मेंसा छापर बाजार तक आजादी के 27 वर्षों बाद भी नहीं बना है? जिसके कारण तहसील का उत्तरांचल काफी पिछड़ गया है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। धनाभाव के कारण यह मार्ग स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है।

8—श्री ऊदल—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी जिला परिषद् द्वारा प्रस्तावित सड़कों की सूची

9—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम पंचवर्षीय योजना हेतु जिला परिषद् वाराणसी ने प्रस्तावित जिले की सड़कों की सूची अपने पत्र संख्या 1010/नि0वि0/75/76, दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को भेजी है? यदि हां, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

पांचवी योजना बनाते समय इस पर विचार किया गया।

वाराणसी जिले के लिये आवंटित नलकूप

10—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले को 1975-76 में कितने ट्यूब-वेल एलाट किए गए और क्या 1976-77 के लिए 150 ट्यूब-वेल लगाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो इसका एलाटमेंन्ट कब होगा?

श्री लोकपति—

वाराणसी जिले को 1975-76 में 13 नलकूप आबंटित किये गए थे। वर्ष 1976-77 में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत वाराणसी जिले में 15 नलकूप निर्माण का कार्यक्रम है।

11—श्री ऊदल—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्राइमरी पाठशाला विशुनपुर, बाराबंकी के प्रधानाध्यापक श्री बच्चू सिंह का निलम्बन

12—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला, विशुनपुर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जनता की शिकायत पर दिनांक 30 सितम्बर, 1975 को ए0 डी0 आई0 द्वारा जांच के समय विभिन्न अनियमिततायें तथा स्कूल की प्रापर्टी का घोटाला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला, विशुनपुर के प्रधानाध्यापक (श्री बच्चू सिंह) के विरुद्ध अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक की प्राथमिक जांच के फलस्वरूप स्कूल का सामान गायब करने एवं बालाहार सामग्री के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं। प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में अनुदान सूची में लाये गये जूनियर हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय

13—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जूनियर हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विगत वर्ष 1975-76 में आवर्तक अनुदान की सूची में रख कर अनुदान दिया गया और अभी कितने बाकी हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1975-76 में 296 जूनियर हाई स्कूलों एवं 254 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया।

813 जूनियर हाई स्कूल एवं 539 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकी हैं।

14—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन महाविद्यालयों को 1975-76 वर्ष में आवर्तक अनुदान दिया गया और अभी कितने महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें अब तक आवर्तक अनुदान नहीं मिल सका है?

श्री अम्मार रिजवी—

19 महाविद्यालयों को 1975-76 वर्ष में दिनांक 1 मार्च, 1976 से अनुदान सूची पर लाया गया है और 64 महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें अब तक आवर्तक अनुरक्षण अनुदान नहीं मिल सका है।

15—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

मारपीट एवं आगजनी के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा रोके गये परीक्षाफल

16—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों में से गत तीन वर्ष के अन्दर कितने

परीक्षार्थियों का परीक्षा फल अनुचित साधन, मारपीट, आगजनी आदि के कारण रोका गया है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हो सका है ?

श्री अम्मार रिजवी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गत तीन वर्ष की परीक्षाओं के जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अनुचित साधन, मारपीट, आगजनी आदि के कारण अभी तक घोषित नहीं किए गए, उनकी संख्या निम्नवत् है :

वर्ष		अनुचित साधन	मारपीट, आगजनी आदि
1973	..	शून्य	37
1974	..	शून्य	59
1975	..	शून्य	181
योग	..		277

कर्णाली एवं जलकुन्डी योजनाओं की रूप-रेखा

17—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्णाली एवं जलकुन्डी योजना के निर्माण हेतु भारत एवं नैपाल सरकार के बीच वार्ता एवं पत्राचार हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में प्रगति क्या है तथा उक्त दोनों योजनाओं की रूप-रेखा क्या है ?

श्री लोकपति—

जी हां, मामले में अभी बातचीत चल रही है।

योजनाओं की प्रारम्भिक रूपरेखा संलग्नक में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 488 पर।)

प्रदेश में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचाई योजना

18—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेशीय स्तर पर एकड़ों में कितने अधिक एकड़ में सिंचाई का कार्य क्रम बनाया गया है तथा उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री लोकपति—

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना में प्रस्तावित सिंचाई योजना के माध्यम से योजना के अन्तिम चार वर्षों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

(1) वृहत्त एवं माध्यमिक सिंचाई योजना से	.	40.93 लाख एकड़
(2) राजकीय लघु सिंचाई द्वारा	..	20.75 लाख एकड़
योग		61.68 लाख एकड़

आजमगढ़ में नलकूपों की निर्माणाधीन नालियों तथा नलकूपों का पुर्ननिर्माण

19—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे नए एवं पुराने नलकूप हैं जिनकी नालियां नहीं बनी हैं और न बनने के कारण इन नलकूपों द्वारा सिंचाई कार्य नहीं हुआ ? इन नलकूपों पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री लोकपति—

केवल 50 नये नलकूपों की नालियां अपूर्ण है जो निर्माणाधीन हैं। जितनी नालियां निर्मित हो चुकी हैं उनसे इस नलकूपों द्वारा 1840 एकड़ की सिंचाई हुई। इन 50 नये नलकूपों के निर्माण पर लगभग 45 लाख रुपया व्यय हुआ है।

20—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे पुराने नलकूप हैं जिनकी पानी देने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और उनकी बोरिंग नए स्थानों पर होनी है? क्या धनाभाव के कारण उनकी बोरिंग नए स्थानों पर नहीं हो सकी है?

श्री लोकपति—

ऐसे केवल छः नलकूप थे। इन 6 नलकूपों में से 5 नलकूपों का पुनर्निर्माण हो गया है, शेष एक का पुनर्निर्माण इस वर्ष प्रस्तावित है।

प्रश्न का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं। माननीय सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति कहने के लिए खड़े हुए हैं। आप उनको रोकना चाहते हैं। आपको क्या आपत्ति है?

श्री श्याम लाल रावत—

मैं व्यवस्था उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या व्यवस्था चाहते हैं, जब वह खड़े हैं।

श्री श्याम लाल रावत—

मेरा 36वां सवाल है जिसका लिखित जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप कार्यालय में आकर कह सकते थे और सचिव से कह सकते थे।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन**

श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)—

मैं सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का वित्तीय प्रतिवेदन, जो इसके पृष्ठ 1 पर उल्लिखित 15 नियमावलियों और परिशिष्ट (1) के रूप में समिति की कतिपय पिछली संस्तुतियों पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं। समिति ने इन नियमावलियों आदि की जांच करके कई सिफारिशें की हैं, जिनमें से सामान्य प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1—समिति आशा करती है कि पिछली प्रतिनिहित विधायन समिति की इस संस्तुति का पूर्णतया पालन किया जाएगा कि यदि कोई नियमावली गजट में उस समय प्रकाशित की जाए जब सदन का सत्र हो रहा हो तो उसे सात दिन के भीतर सदन के पटल पर रख दिया जाये और यदि नियमावली उस समय गजट में प्रकाशित की जाय जब सदन का सत्र न हो रहा हो तो उस नियमावली को सदन के पटल पर जब वह पहली बार नियमावली के निर्माण के बाद समवेत हो, रखा जाये (पृष्ठ 3)।

2—समिति यह अपेक्षा करती है कि नियमों में जो शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाय उसको सदन के पटल पर अवश्य रखा जाया करे और यह भी अपेक्षा करती है कि शासन अपने समस्त विभागों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दे। (पृष्ठ 6)।

**छापा नहीं गया।

3—समिति यह सिफारिश करती है कि जब कोई नियमावली या संशोधन नियमावली साधारण गजट या असाधारण गजट में प्रकाशित की जाए तो उसके साथ उसकी वे प्रतियां भी, जो विधान सभा या विधान परिषद् के पटल पर रखने के लिए अपेक्षित हों, छपवा कर मंगा ली जाया करें। (पृष्ठ 9)।

4—समिति यह आशा करती है कि किसी अधिनियम के बनने के उपरान्त उसके अधीन नियमों के बनाए जाने में किसी भी दशा में विलम्ब नहीं किया जायेगा (पष्ठ 10)।

5—किसी नियमावली से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उस नियमावली में निर्दिष्ट किसी अन्य नियमावली आदि के विषय में, चाहे वह किसी दूसरे विभाग से सम्बन्धित हो, समुचित जानकारी रखनी चाहिए और समिति द्वारा सूचना मांगी जाने पर अपवंचनात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए। (पृष्ठ 18)।

6—समिति इस बात पर सन्तोष प्रकट करती है कि शासन ने समिति की संस्तुतियों में निहित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में जो भी विज्ञप्तियां प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जायेंगी वे समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रख कर की जायेंगी। समिति आशा करती है कि इस सम्बन्ध में सब विभागों को पथ-प्रदर्शनार्थ एक सरकारी आदेश जारी कर दिया जायेगा।

परन्तु इस सम्बन्ध में समिति का दृढ़ मत है कि किसी नियमावली द्वारा आवश्यक विधायी कृत्यों के लिए प्रयोज्य शक्ति का प्रयोग करके किसी अधिनियम में संशोधन या परिवर्तन किया जाना अवैध और अनुचित है। (पृष्ठ 68–69)।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन**

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति विशेषाधिकार समिति श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री हरीराम माली, जिला गोरखपुर तथा श्री प्रेम पाल सिंह रावत (बालयोगेश्वर) डिवाइन लाइट मिशन, हरिद्वार, जिला सहारनपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जो माननीय अध्यक्ष द्वारा 8 मई, 1973 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

मुख्य राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि संशोधन विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 489–492 पर)

**छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976

पशुपालन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 493–498 पर।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976

हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा मैं, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुन : अधिनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगें पृष्ठ 499–500 पर।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, राम कुमार दीक्षित एवं मोती लाल देहलवी, सदस्य,

विधान सभा द्वारा 2 मई, 1973 को कानपुर में श्री राम कुमार दीक्षित एवं श्री मोती लाल देहलवी की गिरफ्तारी की सूचना सदन में न दिए जाने के सम्बन्ध में कानपुर के जिलाधिकारी; ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गिरफ्तार करने वाले दरोगा तथा सजा देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकारी की अवहेलना का मामला समाप्त किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

कृपया यह तो बता दें कि यह अभियोग सिद्ध हुआ है या नहीं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिल बलिया) —

इस बारे में कोई संक्षिप्त में सूचना तो सदन को देनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या कि सूचना देनी चाहिए या नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आखिर कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से आप इसे समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रतिवेदन की जो प्रतियां हैं, वे तो वितरित हों गई हैं ?

(कई सदस्य— नहीं हुई हैं)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, कानपुर के जिलाधिकारी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गिरफ्तारी करने वाले दरोगा तथा सूचना देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना इनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में समय से देनी चाहिए थी उन्होंने दी या नहीं ? यदि नहीं दी तो उनके खिलाफ जो विशेषाधिकार बनता है और समिति ने अपनी संस्तुति कर दी है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला इनके खिलाफ क्यों समाप्त किया जाय, यह जानना चाहता हूं ?

***मुख्य मन्त्री** (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, अभी-अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो आइटम 15 में यह प्रस्ताव किया कि "उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय" उस पर निर्णय हुआ कि विचार किया जाय। सम्मानित सदस्य जो अब तक इस पर अच्छी तरह विचार कर रहे हैं, उन्होंने समिति की संस्तुतियों को देखा होगा। इस प्रतिवेदन की संस्तुति के पृष्ठ 3 में सर्वसम्मति से विशेषाधिकार समिति की जो संस्तुति है वह यह है, "—जिलाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में विलम्ब के लिए खेद प्रकाश किया है। इसको देखते हुए समिति यह समझती है कि इस मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है और इस मामले को समाप्त किया जाय।"

इस सम्मानित सदन की यह परम्परा या ट्रेडीशन है कि विशेषाधिकार समिति, जो हमारी ही बनायी हुई समिति है, उसकी अगर कोई सर्वसम्मति संस्तुति हो तो उसे स्वीकार किया जाता रहा है और इसमें जिलाधिकारी ने खेद प्रकाशित किया, तो प्रिविलेज की यह भी परम्परा रही है कि अगर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकाशित कर दिया जाय और उसका लिखित प्रकाशन होता है तो उन्हें माफी दे दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय संसदीय कार्य-मन्त्री ने संस्तुति समिति की रखी है, वह स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि सर्वश्री कल्पनाथ सिंह,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

राम कुमार दीक्षित एवं मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा 2 मई, 1973 को कानपुर में श्री राम कुमार दीक्षित एवं श्री मीतीलाल देहलवी की गिरफ्तारी की सूचना सदन में न दिए जाने के सम्बन्ध में कानपुर के जिलाधिकारी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गिरफ्तार करने वाले दरोगा तथा सजा देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि "पैट्रियाट" के संवाददाता श्री सलाउद्दीन उस्मानी के साथ भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों द्वारा अभद्र व्यवहार एवं मार-पीट किए जाने तथा श्री रघुवीर राम व श्री रामजी सिंह, सदस्य, विधान सभा को भारतीय क्रांति दल के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा पीटे जाने व धमकाए जाने की शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इसमें मैं वही कहना चाहता हूं कि यह बता दें कि समिति की संस्तुति क्या हैं और क्या कारण बताए हैं जिससे कि इसको मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आप जो इसकी अवाप्ति है, उसको पढ़ दीजिए तो स्पष्ट हो जाय।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

(व्यवधान) वे तो ट्रेंड हैं। सबको आप से ट्रेनिंग की जरूरत है। आप बुजुर्ग हैं हमें भी जरूरत है ट्रेनिंग की आप से। इसमें इस प्रकार है—

चूंकि शिकायतकर्ता सदस्य, श्री रघुवीर राम, श्री रामजी सिंह, जिनके साथ शिकायत में मार-पीट करने की बात कही गयी है, संवाददाता समिति के सेक्रेटरी श्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने श्री सलाउद्दीन उस्मानी के साथ अभद्र व्यवहार एवं मार-पीट सम्बन्धी संकल्प श्री अध्यक्ष के पास भेजा, "पैट्रियाट" के संवाददाता श्री सलाउद्दीन उस्मानी तथा श्री सन्त सिंह युसुफ, सदस्य, विधान सभा, जिनका घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहना कहा गया था, को बराबर स्मरण कराए जाने पर भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी है, अर्थात् श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री शारदा प्रसाद रावत, उनका यह कहना है कि अभद्र व्यवहार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व मारपीट या धमकी दिए जाने की शिकायत सत्य से परे है, ऐसी परिस्थिति में समिति यह समझती है कि शिकायतकर्ता एवं वे व्यक्ति जिनके साथ अभद्र व्यवहार व मार-पीट की शिकायत की गयी है, इस मामले में रुचि नहीं रखते हैं और तथ्य सम्बन्धी प्रश्न विवादास्पद है, जिनके सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः समिति यह संस्तुति करती है कि इस मामले को समाप्त किया जाय।

मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया गया है और विद्वान समिति ने यह उचित समझा कि उसकी पूर्व परम्पराओं और सदन की गरिमा को बनाए रखा जाय। इसलिए यह उचित ही होगा कि इस मामले को समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि "पैट्रियाट" के संवाददाता श्री सलाउद्दीन उस्मानी के साथ भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों द्वारा अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किए जाने तथा श्री रघुबीर राम व श्री रामजी सिंह, सदस्य, विधान सभा को भारतीय क्रान्ति दल के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा पीटे जाने व धमकाए जाने की शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शिशुपाल सिंह मलिक तथा श्री कृष्णपाल अवस्थी, सब-इन्सपेक्टर, पुलिस, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार का मामला समाप्त किया जाय।

श्रीमन्, शिकायतकर्ता श्री सूबेदार सिंह इस मामले में बराबर सूचना देने पर भी कुछ कहने को तैयार नहीं हैं और 15 जुलाई, 1975 को बुलाने पर भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न उनके द्वारा आरोपित सब-इन्सपेक्टरों के लिखित बयानों (जिनकी प्रतिलिपि श्री सूबेदार सिंह को भेजी गयी थी) में किए गए तथ्यों का खंडन ही नहीं किया गया बल्कि अपने दिनांक 20 फरवरी, 1975 के पत्र द्वारा पूरे पुलिस प्रशासन के कथित कुचक्र और सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कुछ नए आरोपों का हवाला देते हुए अपने द्वारा चुप्पी साधे रहने का यह कारण बताया कि समिति उनकी रक्षा करने में असमर्थ ही रहेगी। अतः उक्त लिखित बयानों, ए0 डी0 एम0, भोगांव, जिला मैनपुरी व सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट तथा समिति की जानकारी में आए अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति का यह निश्चित मत है कि श्री सूबेदार सिंह के साक्ष्य के बिना इस मामले में अन्य किसी का साक्ष्य लेना या आगे की कार्यवाही करना कोई माने नहीं रखता। अतः

[श्री अम्मार रिजवी]
सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर साक्ष्य के लिए आए थे, उनका साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त स्थिति में इस मामले में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना समिति के लिए सम्भव नहीं है। अस्तु, समिति के मत में इस मामले को समाप्त किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्ण मामला है। माननीय सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं, वह विशेषाधिकार समिति के अन्दर जाता है और खुद वहां पेश नहीं होते। मैं समझता हूं कि इस पर आपका कोई आबजर्वेशन हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था मैं नहीं देता। कोई चाहे तो सदन में आ सकता है, कोई चाहे तो न आए, कोई चाहे तो सवाल को उठा सकता है, कोई चाहे तो किसी सवाल को उठा कर आधे पर छोड़ दे या उसको पूरी तरह से चलाए, यह उसकी जिम्मेदारी है। मैं इस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहता।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शिशुपाल सिंह मलिक तथा श्री कृष्णपाल अवस्थी, सब इन्सपेक्टर पुलिस, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार का मामला समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबूलाल वर्मा एवं दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा के इस कथन पर कि जब 300 रुपए ही विधायक बेचारे को मिलता है तो बेईमानी न करे तो क्या करे, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबू लाल वर्मा एवं दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा के इस कथन पर कि जब 300 रुपए ही विधायक बेचारे को मिलता है तो बेईमानी न करे तो क्या करे, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किए जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री मुहम्मद असरार अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः इसे समाप्त किया जाय।

मान्यवर, श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी, जिलाधिकारी, आजमगढ़ का यह कहना कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि निरोध या परिरोध के प्रकार में परिवर्तन होने पर उसकी सचना भी माननीय अध्यक्ष को दी जानी आवश्यक थी, ठीक नहीं है। सदन की नियमावली के नियम 80 में यह स्पष्ट दिया है कि जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दन्डीय अपराध के लिए बन्दी किए जाय या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति, न्यायाधीश या दन्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी बन्दीकरण निरोध या दोषसिद्ध के कारण दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा। बन्दीकरण या निरोध के प्रकार में परिवर्तन होना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उसके कारण में परिवर्तन हुआ है ? अतः माननीय श्री शिव प्रसाद जो 23 मार्च, 1976 से पूर्व डी0 आई0 आर0 में बन्दी थे, जब मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये तो सदन को उनकी सेवा से वंचित किये जाने के कारणों में परिवर्तन हो गया और सदन को ऐसे परिवर्तन की सूचना देना आवश्यक था। जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने यह सूचना विलम्ब से भेजी और उचित सावधानी नहीं बरती। उन्होंने सूचना विलम्ब से भेजने के लिये अपने लिखित वक्तव्य व मौखिक साक्ष्य में खेद प्रकट किया और उसका कारण अपनी जानकारी का अभाव बताया है। अतः समिति यह समझती है कि इस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है और इसे समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन को अभिपुष्टि करते हुये यह मत व्यक्त करता है कि श्री शिवप्रसाद, सदस्य, विधान सभा को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में, जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री मुहम्मद असरार अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः इसे समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन की अभिपुष्टि करते हुय यह मत व्यक्त करता ह कि श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षाधिकारी, जालौन द्वारा श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा क साथ अशिष्ट व्यवहार तथा सदन के प्रति कथित अपमानजनक शब्दों के प्रयोग किये जाने के संबंध में श्री मलखान सिह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

मान्यवर, रिपोर्ट में यह है कि श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अयोध्या प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विस्तृत विवेचना एवं विचार करने के उपरान्त समिति ने श्री अयोध्या प्रसाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के आचरण के सम्बंध में यह मत व्यक्त किया कि उनकी बातचीत व व्यवहार में तेजी कर्तव्य-निष्ठा में कमी व शासकीय पत्रों को अपने पास रखने के आवांछनीय दोष पाये गये हैं तथा यह निश्चय किया कि श्री मलखान सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के अनुसार श्री अयोध्या प्रसाद से 13 मई, 1974 को श्री मलखान सिह की भेंट होना तथा श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा माननीय सदस्य के प्रति अशिष्ट व्यवहार तथा माननीय सदन के सदस्यों के सम्बन्ध में अपशब्द कहे जाने का मामला संदिग्ध और अस्पष्ट है। अतः समिति सदन से सिफारिश करती है कि इस मामले को समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षाधिकारी, जालौन द्वारा श्री मलखान सिंह, सदस्य विधान सभा के साथ अशिष्ट व्यवहार तथा सदन के प्रति कथित अपमानजनक शब्दों के प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976†

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक जो पेश किया जा रहा है, चूंकि यह बहुत सालों से असमानता लगान में चली आ रही थी, उसको मुख्यतः दूर करने के लिये इस विधेयक के बारे में

---

†2 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो मुख्य आइटम है, तथा इस प्रदेश में जो ऐक्ट हमारे लागू थे, जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन, यू0 पी0 विलेज आबादी ऐक्ट, 1947 का संशोधन, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का संशोधन, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन, इनमें भी कुछ संशोधन किये गये हैं और जमींदारी विनाश में जो भूमि 122 धारा में आती थी, उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि अगर 122 (ख) के अनुसार किसी गांव समाज की जमीन पर किसी अधिकृत कब्जे वाले के खिलाफ बेदखली दायर हो, अगर वह टाइटिल का पक्ष अपने पक्ष में लाता है, तो उसको 3 महीने का समय दिया जायगा कि वह उच्च अदालत से इसका स्टे करा कर न्याय करा सके। 122(ग) में श्रीमन्, उन शिल्पकारों की परिभाषा की गयी है जो कि उन ग्रामों में जुलाहे का काम करते थे और उन शिल्पकारों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह शिल्पकार नहीं माने जायेंगे, जिनकी आमदनी 2400 रुपये से अधिक हो। इसी तरह 123(क) जोड़ कर इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सजा दी जा सकती है। 134 से 137 तक संशोधन करके जो भूमिधरी सनद थी और उस भूमिधरी सनद के बनाने में जो हमारे गरीब किसानों के साथ रुपये का लेन-देन चलता था और मैंने मुआइने के दौरान इस बात की काफी चेकिंग की, लेकिन इस भूमिधरी के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सका, तो उस पर यह संशोधन किया जा रहा है कि भूमिधरी सनद की अब आवश्यकता नहीं होगी और जो भूमिधर बनना चाहते हैं, वह सीधे दरख्वास्त देंगे और तहसीलदार उस दरख्वास्त पर निर्णय दे देंगे और खतौनी में भूमिधर दर्ज हो जायगा। श्रीमन्, इस तरह से जब उसका आदेश हो जायगा, तो उस दिन से वह भूमिधर मान लिया जायगा और सनद अलग से बनने में जो भ्रष्टाचार होता था, वह खत्म कर दिया जायगा। अब सनद बनने की आवश्यकता नहीं है।

154 में बड़ा क्रान्तिकारी संशोधन है। वह जो विदेशी नागरिक थे, उनको किसी प्रकार का क्रय करने का और उनको किसी जमीन को खरीदने का अधिकार जो था, उसको खत्म कर दिया गया है कि बिना वह राज्य सरकार की परमिशन के न क्रय कर सकता है और न उसको ले सकता है। और अगर इस धारा का उल्लंघन करता है तो वह जमीन गांव समाज में निहित हो जायेगी। श्रीमन् 245 और 247 दफा में जो संशोधन किये गये हैं, उनके अनुसार सीरदार और भूमिधर के लगान में समानता की गयी है। सिर्फ प्रतिबन्ध यह लगा दिया गया है कि वह लगान, जिसको मैं विवरण के साथ सदन को बतला दूंगा, असिंचित भूमि का लगान 5 रुपये प्रति एकड़ से लेकर 10 रुपये प्रति एकड़ तक होगा और सिंचित भूमि का लगान 10 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति एकड़ तक होगा। जब जमींदारी कायम थी किसान जमीन्दार को अपने मुआहिदे के हिसाब से जो लगान देता था वह बहुत ऊंचा लगान देता था और उसी तरह की जमीन को जमीन्दार अपने किसी नौकर या भाई भतीजे को कम लगान पर देता था। उन जमींदारों की जो सीर थी, खुदकाश्त थी उसका लगान बहुत ही कम था। 6, पैसे प्रति एकड़ था। और जो रियासतें थीं उन रियासतों में लगान बहुत ज्यादा है। तो इस असमानता को दूर करने के लिये हम एक समानता लाये हैं और इस प्रतिबन्ध के साथ लाये हैं कि 5 से 10 रुपये प्रति एकड़ असिंचित भूमि के लिये और 10 से 20 रुपये तक प्रति एकड़ सिंचित भूमि के लिये लगान होगा। इसके ऊपर कुछ चर्चा हो सकती है कि आप लगान बढ़ा रहे हैं लेकिन लगान बढ़ाने का प्रश्न नहीं है बल्कि लगान को समान करने का प्रश्न है। किसी का बढ़ भी रहा है तो किसी का कम भी हो रहा है। मेरे सामने एक एक्जाम्पिल है--60 डिसमिल का अगर 54 रुपये लगान है तो वह 90 रुपये होगा। तो इस असमानता को दूर करने के लिये यह है। क्योंकि यह सेटलमेन्ट बहुत पुराना है, लगान कम है। नये सेटलमेन्ट की बात राज्य सरकार ने मंजूर कर ली है लेकिन पूरे सूबे में नया सेटलमेन्ट लागू करने की बात सोचें तो इसमें 10-12 और 20 साल तक लग सकता

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

है। और इस तरह से जो हम सबमें समानता लाने की बात सोच रहे हैं लगान में सबको इतने सालों तक समानता मिल नहीं पायेगी और निर्बल वर्ग का बड़ा नुकसान हो जायेगा। इसलिये जिले-जिले में सर्किल रेट के हिसाब से कोई ऐसा प्राविधान कर दिया जाय कि अगर सेटलमन्ट रगुलर होगा तो 5 का 6 या 10का 9 या 20 का 15 हो सकता है। इस तरह से राजस्व की वृद्धि का जहां तक प्रश्न ह, इससे राजस्व की वृद्धि हम नहीं कर रहे हैं बल्कि लगान में समानता लाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। जो सीर थी, जो खुदकाश्त थी, उन पर लगान बढ़ना लाजिमी था। क्योंकि जो भूमिधर हैं उनका लगान दस गुना और बीसगुना हो सकता है। मान लीजिये 6 पैसे प्रति एकड़ किसी सीरदार का लगान था और वह भूमिधर हो गया तो अगर उसकी असिंचित भूमि है तो लगान 5 या 6 रुपये बढ़ कर हो गया तो इस तरह से वह 6 पैसे का कई गुना हो सकता है। तो इस तरह से यह कहना कि लगान कई गुना बढ़ रहा है, यह बिलकुल एक तरह से गलतफहमी है। लगान को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लगान को हम समान कर रहे हैं। अगर हम इस लगान को समान नहीं करते हैं तो हमने निर्बल वर्ग के लोगों को जो जमीनें दी हैं पट्टे पर, वह उनको सिविल रेट से दुगने लगान पर दी हैं लेकिन पुराने जमींदार, जिनकी सीर थी, खुदकाश्त थी, अगर उनकी लगान को नहीं बढ़ाते हैं तो हम उस निर्बल वर्ग के साथ अन्याय करते हैं।

जो यह बहुत पुराने लगान, जिसकी चर्चा काफी समय से है आज उसी संबंध में यह विधेयक आपके सामने पेश हो रहा है और मैं चाहूंगा कि इसको क्रांतिकारी समझकर इसको पारित करने में आप सहयोग दें। श्रीमन्, जहां तक बड़ी जमीनों का या खुदकाश्त का प्रश्न उठा, उसके साथ-साथ उनके लगान का उठा, तो हमने विकास-कर से उनका मुआवजा पूरा कर दिया। कृषि विकास कर की जो मौजूदा दरें हैं उसमें सवा 3 एकड़ तक विकास-कर नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन सवा 2 एकड़ से सवा 6 एकड़ तक जो लगान चलता था उसका आधा, यानी अगर लगान 5 रुपये था तो ढाई रुपये विकास-कर था। सवा 6 एकड़ से सवा 12 एकड़ तक लगान का डेढ़ा विकास कर था। अगर लगान 6 रुपये था तो वह 9 रुपये हुआ। सवा 12 एकड़ से ऊपर ढाई गुना था। इसके साथ-साथ बड़े काश्तकारों का, भूमिधरी का विकास-कर था, वह 5 गुना था। तो विकास कर चाहे छोटे काश्तकार हों या बड़े काश्तकार हों, विकास कर से बड़े किसानों का अधिक फायदा हुआ है। वह इस हिसाब से हुआ। साढ़े 12 एकड़ से ऊपर लगान का वह ढाई गुना दे रहे थे और भूमिधरी का 5 गुना था, वह हमने बराबर किया है।

एक सदस्य—

आपने बड़े किसानों को फायदा दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बड़े किसानों के लगान में जो बढ़ोत्तरी हुयी उसका मुआवजा हमने विकास कर में किया है। तो वह भी हम नहीं चाहते हैं कि बड़े किसानों का अनुचित लाभ हो। लेकिन छोटे किसानों का जो विकास कर था डेढ़ गुना, उसको हमने आधा किया है। सवा 6 एकड़ से 12 एकड़ तक और सवा 3 एकड़ से सवा 6 एकड़ तक जो आधा था उसको अब 1/3 किया है। तो इस हिसाब से सबको फायदा हुआ है। बड़े किसानों के सम्बन्ध में जो अनियमितता थी, लगान बढ़ा हुआ था, उसको हमने इससे पूरा कर दिया है। इसी तरह से थोड़ा संशोधन चकबन्दी में है। जहां चकबन्दी हो चुकी है और अगर चकबन्दी हुये 10 साल हो गये हैं तो वहां दोबारा चकबंदी करायी जा सकेगी। तो इसमें धारा 4 (क) में यह प्राविधान किया गया है। जहां दोबारा चकबंदी कराने की आवश्यकता थी, तो इसीलिये यह प्राविधान किया गया है। धारा 5 में चकबन्दी में यह स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है कि जहां अधिकतम जोत सीमा की कुछ कार्यवाही चल रही है या भूमिधर बनाने की कार्यवाही चल रही

है। तो उसका जो खाता होगा उसकी चेकिंग से जो जमीन निकलेगी उसको हम ग्राम समाज की जमीन एलान कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, अगर किसी गांव में आधे गांव में या उसके एक भाग में चकबन्दी हो चुकी है, पूरे गांव में चकबन्दी नहीं हुयी है तो उसके बारे में क्या कुछ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दफा 52 में तो श्रीमन्, पूरे गांव की चकबन्दी होती है।

श्री अध्यक्ष—

मेरी जानकारी है कि आधे गांव में हो गयी है और आधे गांव में नहीं हुयी है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कहीं-कहीं कुछ एरिया अलग कर दिया गया है जहां चकबन्दी नहीं हुयी है। अब कानून सुधारा गया है। अगर 40 या 30 परसेन्ट सिंचित भूमि मिलती है तो चकबन्दी का आर्डर दे दिया जायगा। कहीं-कहीं ऐसा हुआ है कि गांव वालों ने दरख्वास्त दी है तो छोड़ दिया गया था। बड़े-बड़े किसानों ने इस बात की दरख्वास्तें दी थीं कि चकबन्दी न हो क्योंकि इससे उनके अवैध कब्जे निकलते हैं, तो छोड़ने को दरख्वास्तें आती हैं। तो उनको भी ले रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो चकबन्दी के लायक हो और चकबन्दी न हो।

श्रीमन्, दफा (धारा) 52 में यह व्यवस्था की जा रही है कि गांव समाज के जो पट्टे निरस्त किये जायेंगे उसके चकों में उस गांव समाज के पट्टों का क्षेत्रफल होगा वह अलग करके गांव समाज में निहित हो जायेगा। श्रीमन्, जो विलेज ऐक्ट है इसमें भी थोड़ा संशोधन है कि धारा 5 जमींदारी विनाश अधिनियम जो था उसमें मकान स्वामियों को नहीं मिल पाते थे उसमें गृह-स्वामियों को बिना किसी अपने मकान के या पुनर्निर्माण करने या नया निर्माण या मरम्मत में परमीशन लेना पड़ता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। जो मकानदार हैं वह मकान नया बना सकता है, मरम्मत भी करवा सकता है।

श्रीमन्, लैन्ड रेवेन्यू में हमने भूमिधर और सीरदारों के अतिरिक्त आसामियों और सरकारी पट्टों को पास बुक भी देने का प्राविधान कर दिया है। विकास-कर का जो ऐक्ट था उसको हमने आपके सामने रख दिया और कुमायूं तथा उत्तराखंड में यह संशोधन किया है कि पर्वतीय क्षेत्र की मालगुजारी एक एकड़ बराबर डेढ़ एकड़ के होगी। ऐसे संशोधन हैं। म आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

हमारी कितनी मालगुजारी हो जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उसका फाइनल रूप अभी नहीं आया है। मैं समझता हूं कि मालगुजारी का सवा-गुना बढ़ सकेगा। बड़े काश्तकारों की बढ़ेगी। इस मंशा से यह बिल नहीं है कि मालगुजारी या लगान बढ़ाना है।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के जरिये से विधेयकों में संशोधन किये जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मुख्यत: इस विधेयक का मकसद, दलील चाहे जो दी जा रही हो, राजस्व मंत्री जी द्वारा, लगान म बढ़ोत्तरी करना है। बाकी संशोधन या तो बहुत छोटे-छोटे हैं या केवल संशोधन जो मूल अधिनियम था उसमें कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं, ऐसा लगता है। अब पहला सवाल, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि सरकार का कोई इरादा नहीं है कि लगान में बढ़ोत्तरी की जाय बल्कि इरादा यह है कि लगान में जो असमानता है, वह दूर कर दी जाय। उद्देश्यों में एक बात लिखी है जिसको कि राजस्व मंत्री जी ने नहीं कहा है वह यह है कि सरकारी संस्थाओं द्वारा और सहकारी संस्थाओं द्वारा जो किसानों को ऋण दिये जाते थे वह मालगुजारी के अनुसार तय होते थे। चूंकि किसानों का लगान कम दर्ज था इसलिये अधिक ऋण देने में कठिनाई होती थी। अब लगान बढ़ जायेगा इसलिये आवश्यकतानुसार ऋण देने में आसानी होगी। किसान की वास्तविक मालियत जो है उसमें तो तब्दीली नहीं आयेगी केवल लगान बढ़ने से मालियत बढ़ जायेगी। यह कैसा उदाहरण है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा क्रांतिकारी चाहे जितनी हो लेकिन किसान इससे बुरी तरह से परेशान रहेंगे। अब मान्यवर, अगर यह आपका वाकई इरादा था कि आप बराबरी करना चाहते हैं जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सीर और खुदकाश्त पर लगान बहुत कम था लिहाजा उसको हम बढ़ा रहे हैं तो खाली सीर और खुदकाश्त का लगान बढ़ाया जायेगा। जब जमींदारी बिनाश में यह आया कि कोई भी आदमी दस गुना जमा करके उस के बाद बीस गुना जमा कर के भूमिधर खेती कर सकता है और सदैव के लिए उसका लगान आधा हो जायेगा। अब मान्यवर, कल्पना नहीं कर सकते राजस्व मंत्री कि इस प्रदेश में कितने छोटे और मध्यमवर्ग के किसान हैं जिन्होंने बीस गुना और दस गुना जमा करके अपना लगान कम कराया। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने नया विधेयक ला कर असमानता दूर करने का प्रयास किया है और इसी अधिनियम के अन्दर और इसी घोषणा के बाद सरकार ने अब उनका लगान सदैव के लिये आधा रह जायगा। आप उसको फिर जस्ट डबल कर रहे हैं सरकिल रेट का दुगुना। भले ही घोषणा के प्रलोभन में वह आया हो लेकिन आज बहुत गलत काम हुआ है। कितने लोग प्रभावित हैं कोई सीर खुदकाश्त नहीं प्रभावित हुआ है राजे, महराजे नहीं, प्रभावित हुए हैं। छोटा किसान वाकई जिसके मन में अभिलाषा थी भूमिधर होने के लिए लगान जमा कर के बरबाद होने जा रहा है।

अब दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि अगर यह वाकई में आपका इरादा था कि आप असमानता दूर करें तो यह बात सही है कि इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, असमानता दूर करने में लगान कम भी हो सकता था और लगान की वृद्धि भी हो सकती थी। आपने जो फारमूला अपनाया है उसके हिसाब से पूरे राज्य में लगान जो लागू होगा वह सवा गुना, डेढ़ गुना बढ़ा है। असमानता दूर करनी थी तो आप जिन लोगों का स्वामित्व है, जो लगान देते थे उनके लिये कानून बना कर उनका लगान कम कर सकते थे और इस प्रकार से असमानता दूर हो सकता थी और टोटल राजस्व कम हो सकता था। यह फारमूला कि हम असमानता दूर कर रहे हैं लेकिन असलियत क्या है? जो लगान की दर है उससे पहाड़ में चार गुना, पांच गुना लगान बढ़ा है। राजस्व मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार लगान पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। बहुत से काश्तकार हैं उनके ऊपर नोमिनल पांच रुपया, दस रुपया हो सकता है। जो सीर खुद काश्त के लोग थे उनका लगान कम था बहुत बढ़ेगा तो सिंचित क्षेत्र के लिये दस रुपया और 11 रुपया पहुंच जायगा और असिंचित के लिये पांच और 6 के करीब पहुंच जायगा लेकिन छोटे काश्तकार के लिये यह नहीं होगा। बड़े आदमियों को फिर फायदा मिल जायगा। छोटे-मोटे किसानों के राजस्व मंत्री जी हमें दर्द हैं लिहाजा जो 10 सिंचित वालों या 20 सिंचित वालों में पहुंच जायेंगे उनके साथ फिर एक ज्यादती हो जायगी।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि आपने कह तो दिया कि आप असमानता दूर करना चाहते हैं परन्तु असली मकसद आपका लगान के बढ़ाने से है, राजस्व को बढ़ाने से है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या लगान की बढ़ोत्तरी जरूरी है या वास्तव में आपने किसानों के सारे पहलुओं पर गौर किया है? खाद्य के अन्दर सही है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है चाहे देहात में वह पहुंची हो या ना पहुंची हो। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिये गये हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि नहर के पानी का रेट बढ़ाया गया है? क्या यह बात सही नहीं है कि खाद का दाम दुगने से ढाई गुना हो गया है? तो इन सारी चीजों पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी चीजें किसान के उपयोग में आती हैं उन सारी की सारी चीजों के दाम बढ़ते चले गये हैं और जिन किसानों की असमानता दूर करने का कार्य है वह न आपके मन में है और न वर्तमान मंत्रिमंडल की इच्छा है। बिजली का रेट बढ़ता है, नहर का रेट बढ़ता है परन्तु गेहूं के दाम, धान के दाम घटते चले जा रहे हैं। तो मान्यवर, यदि आपको राजस्व बढ़ाना है और आपको किसानों के प्रति हमदर्दी है तो आप 10 एकड़ से ऊपर वालों पर लगान की वृद्धि कीजिये लेकिन उसमें आपका मन नहीं करता है और यह बात सही होती है कि बड़े-बड़े किसानों को वाकई में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है और प्रदेश के सारे छोटे किसानों पर राजस्व का भार लादा जाता है। जो कुछ आपने किया है उससे छोटे किसानों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। भूमि आवंटन के सिलसिले में हरिजनों एवं भूमिहीनों के साथ क्या-क्या गड़बड़ियां हुई हैं।

अब मान्यवर, मैं सिंचित क्षेत्र की परिभाषा जो आपने दी है उसको पढ़ता हूं "1379 फसली से 1383 फसली (दोनों को सम्मिलित करते हुये) के बीच किसी तीन कृषि वर्ष में प्रत्येक में कम से कम एक फसल की सिंचाई किसी स्रोत से की गयी हो।" अब मान्यवर, किसी स्रोत से किसी ने अगर 3 साल तक सिंचाई कर ली हो तो वह 10 से 20 में चला गया। यह जानी मानी बात है कि किसान अपना खेत सींचने के लिये, सरकारी व्यवस्था हो या न हो, ट्यूबवेल हो या न हो अगर आपकी नहर पहुंचती हो तो कोई आपत्ति नहीं, कच्चा कुआं खोदकर और मेहनत करके 3 साल तक सींच लेता है। तो वह इस बात के लिये गुनाहगार है कि उसका सिंचित क्षेत्र जो है वह 10 से 20 में पहुंच जायगा। तीन वर्षों में एक-एक फसल रबी, खरीफ की सींच ले किसी तालाब, नदी या नाले से या किसी भी स्रोत से वह सिंचाई कर लेता है तो उस पर 10–20 केटेगरी लागू कर दी जायगी। बहुत से छोटे किसान 2, 3 अथवा 4 बीघे वाले हैं जो कच्ची कुइयां खोद कर दूर-दूर तक नालियां ले जा कर अपने खेतों के सींचते हैं और लेखपाल खेत में जा कर उनको सिंचित लिख देता है चाहे वह खेत किसी भी स्रोत से सींचा गया हो तो उन खेतों पर यह केटेगरी लागू कर दी जायगी। एबसोल्यूट डिस्क्रीशन लेखपाल को हो जाता है किसको सिंचित तथा किसको असिंचित लिख दे। इस सम्बन्ध में धांधली शुरू हो गयी है। गांव–गांव में किसान पूरी तरह से परेशान है। लेखपाल ने लिख दिया कि तुम्हारा लगान इतने गुना बढ़ने वाला है। इससे किसानों को परेशानी और असंतोष है। मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि यह काफी विचारणीय प्रश्न है। राजस्व को बढ़ाने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। बड़े लोगों पर कर लगा सकते हैं, छोटों को मुक्त किया जा सकता है लेकिन असमानता को दूर करने के नाम पर, ऋण की सुविधा देने के नाम पर जो यह विधेयक लाया जा रहा है इससे मझोले किसान जिनका देश व प्रदेश में बाहुल्य है, इस बढ़ते हुए लगान से प्रभावित होने वाले हैं।

जो लोग अवैध कब्जा हटाने में दिलचस्पी रखते हैं या अवैध कब्जा हटाने की बात करते हैं, वे भी जानते हैं छोटे किसानों की हालत बहुत सोचनीय है और यह जो विधेयक लाया गया है जहां तक मैं समझ पाया हूं इससे कोई खास बात होने नहीं जा रही है।

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

122(ख) के अन्दर नोटिस देने के पश्चात अवैध कब्जा करने वाले आदमी को नोटिस दिया जाय। वह पहले यह शो कर सकते थे कि उसका बोना फाइड पजेशन है और कलेक्टर साहब संतुष्ट हो जायं तो एक महीने का समय उसको देते थे। धारा 229, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अपने अधिकारों की घोषणा के लिये तब वह दावा कर सकता था। लेकिन संशोधन में यह है कि उसको तीन महीने का समय दिया जा रहा है। पहले बोनाफाइड पजेशन वाला व्यक्ति जहां 229 (ख) में सीमित क्षेत्र में दावा दायर करने की घोषणा कर सकता था वहां अब वह किसी भी काम्पीटेंट कोर्ट में कर सकता है। इसमें कौनसा क्रान्तिकारी परिवर्तन आपने कर दिया? पहले एक प्रेसक्राइबड कोर्ट थी, अब आपने वह जूरिस्डिक्शन खोल दिया, कहीं भी वह दावा दायर कर सकता है और दावा दायर करने के बाद कलेक्टर साहब को उसके विरुद्ध सारी कार्यवाही स्टाप करनी पड़ेगी। फैसला होने पर अगर बेदखल हो गया तो कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं होगा कितनी ही अपीलें मान्यवर, रिवीजन की कोर्ट में पेंडिंग में चली आ रही हैं। 20 साल तक इन्तजार करने के बाद कहीं नम्बर आता है। माननीय राजस्व मंत्री जी फिर कहते हैं कि अवैध कब्जा हटाने के लिये वह क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। अगर अवैध कब्जा हटाने की बात है और जो समय की मांग है और 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करना है तो उसे सिम्पल करें और अगर बोनाफायड कब्जा किसी का है तो कलेक्टर उसे देख ले और उस व्यक्ति को उसका अधिकारी घोषित कर दे। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि उनको कब्जा मिल जाय तो इसको देर तक लटकाये न रखें। इस वक्त जो आपकी व्यवस्था है उससे तो लगता है कि कुछ लोगों को छूट दे रहे हैं।

एक बात मान्यवर, आपने 123(ख) इसमें जोड़ कर अच्छा किया है। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि कैसे प्रोसीडिंग लांच की जायेगी और कौन इसको करेगा, किसको इसका अधिकार दिया जायेगा। तो इसके लिये मेरा ख्याल है राजस्व मंत्री जी 6 महीने बाद या कोई व्यवधान पड़ने के बाद या हाईकोर्ट के कहने पर कि मामला गड़बड़ी का है तो कोई संशोधन विधेयक लायेंगे। तो मान्यवर, जिस चीज को वाकई में हमें करना है, चाहे उसमें कुछ कमजोरी हो,उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिये तभी आप क्रांतिकारी कदम उठा पायेंगे।

एक बात और कही गई है भूमिधरी के मामले में लगान की धांधली दूर करने का प्रयास किया गया है। पहले मान्यवर, इसमें लगान का 20 गुने से 10 गुना कर दिया गया था लेकिन फिर आप इसमें 10 से 20 गुना करने जा रहे हैं। इसमें आप फिर उनको निरुत्साहित करने जा रहे हैं। तो यह जो आप संशोधन करने जा रहे हैं इससे लगता है कि कुछ बनने वाला नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था थी वह अच्छी थी। अब जो कर रहे हैं वह गड़बड़ वाली है। पहले मान्यवर, यह था कि जिस भूमिधर ने पैसा जमा कर दिया उस तारीख से वह सीरदार का अधिकारी हो जाता था और भूमिधर हो जाता था लेकिन अब वह बात नहीं है। अब बाकायदा उसके लिये डिक्लियर करना होगा धारा 135 के अन्दर जिसे असिस्टेन्ट कलेक्टर साहब करेंगे तब कहीं वह भूमिधर होगा। तो इससे तो काम्प्लीकेशन पैदा हो गया। पैसा जमा करने से लेकर असिस्टेन्ट कलेक्टर साहब के डिक्लियर करने तक उसे लेखपाल, कानूनगो, पेशकार और अहलमद तक सबके पास दौड़ना पड़ेगा। असिस्टेन्ट कलेक्टर से तो किसी को मिल पाना आसान नहीं है शायद उससे असानी से भगवान मिल जाय लेकिन असिस्टेन्ट कलेक्टर नहीं मिलेंगे। आप इस 20 सूत्री कार्यक्रम में भी देख लें कि महीने में एवरेज 20 घंटे या 25 घंटे बैठते होंगे। उसका कारण है। वे दोषी नहीं हैं। आप जो बराबर नई-नई स्कीमें निकालते जा रहे हैं और यह समझ लिया है कि एस0 डी0 ओ0 आदि सर्वशक्तिमान हैं, उसके ऊपर जो लाद दिया जाय, वह करेगा, यह इसके पीछे कारण है। अब जब तक असिस्टेंट कलेक्टर

घोषणा न करे, वह नहीं होगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें इससे कौन सा क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया गया है। इससे व्यवहारिक कठिनाइयां और बढ़ गयी हैं और कुछ हल होने वाला नहीं है।

कंसालिडेशन ऐक्ट में भी अमेण्डमेंट किये गये हैं कि 10 साल के बाद फिर चकबन्दी की जा सकती है। लेकिन इतना करना काफी नहीं है। पहले का जो कंसालिडेशन ऐक्ट है, उसमें धारा 49 है, जिसका जिक्र कई बार इस सदन में भी हो चुका है। जिसमें यह है कि अब ओपेन नहीं हो सकता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या होगा? क्या केवल चक ठीक करने के लिये चकबन्दी होगी या पूरा अधिकारों के बारे में तय होने वाला है? यह आपको देखना है इसे इसमें तय नहीं किया गया है।

संयुक्त आबादी ऐक्ट में जो बात कही गयी है, वह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां जमींदारी विनाश कार्यान्वित नहीं हुआ है। सन् 1952 में जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पास हुआ तो कुछ क्षेत्र उस वक्त छोड़ दिये गये, फिर कुछ लिये गये, फिर कुछ क्षेत्र छोड़ दिये गये, फिर लिए गये, फिर छोड़े गये। तो यह किस्तों में मामला क्यों किया गया और अब भी कुछ क्षेत्र बाकी हैं। आप केवल कच्चे का पक्का बनाने को क्रान्तिकारी कदम कहते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब भी प्रदेश में ऐसी जगहें हैं, जहां जमींदारी विनाश ऐक्ट लागू नहीं हुआ। तो वह चीज क्या पीछे हटाने वाली है या आगे बढ़ाने वाली है। क्या इसको वह अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे?

अब विकास कर की बात है। जो लगान में बढ़ रहा है, उसको विकास कर में हम कम कर रहे हैं—यह कहा गया है। यह देखने में बात सही है, लेकिन जब लगान बढ़ जाएगा, तब उसका तिहाई तो विकास कर भी, पूरे केलकुलेशन से ऊपर ही चला जायगा। मैं जानना चहता हूं कि इस तरह की मोटी—मोटी चीजों को क्या मंत्री जी ने पहले से देख लिया हैं? इसको देखा होता तो यह विकास-कर भी बढ़ेगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि इन सारे सवालों पर विचार करने के लिये यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री दीप नारायण पान्डेय (जिला गोन्डा)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 रखा गया है, उसके विषय में मैं कुछ आपकी आज्ञा से सरकार से कहना चाहता हूं। मान्यवर इस विधेयक का मुख्य अर्थ यही है कि किसानों के ऊपर लगान बढ़ाया जाय। वैसे और कई संशोधन किये गये हैं उनके विषय में ज्यादा न कहकर उनका स्वागत ही करता हूं। लेकिन एक बात दिमाग में आती है इसलिये कि हम लोग देहातों से चुन कर आये हैं। जब हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं, किसान अक्सर एक प्रश्न किया करता है उसका समाधान इस सदन को करना है। आज हम लगान तो बढ़ा रहे हैं। लगान बढ़ने से किसान उतना चिन्तित नहीं है। लगान देने के लिये भी किसान तैयार है। लेकिन प्रश्न है कि वह जो चीज पैदा करता है उसको उसकी लागत के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है? आज स्थिति यह है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा, आज ही लिख कर दिया गांवों की हालत पूरे प्रदेश में यह है, मैंने और जगहों की भी खबरें लीं और लोगों से बातचीत की, धान सरकार 74 रुपये प्रति क्विन्टल पर खरीदने के लिये बाध्य है, एफ0 सी0 आई0 बाध्य है, लेकिन देहात में धान एक रुपये का दो किलो, तीन किलो बिक रहा है। 105 रुपये प्रति क्विन्टल का भाव गेहूं का निर्धारित किया गया है उसकी भी कीमत घट गयी है। मार्केट में परचेजिंग पावर समाप्त हो रही है। एक तरफ किसान कर्जे से दबा है। अभी माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह ने कहा और मैं भी कहता हूं जो बड़े—बड़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

किसान हैं या समाज के जो बड़े-बड़े वर्ग हैं पैसा उनसे वसूल होना चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सरकार को करीब 540 करोड़ रुपया चाहिए जिसमें 74 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि आप अपनी तरफ से बन्दोबस्त कीजिये। बाकी पैसा हम देंगे। ऐसी बात नहीं है कि देश और समाज उन्नति नहीं कर रहा है। लेकिन इस उन्नति के साथ-साथ किसान दबा जा रहा है। किसान के बिजली के दर बढ़े, नहर के दर बढ़े, सिंचाई के दर बढ़े। ये जो सारी चीजें हो रही हैं इस देश और प्रदेश में, हम कहते हैं कि 80 फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। उन गांव वालों के लिये सोचना चाहिये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का लगान आप बढ़ा दें लेकिन इस सरकार को बहुत संजीदगी के साथ यह सोचना चाहिये कि आज जो उसकी चीजों के भाव बाजार में गिरते जा रहे हैं उसका दाम उसको ठीक से मिले। किसान लगान देने से नहीं घबड़ाता लेकिन किसानों की जो दुर्दशा है मैंने गोंडा जिले के अधिकारियों से भी कहा, केवल दो क्रय केन्द्र धान के खोले गये हैं। सरकार को बहुत संजीदगी के साथ किसानों के भविष्य के बारे में सोचना है। मैंने कई बार यह भी कहा कि जो पैसा सरकार ले रही है उसको यह भी देखना है कि उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

इस विधेयक में सिंचित और असिंचित शब्द आया है। वह कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सिंचित और असिंचित जो गांव का लेखपाल कर देगा वह जो तहसीलदार और कलेक्टर को रिपोर्ट दे देगा वही मान लिया जायगा। माननीय मंत्री जी भी रेवेन्यू विभाग को अच्छी तरह से जानते हैं। वकील भी रह चके हैं। लेखपाल और कानूनगो बगैर पैसा लिए हुए सिंचित और असिंचित नहीं लिखेगा। यह स्थिति आने वाली है। इसके लिये क्या होगा, इसके लिये भी सरकार को सोचना चाहिये। सिंचित और असिंचित शब्द में यह समस्याएं किसानों के सामने आएंगी। पटवारी कानूनगो किस तरह के होते हैं यह जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनको इसका अन्दाजा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लगान बढ़ रहा है, सिंचित और असिंचित की परिभाषा ठीक से करनी चाहिये वरना भ्रष्टाचार गांव-गांव और प्रदेश भर में फैल जायेगा। किसानों के लिये जो हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उनकी भलाई के लिये कानून बनाना चाहते हैं, तो उससे उनकी भलाई नहीं होगी और उनका गला ही दबेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके विकास के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। विकास के लिये सरकार के पास पैसा कहां से आवे यह सोचने की बात है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा बड़े लोगों से लिया जाये। सरकार को सोचना पड़ेगा कि पैसा कहां से लिया जाये? किसानों की चीजों के दाम बहुत कम हो गये हैं। सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ कदम उठाना पड़ेगा जिससे जो उत्पादन किसानों द्वारा किया जा रहा है उसके दाम गिरने न पावे। मान्यवर, आप जानते हैं कि किसानों की परचेजिंग कैपासिटी कम होती जा रही है। इसलिये वह पैसा कहां से दें उसकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना पड़ेगा। अगर और लोग मीसा और डी० आई० आर० में बन्द हो सकते हैं तो जो लोग किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं उनको भी मीसा के अन्तर्गत बन्द करना चाहिये। मुझे आशा है कि जिन बातों को मैंने सदन के समक्ष रखा है उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और मैं अन्त में अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*2—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय पाण्डे जी बेचारे दरख्वास्त कर रहे हैं कि विचार कर लो और सरकार ने विचार कर लिया और अच्छी तरह विचार कर लिया और यह विधेयक पेश कर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार क्या किया कि समानता लाना चाहते हैं । समानता लाने के लिये एक क्रान्तिकारी विधेयक चाहिये और वह क्रान्तिकारी विधेयक यह है । मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश का विकास करना है तो विकास करने के साधन जुटाने पड़ेंगे और वित्तीय साधनों की खोज करनी पड़ेगी, लेकिन आप कहां से वसूल करना चाहते हैं सीर और खुदकाश्त के ऊपर कम लगान था। अगर ऐसा था तो उसका लगान बढ़ा देते, लेकिन उसके नाम पर सभी लोगों का लगान बढ़ाना कहां का न्याय है। मान्यवर, केवल लगान का ही प्रश्न नहीं है, आप जानते हैं कि बिजली की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, खाद की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं और नहर के पानी की कीमतें कितनी बढ़ चुकी है लेकिन किसान की वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ी हैं बल्कि उनके दाम बहुत गिरे हैं जिससे उनकी क्रय शक्ति बहुत कम हो गयी है। आप कपास के दाम देखें और कपड़े के दाम देखें और सरसों के दाम देखें तथा सरसों के तेल के दामों को देखें तो मालूम हो जायगा कि कितना अन्तर है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को विदित नहीं है कि पौड़ी-गढ़वाल के लगान की बढ़ोत्तरी 20 गुनी से भी ज्यादा हो जायेगी। माननीय मंत्री जी कोटद्वार गये थे तो यह प्रश्न उनके सामने आया था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप एक खाता लेकर चलें और फिर देखें कि किस खाते पर लगान बढ़ रहा है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप अपने किसी अधिकारी से मालूम कर लें कि पौड़ी-गढ़वाल में 20 गुना लगान बढ़ गया है और मेरे जिले में 5-10 गुना बढ़ गया है। सिंचित और असिंचित का जो आपने मापदंड रखा है वही पहाड़ में भी रखा है। सिंचित क्षेत्र की परिभाषा माननीय राम चन्द्र बक्श सिंह जी ने की है। पहाड़ में बरसाती नाले से अगर 3 वर्ष में भी कभी पानी दे दिया गया तो वह भी सिंचित क्षेत्र की परिभाषा में आ जागया। दूसरे, आपने इन क्षेत्रों के लिये मैदानी इलाके में और पहाड़ी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं किया है ।

(इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

माननीय मंत्री जी ने 1 1/2 एकड़ का मापदंड कर दिया है। सीलिंग का जब कानून बना था तो 2 एकड़ का 1 एकड़ बना था और यह जो कानून बना है इसमें 1 1/2 एकड़ कर दिया गया है। मेरे विचार में यह मापदंड हर जगह के लिये युनिफार्म होना चाहिये। मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पहाड़ के जो अन्य सदस्य हैं वे कहेंगे कि हम लोगों को देहातों में जाना मुश्किल हो जायगा और मैं कहता हूं कि आपकी ओर ही पहाड़ों के लोग ज्यादातर हैं। अगर आपको पैसा ही देना था तो बड़े-बड़े जो काश्तकार हैं उनसे विकास कर के रूप में लेकर आप पूरा कर सकते थे लेकिन इस समय जबकि किसान खुद परेशान हैं, उनकी हालत खस्ता होती जा रही है, मैं समझता हूं कि उन पर कर लगाना उचित कदम नहीं है। मुझे यह भी यकीन है कि शासन पक्ष के जो लोग हैं वे भी आज ही महसूस कर रहे हैं अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कोई जल्दबाजी न की जाय और इसे प्रवर समिति में भेज दिया जिसमें शासक दल के लोग भी होंगे और वे इस पर विस्तृत रूप में विचार करेंगे। आज प्रदेश में एक असंतोष पैदा हो रहा है। अतः मेरे प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें ।

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में आज विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद]

इस विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, यू0 पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1900, उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर अधिनियम, 1972 और कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1960 में कुछ संशोधन किए गये हैं और जो हमारे सामने रखे गये है। यह जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है इसकी धारा 5 की उप-धारा (3) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति ने गांव समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है और उसके कब्जे और उसकी अपने पहले की जोत मिलाकर गांव समाज की 3 1/8 एकड़ तक हो तो वह व्यक्ति उससे बेदखल नहीं किया जायगा बल्कि उसका वह सीरदार बना दिया जाय। यह व्यवस्था पिछले बार भी की गयी थीं लेकिन कुछ शाब्दिक संशोधनों के कारण इसमें स्पष्ट किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत से हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य नहीं किया, जिसके कारण बड़ी दिक्कत हो गयी उसके कारण 30 जून तक जो छूट दी गयी उसमें यह व्यवस्था रही कि जो व्यक्ति 30 जून, 1975 तक गांव समाज की जमीन पर काबिज हों इन वर्गों के, उनको तो सीरदार मान लिया गया लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो मौके पर गांव समाज की जमीन पर काबिज हैं और उनको वर्ग 4 में नहीं लिखा गया है उनको सीरदार नहीं बनाया गया।

उदाहरण के लिये मैं जहां से आता हूं, कानपुर की घाटमपुर तहसील ग्राम कोटरा की बात कहता हूं कि 22 वर्षों से 4–5 हरिजन गांव समाज की जमीन पर काबिज हैं लेकिन उनको सीरदार नहीं बनाया गया। इसी तरह से जौनपुर जिले में मछली शहर तहसील में कबीरपुर गांव है, वहां कुछ हरिजनों ने कुछ गांव समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो 15(सी) का मामला चलाया जा रहा है जबकि वे इस नियम के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों को यह नियम मालूम नहीं है। शाहगंज तहसील में मनहर रसूलपुर गांव है, वहां पर कुछ हरिजन ऐसे हैं जिनका गांव समाज की जमीन पर कब्जा था लेकिन उनका नाम वर्ग चार में दर्ज नहीं था। जमीन उनको न देकर दूसरे हरिजनों को एलाट कर दी गयी और जिन्होंने फसल बो रखी है जब वे काटने लगे तो एक हफ्ते के अन्दर की बात है, 5 हरिजन अरेस्ट हो गये। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था की गयी है उसका पालन नहीं होता है, उसके कारण यह हैं कि अगर कागज में वर्ग 4 दर्ज है तब तो मानते हैं, लेकिन मौके पर चाहे कितने ही दिनों से कब्जा चला आता हो उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें। अगर अधिकारी संतुष्ट हो जांय कि गांव समाज की जमीन पर अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति या जन-जाति के लोग काबिज हैं और वह 3 1/8 एकड़ के अन्दर नियमतः आते है तो उनको सीरदार बनाने की व्यवस्था की जाय। इसके कारण और नये झगड़े पैदा हो गये हैं। कहीं हरिजन आबाद है, कहीं जमीन जोत रखी है तो भी उनको सीरदार नहीं बनाया गया और वह जमीन दूसरों को अलाट कर दी गयी, तो इससे हरिजनों में झगड़े होगये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मौके पर कोई एक हरिजन काबिज चला आ रहा है और 3 1/8 एकड़ के अन्तर्गत उसकी कुल जमीन आती है तो उसको सीरदार बना दिया जाय, वह जमीन दूसरे को आबंटित न की जाय।

दूसरे, जो विधेयक है इसमें नयी धारा 123 (ख) बढ़ायी जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि गांव समाज की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत कब्जा करता है, वह हटा दिया जाता है और फिर वह उस जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उस नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं साथ–साथ दी जा सकती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में 5, 13, 735

एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटाये गये हैं। वैसे जो और उत्तर प्रदेश के विकास की दशा है इसमें है कि 4, 94,214 एकड़ भूमि के कब्जे हटाये गये हैं। मैं समझता हूं ये आंकड़े कुछ पहले के हैं। तो चाहता यह हूं कि ये अनधिकृत कब्जे सख्ती से हटाये जायं। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहे हैं कि अनधिकृत कब्जे हैं लेकिन उनपर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूं। पिछली 30 तारीख को हमारे जिले में 20 सूत्री आर्थिक कार्य क्रम कार्यान्वियन समिति की मीटिंग थी। उसके सामने यह मसला आया कि वहां बहुत से कानूनगो और लेखपालों ने वर्ग 4 की रिपोर्ट की है तहसीलदारों के यहां वह रिपोर्ट पड़ी हैं लेकिन 115–सी के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। वहां सदर तहसील में 1 हजार रिपोर्ट वर्ग 4 की पड़ी हुई हैं लेकिन तहसीलदार को मौका नहीं मिल रहा है कि नोटिस इश्यू करे और 115–सी का केस चलाये। उस जमीन को खाली कराने के लिये। इस तरह से प्रदेश में अब भी ऐसी बहुत सी जमीन है जिसे खाली कराने के लिये कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से ऐसे आदेश होने चाहिये कि जितनी भी वर्ग 4 की रिपोर्ट हैं उन पर तुरन्त जमीन खाली कराने के लिये कार्रवाई की जानी चाहिये। इस बारे में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत सी जबर्दस्त लोगों ने कब्जे किये और वह जमीन आवंटित हुई लेकिन बाद में फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में डेरवा एक गांव है, वहां 17 हरिजनों को गांव समाज की भूमि आवंटित की गयी। उनको मौके पर कब्जा दिलाया गया। उन्होंने धान की फसल बोई। फसल जब तैयार हुई तो पहले जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा था उन्होंने आ कर उस फसल को काट लिया और उन हरिजनों को खदेड़ दिया। इसी तरह से बुलन्दशहर जिले के नरायनपुर और रूठा गांवों में जिन लोगों को जमीन आबंटित की गयी उनको कब्जा नहीं लेने दिया। मुजफ्फरनगर जिले के ब्लाक बगरे के रुदौली और शामली के भुज गांव में जिन लोगों को जमीन आवंटित की गयी उन्हें कब्जा नहीं लेने दिया गया। आगरा जिले की चावली तहसील में एतमादपुर गांव में, जहां के माननीय शिवचरन लाल विधायक हैं वहां जिनको जमीन आबंटित की गयी उनको कब्जा नहीं दिलाया गया। खीरी जिले की निघासन तहसील में एक हरिजन को जमीन दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर आइये।

श्री माता प्रसाद—

इसमें है कि 123 धारा के अन्तर्गत अगर कोई जबर्दस्ती कब्जा कर लेगा तो उसको सजा दी जायगी, जुर्माना किया जायगा।

हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अगर हरिजन कोई गलती करता है तो उसको सजा न दी जाय और गैर–हरिजन कोई गलती करे तो उसको सजा दी जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य को मालूम नहीं है। 30 जून, 1975 तक अगर हरिजन का अवैध कब्जा भी हो तो वह वैध मान लिया जायगा, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

हाफिज मोहम्मद असलम—

वह जमीन जिस पर हरिजन ने कब्जा कर रखा है वह हरिजन को ही दी गयी, तो वह हरिजन जिसके पास कई एकड़ पहले से ही मौजूद है और उसने किसी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है तो वह उस जमीन को भी रखेगा लकिन जिसके पास पहले से कोई जमीन नहीं है उसको नहीं मिलेगी और गैर–हरिजन को मीसा में बंद कर दिया जायगा। यह कोई बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो माननीय मंत्री जी से पूछें।

श्री माता प्रसाद—

3 1/8 एकड़ के अन्दर अगर है चाहे हरिजन हो या गैर–हरिजन तो ठीकहै, लेकिन इससे ज्यादा अगर कब्जा किया है तो वह उससे भी निकाली जायगी। भूमि आबंटन के विषय में भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। इस सम्बन्ध में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 14 लाख 72 हजार एकड़ भूमि आबंटित हो चुकी है जो 17 लाख 22 हजार परिवारों को दी जा चुकी है .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य विषय से बाहर जा रहे हैं। यह भूमि आबंटन पर बहस नहीं हो रही है।

श्री माता प्रसाद—

इसमें नाजायज कब्जों के बारे में है। धारा 5 के अनुसार भूमिधर और सीरदार के बारे में कुछ परिवर्तन किया गया है। अभी तक होता यह था कि भूमिधर का लगान कुछ और रहता था, सीरदार का लगान कुछ और होता था। एक ही जगह एक ही मेड़ पर सीरदार को एक रुपया अगर देना पड़ता था तो उसी का भूमिधर वाले को दो रुपया देना पड़ता था। इससे होता यह था कि गरीब आदमी को ज्यादा लगान देना पड़ जाता था और बड़े आदमी को कम लगान देना पड़ता था। अब इसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि लगान सिंचित और असिंचित के हिसाब से लिया जायेगा।

मान्यवर, मैं सिंचित और असिंचित की परिभाषा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। एक फसली सिंचित भूमि और दो फसली सिंचित भूमि के लगान में फर्क किया जाना चाहिये। एक फसल सिंचित का लगान कम और दो का ज्यादा होना चाहिये।

लेवी के संबंध में यह किया गया है कि 3 1/8 एकड़ तक को लेवी विकास कर नहीं लगाया गया है। उसके ऊपर सवा 6 एकड़ से साढ़े 12 एकड़ तक आधा और उसके ऊपर पूरा लगान के बराबर लेवी लगाने की बात है। जो आर्थिक स्थिति बतायी गयी है तथा विकास के जो काम किये जा रहे हैं उसके लिये यह नयी चीज की जा रही है। अब सीरदार और भूमिधर के अन्तर को समाप्त किया जा रहा है जिसके लिये कि बहुत समय पहले से माननीय सदस्यों की मांग रही है। यहां सदन में उसके लिये प्रश्न भी उठाया गया था। उसी को अब किया गया है जिसका स्वागत होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत भी सुधार किया गया है। इसके अनुसार धारा 52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति होने के 10 वर्ष के भीतर जनहित में सरकार किसी ऐसी जगह पर, जहां चकबन्दी हो चुकी है पुनः चकबन्दी कराने के आदेश कर सकती है। इस संबंध में, मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के बहुत से जिले हैं जहां पर शुरू में चकबन्दी हुई। 7 जिलों की 7 तहसीलों में बहुत पहले चकबन्दी हुयी थी, आज वहां की हालत खराब है। वहां पर नक्शे में कुछ है और मौके पर कुछ है और लिखा कुछ और जाता है। दसों हजार गलतियां एक-एक जगह पर उस जमाने में हुयी हैं। इसके अलावा उन गांवों में आबादी चकरोड नहीं छोड़े गये, आने–जाने का कोई साधन नहीं है। चक बहुत टेढ़े–टेढ़े कर दिये गये हैं। छोटे–छोटे किसानों को कई–कई चक दिये गये हैं। मान्यवर, उस समय स्वाभाविक था जब चकबन्दी शुरू हुई थी, उस समय हमारे जो अधिकारी थे उनको उतनी जानकारी नहीं थी और जनता को भी जानकारी नहीं थी। जिन तहसीलों में चकबंदी सबसे पहले की गयी, वहां के किसान बहुत परेशान हैं। मैं समझता हूं कि इसके द्वारा सरकार ने सराहनीय निर्णय लिया है कि जहां पर चकबंदी 10 वर्ष पहले हो गयी है वहां पर फिर चकबंदी की आवश्यकता है। यह तो ठीक

है कि जहां पर 10 वर्ष पहले चकबन्दी हो गयी थी, वहां पर फिर से चकबंदी आप कराने जा रहे हैं।

मान्यवर, वहां पर एक स्थिति और पैदा हो गयी है, जहां पर राम गंगा, शारदा सहायक गंडक योजनाएं हैं, वहां पर चकबंदी तो हो गयी है लेकिन वहां पर नहरों का जाल सा बिछा दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि जो बड़े-बड़े किसान थे, उन बड़े-बड़े किसानों के खेतों के बीच से नहर चली गयी है। उन किसानों के कुछ खेत तो उस नहर के एक भाग की तरफ पड़ गया है और कुछ भाग नहर के दूसरे भाग की तरफ पड़ गया है। जिन छोटे किसानों के खेत से नहर गयी है, उसका तो ज्यादा से ज्यादा खेत नहर में ही निकल जाता है। तो इस तरह से बड़ा किसान उस तरह से बेकार हो जाता है और छोटा किसान इस तरह से बेकार हो जाता है। सरकार मुआवजा देती है, लेकिन किसान मुआवजा नहीं चाहता है। उसको मोआवजा नहीं चाहिये। इस संबंध में मान्यवर, एक सुझाव है कि जहां पर चकबन्दी हो गयी है, जहां पर नहरों की योजना खासकर शारदा सहायक, राम गंगा और गंडक की चल रही है, उन जिलों में मेरी मांग है कि वहां पर 10 वर्ष न भी हुआ हो, चकबन्दी कराये, तब भी वहां पर चकबन्दी पुनः करायी जाय। वहां पर चकबन्दी कराने से सरकार का फायदा है। इससे बड़े किसानों की जमीन नहर के एक तरफ हो जायगी। उसमें किसी को मुआवजा न दिया जाय। किसानों को मोआवजे के बदले, जितनी जमीन नहर में निकली है, उतनी जमीन सारे किसानों की जमीनों से कटौती करके दे दी जाय। जो बड़ा किसान हो, उससे ज्यादा जमीन और जो छोटा किसान हो उससे कम जमीन ले कर डाल दी जाय। उससे यह होगा कि छोटा किसान जो होगा उसको भी चक मिल जायगा। बड़े किसान को फायदा यह होगा कि जो नहरों के दो तरफ जमीन हो जाती है एक तरफ हो जायगी। चकबन्दी का खर्चा किसानों से सरकार न ले। मैं समझता हूं कि यह हिसाब लगाया जाय कि जितना मोआवजा दिया जा रहा है, उस मोआवजे से कम खर्च पड़ेगा चकबंदी का। आजकल सरकार जो मोआवजा दे रही है, वह आजकल की मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे रही है। मान्यवर, मुआवज में काफी रकम देनी पड़ेगी किसानों को। अगर उसके बदले में मुआवजा न दे करके सरकार किसानों से खर्चा न ले और वह अपनी तरफ से चकबन्दी करा दे तो मुआवजे में से काफी रुपया बच जायेगा।

हमारे सिंचाई मंत्री जी यहां हैं नहीं, उन्होंने कई मीटिंगों में घोषणा की है। एक कारण और भी है। किसानों को जब यह मालूम होता है कि नहर हमारी जमीन में से निकल रही है और उसका मुआवजा हमें मिलेगा तो वह उसमें बहुत बाधा डालता है और असानी से अपनी जमीन नहीं देना चाहता है। इस वजह से हमारे नहरों के चालू होने के काम में देर होती है। लोग मुकदमे में चले जाते हैं। अगर किसानों को यह विश्वास हो जाय कि फिर से चकबन्दी होगी और हमारे चक जो दो तरफ बंटे हुए हैं एक तरफ हो जायेंगे और छोटे किसानों को भी जमीन मिल जायगी, सभी की जमीन में से कटौती करके नहरों में दे दी जायेगी तो किसानों को सन्तोष हो जायेगा और इस आधार पर बहुत से किसान उनका विरोध नहीं कर सकेंगे और इससे नहरों के खुदने में भी बहुत सुविधा होगी। सिंचाई मंत्री जी अब आ गये हैं। मैं समझता हूं कि वे अपना प्रभाव डाल कर, माननीय राजस्व मंत्री जी से मिल कर इस काम को करायेंगे। किसानों के हित के लिये ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। जहां पर भी चकबन्दी हो गयी है और यह योजना चल रही है या चलेगी, वहां पर भी पुनः चकबन्दी करायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, माननीय सिंचाई मंत्री को दूसरा विधेयक तैयार करने के लिये सुझाव देना चाहते हैं तो आपके विचारों का समावेश इस विधेयक के अन्तर्गत कैसे किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

मेरी मंशा वही है जो आप समझ रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इनके भाषण को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसे या तो आप समझ रहे हैं या ये ही समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको अपने से ही फुर्सत नहीं है। आप समझने की कोशिश करें तो जरूर समझ जायेंगे।

श्री माता प्रसाद—

यह सही है कि एक बार पहले भी यहां पर सवाल आया था। जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम या चकबन्दी अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। कई संशोधन इनमें हो चुके हैं। तो होना यह चाहिये था कि जितने भी संशोधन आज तक हो चुके हैं उन सबको एकत्र करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाय तो इससे सुविधा होगी। एक-दो साल में कुछ संशोधन हुए, कभी कुछ संशोधन हुए, उन सब के एक जगह एकत्रित रूप में न मिलने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करने करने से सभी लोगों क अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो इस कानून के अनुसार निर्णय करते हैं, वकील हैं या जनता है उनको जानकारी हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय रामचन्द्र बक्श सिंह द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस वक्त हमारे देश में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन और हरित क्रान्ति के नारे दिये जा रहे हों और जिस समय सारे प्रदेश में बाढ़ और सूखे से विषम स्थिति पैदा हो गयी हो, उस समय माननीय मंत्री जी द्वारा विकास-कर बढ़ाना और लगान बढ़ाना और उसके लिये इस विधेयक को पास कराना एक बहुत ही असामयिक कदम है। मान्यवर, इस विधेयक से जो इस वक्त किसानों के बीच चिंता और परेशानी है उसको मैं सदन के सामने और सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज विधेयक पेश हो रहा है और इसके पहले जब से किसानों को मालूम हो गया कि हमारा लगान बढ़ाया जा रहा है, विकास-कर बढ़ाया जा रहा है तब से उनको ज्यादा चिंता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित कराकर आप किसानों के साथ नाइंसाफी करेंगे। एक तरफ तो देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिये, देश को आगे ले जाने के लिये तमाम कल्याणकारी कानून और योजनायें बनायी जा रही हैं और दूसरी तरफ इस वक्त इस विधेयक को पारित करना किसान पर करारी चोट होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या औचित्य है कि आप किसानों पर बोझ लादने जा रहे हैं। सिंचाई की दरें इतनी ज्यादा है और सिंचाई की कोई गारंटी नहीं है। न बिजली की कोई गारंटी है कि कब मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसान को सस्ती दरों पर खाद मिलेगी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसी चीज की गारंटी नहीं है। सिंचाई मंत्री जी आ गये हैं मैं उनका ध्यान बांदा और बुन्देलखंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले के अन्दर बंधों में पानी होने के बावजूद भी वहां के इंजीनियर्स ने वहां के नौकरशाही रवैये के कारण पानी नहीं दिया गया और हजारों एकड़ फसल सूख गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो राजस्व विभाग का विधेयक है, सिंचाई का नहीं है।

श्री देव कुमार यादव—

जब किसानों के खेत की सिंचाई होगी तभी राजस्व वसूल होगा। मान्यवर, उनको जब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्या औचित्य है कि विकास-कर और लगान बढ़ाया जाय? इसी तरह से बिजली के लिये 15 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से वसूल किया जायगा चाहे बिजली मिले या न मिले चाहे, सिंचाई की गयी हो या न की गयी हो। इसी तरह से सरकार गल्ले का दाम तय कर देती है और जो फैक्टरी के प्रोडक्शन्स हैं, जैसे चीनी, कपड़ा आदि के दाम और कैसे तय करते हैं बात किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, इस विधेयक के जरिये जो कानून लाया जा रहा है उससे किसानों के बीच में बहुत चिंता पैदा हो गयी है। जैसे अंग्रेजी जमाने में तामम किसानों ने खेती से इस्तीफा दे दिया था वही स्थिति आज पैदा कर रहे हैं। सिंचाई का बोझ, विकास-कर का बोझ, बिजली का बोझ किसान उठा नहीं पायेगा। किसान या तो खेती से इस्तीफा दे दे या फिर जमीन बेच कर भूमिहीन हो जाय।

प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े किसान कम हैं। 75-80 फीसदी छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके उपर टैक्सेज का बोझ आने वाला है। मैं खासतौर से मंत्री महोदय का ध्यान सिंचित-असिंचित के सम्बन्ध में, बुन्देलखंड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड के संबंध में जोतसीमा अधिनियम, जमींदारी अधिनियम में तरह-तरह की छूट दी गयी थी। लेकिन इस अधिनियम के जरिये बुन्देलखण्ड के बारे में कोई छूट नहीं दी गयी है। वहां पर सिंचाई के साधन कम हैं। जो सिंचाई के साधनों से सम्पन्न किसान हैं और जिन्होंने छोटे काश्तकारों की जमीन को ठेके पर लेकर सींच दिया है, 5-10 क्विन्टल लेकर सींच दिया है और उसके बाद छोड़ दिया है तो इस परिभाषा के हिसाब से सिंचित जमीन मानकर आप चलेंगे तो छोटे काश्तकारों पर कितना बड़ा बोझ जाने वाला है यह समझने की बात है। या तो वह जमीन से इस्तीफा दे देंगे, छोड़ने के लिये बाध्य हो जायेंगे या फिर उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। इसलिये ऐसे इलाके में, जहां परमानेन्ट सिंचाई के साधन नहीं हैं, यदि किसी प्रकार एक वर्ष वह सिंचाई कर लेता है तो उसको यदि सिंचित मानकर आप चलेंगे तो उनके पर बहुत बड़ी चोट होगी। इसलिये मंत्री जी इसको जल्दी में पारित न कराकर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और जो महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं उनको शामिल करने के बाद ही इस विधेयक को पारित करें।

श्रीमन्, विकास-कर आप किसानों पर लाद रहे हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि गांव में क्या विकास हुआ है? वहां न बिजली है, न सड़कें हैं और न अस्पताल हैं लेकिन उनके ऊपर एक के ऊपर दूसरा बोझ लादते चले जाते हैं। इसलिये इन विषम परिस्थितियों में इस विधेयक का पारित किया जाना किसानों के हित में नहीं है। अतः इसे प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध करता हूं और आज पारित करने का विरोध करता हूं।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान विधेयक के विरोध में जिस किस्म का वातारण पैदा हुआ है और यह विधेयक पारित होते ही किसानों के ऊपर न जाने कतना बड़ा बोझ हो जायेगा और किसानों की कमर टूटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की विषमता को दूर करने के विचार से यह विधेयक लाया गया है उसमें बड़े-बड़े जमींदार, जिनके पास काफी खेती है और दूसरे केटागरी के छोटे किसान हैं, जो जमींदारों की किसानी करते थे, इन दोनों में कितना बड़ा अन्तर था। उस अन्तर को दूर करने के लिये हमारे राजस्व मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]

इस विधेयक को लाये हैं। हो सकता है कि कुछ किसानों के ऊपर पहले की अपेक्षा लगाना बढ़ जाय लेकिन साथ ही साथ यह देखना पड़ेगा कि कौन-सा वर्ग है जो इससे अधिक प्रभावित होता है। यदि विश्लेषण करें तो ज्यादतर वर्ग ऐसा है जिनके ऊपर लगान बढ़ेगा, वह बड़े काश्तकार हैं।

श्रीमन्, दूसरा संशोधन जो लाया गया है उसमें गांव समाज की जमीन पर जो लोग अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं तो इसमें मुझे शंका है कि जो नाजायज कब्जे गांव समाज की जमीन पर हैं उनको हटाया जायगा। तो आपके पास मशीनरी उनको हटाने की कौन सी है? उनको हटाने की मशीनरी वही है और पिछला इतिहास देखें जिसमें नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार क्या पहले नहीं था? अधिकारियों के पास क्या अधिकार नहीं थे? लेकिन उन लोगों को अधिकारी वर्ग नहीं हटा सका: मन्त्री जी ने तहसीलों में जाकर स्वयं फाइलों को देखा है। तहसीलदार जाते थे और नोटिस जारी कर के लेखपाल से रिपोर्ट ले ली लेकिन उसके बाद वह नोटिस खारिज कर दिया। मैंने राजस्व मन्त्री से विनती की थी कि इस प्रकार का काम किया गया है, इस प्रकार तमाम उस कानून को जिसके पीछे आपका आदर्श था, तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो मशीनरी है उसे आप हटाने की कोशिश करें। जब तक इस प्रकार की मशीनरी हमारे बीच में पनपती रहेगी कोई भी कानून लागू नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात भूमि आबंटन के विषय में कह देना चाहता हूं। इसमें पहले राजस्व मन्त्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि करीब नब्बे फीसदी आबंटन हो चुका है। मेरा अनुरोध है राजस्व मन्त्री से कि इस प्रदेश की कोई भी तहसील आप ले लें और फिजिकल चेकिंग करा लें नब्बे फीसदी तो क्या यदि आपको पचास फीसदी भी आबंटन पूरा मिल जाय और उसी श्रेणी को कब्जा दिया गया हो तो मैं मन्त्री जी को बधाई देने के लिए तैयार हूं। जहां-जहां मौके पर जा देखा गया पूरी कार्यवाही हो चुकी है लेकिन फिजिकल कब्जा देने की कोशिश नहीं की गयी। जैसा मेरे पूर्ववक्ता माता प्रसाद जी ने एक गांव का नाम लिया, वहां के 17 हरिजन आज अस्पताल में दाखिल हैं क्योंकि उन्होंने गांव समाज की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जो एक साल पहले आबंटित हो चुकी थी। आबंटन के समय जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। मान्यवर, पता नहीं ऐसे कितने गांव होंगे। कानून बना देने के साथ-साथ आप को यह भी देखना पड़ेगा कि कानून का इमप्लीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं। यदि आप यह नहीं देखेंगे कि इसके कोई उद्देश्य हासिल होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मान्यवर, लैन्ड रिकर्ड के बारे में कह देना चाहता हूं जिसमें कुछ संशोधन किया गया है। क्या ऐसे लैन्ड रिकार्ड अभी तक मौजूद नहीं हैं जहां एक सौ साल पुरानी बिल्डिंग खड़ी हैं, पचास साल पहले चकबन्दी भी हो चुकी है लेकिन गांव समाज के कागजात में लैन्ड रिकार्ड में राजस्व विभाग के कागजात में बंजर पड़ा है। ऐसे केसेज बोर्ड आफ रेवेन्यू में पेन्डिंग हैं। एक दो साल की बात होती तो कोई बात नहीं लेकिन पचास साल से मकान खड़ा है लेकिन बंजर है, यह सब गलती के आधार पर जो अधिकार है जनता का, शोषण करते हैं। तो कृपा कर के आप कोई कमेटी बना दें पार्टी के सदस्यों की जो इस पर चेकिंग करा लें। मैंने ऐसे कुछ केसेज भी दिए आपको इनक्वायरी करने के लिए और आपने इनक्वायरी करने की कृपा भी की लेकिन यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि मन्त्री जी के प्रयासों के बावजूद अभी वह पत्रावली अधिकारियों द्वारा आपके सामने प्रस्तुत नहीं की जा सकी। कहा जाता है कि अपील पेन्डिंग है जांच हो रही है। अगर इस किस्म की कमजोरी राजनीतिक क्षेत्र में बरती जायगी, धोखा किया जायगा तो कोई व्यवस्था नहीं कायम कर सकेंगे। कोई आस्था जनता को नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसको सफल होने के लिए थोड़ी सी मजबूती अपने ऐक्शन में लायेंगे। जब तक यह नहीं नहीं होगा तब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 जो भूमि के विकास और कृषि विकास, प्रदेश के विकास के लिए है, का समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ-साथ तमाम हालातों को देखते हुए और किसानों की क्षमता को देखते हुए जो यह किसानों पर बोझा लादा जा रहा है यह उचित नहीं है और यह भी हमको ध्यान रखना है जो 80 फीसदी किसान सारे देश में बस रहे हैं उनके रहन-सहन का स्तर क्या है अगर किसी जरिए से किसान की आमदनी हो भी गयी है तो बड़े-बड़े अफसर अर्थशास्त्री देखते हैं कि किसान के पास जो 10-20 रुपए हैं तो उसको कैसे टैक्सेशन के जरिए से ले लें तो यह ज्यादती है। इस तरह इन 80 फीसदी किसानों का रहन-सहन सैकड़ों वर्षों तक ऊंचा नहीं हो सकता है इसलिए यह बोझा किसान के ऊपर लाद देना उचित नहीं समझा जा सकता है।

इसके साथ ही साथ, मान्यवर, हमको तो यह आश्चर्य हुआ है कि पिछले 2-3 महीनों में मैंने अपने क्षेत्र में 15-20 सभायें कीं जो कि 3-4 महीने पहले की बात है तो मुझे विधायक होने के बाद भी पता नहीं है कि लगान कितना बढ़ रहा है जबकि एक किसान को यह पता रहता है कि उससे कितना ज्यादा लगान लिया जा रहा है। वह हमसे पूछते हैं कि आप विधायक हैं तो बताइए कि क्या होने जा रहा है परन्तु यह मुझे नहीं पता हो पाता परन्तु किसान को पता रहता है। तो विधायकों को इतने बड़े मसले को पहले से जानकारी होनी चाहिए और इतना बड़ा विधेयक जिसमें करोड़ों किसान प्रभावित होंगे। इसमें निश्चित रूप से सारे विधायकों को राय ली जानी चाहिए। हम जो यह सब आलोचना करते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मसलों पर विधायकों की एडवांस राय ली जानी चाहिए तभी 80 फीसदी जनता का लाभ होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तहसील विधूना में गांव रजपुरा मौजा बगहीपुर में लोग पिछले 40 साल से काबिज हैं, परन्तु जहां जो काबिज है वह जगह कागजों में ग्राम समाज के नाम दर्ज है, 50 एकड़ जमीन का प्लाट है उसमें 10 एकड़ का पट्टा 40 वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु चकबन्दी के बाद भूमि नम्बर बदल दिए गए पट्टों वाली काबिज दाखिल भूमि को ग्राम समाज और ग्राम समाज की भूमि को पट्टे वाली काबिज दाखिल भूमि दिखा दी गयी है। जो लोग 40 साल से 10 एकड़ की जमीन पर काबिज हैं तो यह पता ही नहीं चलता है कि उनकी 10 एकड़ जमीन कहां गयी, 50 एकड़ में से। इसी तरह से 40 साल से काबिज हैं जीवन 4 में जो चाह अवैध ही क्यों न हो, उनका नाम तो जीवन 4 में होना चाहिए परन्तु जीवन 4 में उनका नाम ही नहीं होता है। इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के 80 प्रतिशत मुकदमें गूल और रास्तों के लिए चल रहे हैं, इस विधेयक में तो नहीं किसी दूसरे विधेयक में, जिसमें उपयुक्त हो, जिसमें रास्तों के झगड़े चाहे तो भी कलेक्टर करे या कोई समिति करे यह फाइनल होने चाहिए इनको अदालत में लाए जाने से रोक दिया जाना चाहिये, तभी किसान सुख की नींद सो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, भले ही किसान सोना देने वाली मुर्गी हलाल हो जाय। मैं अपनी तरफ से कुछ न कह कर मेरे गांव में जो सवाल किसानों ने किए हैं उनको ही इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक किसान ने हम से पूछा कि लगान क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। करोड़ों लोगों पर सर डाले वाला जो यह विधेयक है उसके बारे में विधायक भी पहले से जान लेते? एक किसान ने मुझसे एक छोटा सवाल किया हम यह मानते हैं कि जिस खेत में 15 मन अनाज होता था उसमें 20 मन होने लगा, 5 मन बढ़ोत्तरी हुई लेकिन इसका श्रेय लेने वाले लोग बहुत हैं। सिंचाई विभाग ने कहा हमारी वजह से यह बढ़ोत्तरी हुई। 20 रुपए के बजाय 40 रुपया सिंचाई रेट

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

कर दिया गया। रासायनिक खाद वालों ने कहा कि हमारी वजह से यह बढ़ोत्तरी हुई। उन्होंने 52 रुपए की खाद को 100 रुपए की कर दिया। बीज देने वाले कहते हैं कि हमारी वजह से यह हुआ और 40 रुपए कुन्टल का इस समय धान बिक रहा है लेकिन बीज वाल उसका रेट 170 रुपए चार्ज करते हैं। बिजली वाले कहते हैं कि इतना मिनिमम चार्ज होगा। अच्छा होता कि राजस्व मन्त्री सारे विभागों को बला कर आपस में उनका बंटवारा करा देते। कहीं ऐसा न हो मांस की कौन कहे हड्डी किसानों की चली जाय। राजस्व मन्त्री ने कहा कि वह इसके जरिए पैरिटी ला रहे हैं। किसान भी लगान देने से घबड़ाता नहीं लेकिन उत्पादन खर्च निकाल कर उन्हें कुछ भी न बचे यह कहां का न्याय होगा? खाद्य विभाग ने 74 रुपए धान के दाम तय किए उसका कोई खरीददार नहीं हो रहा है। पिछले साल सेठों के जरिए धान क्रय केन्द्रों पर खरीदा गया। बहुत थोड़े से किसानों के अनाज की खरीद हुई नलकूप विभाग में 9 करोड का घाटा हुआ और यह घाटा भी उन्हीं गरीबों से वसूल किया जायगा जो सिंचाई करेगा 40 रुपए एकड, जो नहीं करेगा, 21 रुपए एकड देगा। इस 21 रुपए के कर को किसान जजिया कर की संज्ञा दे रहा है। उसके लिए भी जमाबन्दी बन रही है। यह सारे टैक्स गरीब किसान पर पड़ जायगा। मेरा तो सुझाव है कि इतनी जल्दबाजी इस टैक्स में करने की जरूरत नहीं थी। विधायकों को बुला लिया जाता। दो दिन देर से यह पास हो जाता। लेकिन एम्बिगुइटी तो दूर हो जाती। किसान उज्रदारी करेगा। 15 दिन का टाइम दिया। लेकिन जिसने कागजात तैयार किया, उसी के यहां उज्रदारी होगी, वही फैसला करेगा और वही फाइनल हो जायगा। इसका जवाब हम उन किसानों को क्या दे सकते हैं?

आज कल नारा यह भी लग रहा है कि पेड लगाए जाएं। सन् 1957 में रेवेन्यू मिनिस्टर ने सुल्तानपुर में भाषण दिया जो खेत में तुख्मी पेड लगाएगा उस पर लगान माफ हो जाएगा। लेकिन अब किसान के जरिए पता चला है कि हालांकि पूर्वी जिलों में तुख्मी पेड़ों से किसान को कोई आमदनी नहीं होती है लेकिन अब सर्किल रेट से उन पर भी लगान पड़ेगा। तो धीरे-धीरे ये पेड कट जायेंगे। इस तरह से करोड़ों पेड जो लगाए गए थे, हालांकि उनमें से बहुत से सूख भी गए होंगे, उनके काटने की हमने व्यवस्था कर दी। मान्यवर, करोड़ों लोगों पर इस विधेयक का असर होने वाला है। इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए आज कैबिनेट अपने एक्सपर्ट्स को बुला कर पूछे 5 मन की बढ़ोत्तरी को किन-किन विभागों में बांटे। यह जो आप करने जा रहे हैं इससे कहीं ऐसा न हो कि किसानों की हड्डी-पसली भी चली जाय। कहीं इससे किसान तबाह न हो जाय।

मान्यवर, चकबन्दी का प्रयोग सबसे पहले मेरे क्षेत्र में हुआ। बहुत गलत चकबन्दी वहां हुई। पुन: होनी चाहिए। किसी को नाली नहीं, कहीं चकरोड नहीं। रास्ते के लिए लाठियां चलती हैं। हम जानते हैं कि मन्त्री जी ईमानदार आदमी हैं और वह करप्शन के विरोधी हैं लेकिन मैंने देखा है कि इस विधेयक के जरिए आप किसानों को लेखपालों के मुंह में डाल देंगे, किसान तबाह हो जायेंगे। इस वक्त इमरजेन्सी में नौकरशाहों को असीमित अधिकार मिला, किन्तु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इससे उनका लाभ जरूर हुआ है। भले ही कुछ सेठ दबे हों, मुनाफाखोर दबे हों लेकिन किसान का कोई लाभ नहीं हुआ। आपको देखना चाहिए कि किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है? आपने 90 रुपए डालडा के टिन के 165 रुपए कर दिए। खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि यह इसलिए किया कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। लेकिन कभी यह भी देखा है कि किसान को कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या पड़ती है और उनके पास क्या बच रहा है। मान्यवर, मैं अपनी तरफ के कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि भावना बतला रहा हूं। जैसा कि गोरे लाल शाक्य जी ने शिकायत की कि जब हम गांवों में घूमते हैं तो किसान हमसे लगान के सम्बन्ध में पूछता है और बताता है कि यह होने जा रहा है वह बात सही है। हमें यह सब पहले से मालूम नहीं होता है। लेखपाल

बताता है या कहीं और से उनको जानकारी होती है। तो इस प्रकार से एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो रही है। भले ही आप इसे हमसे पास करा लें हम पास करने के लिए बैठे हैं, पास करेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसको पास करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि उन लाखों करोड़ों लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा ? उसके लिए सबसे पहले हम उनके सामने जबाब देह होंगे, मन्त्री जी तो बाद में जायेंगे। आप उनको करप्शन के भंवर में डाल रहे हैं (व्यवधान)

चुनाव तो होंगे आप भले ही न चाहते हों, हम चाहते हैं। खैर चुनाव की बात अलग है। मगर इतना जरूर है कि किसानों के हित में हम यहां बैठे हैं लेकिन जो यहां पर आज नहीं बैठे हैं जो विरोध पक्ष के हैं उनको भ्रम फैलाने का अवसर मिल रहा है। वह किसानों से कहते हैं कि इमरजेन्सी तो तुम्हारे लिए लगी है। अभी हमसे एक आदमी ने कहा कि हमारी सिंचाई नहीं हुई है लेकिन हमारे खाते में सिंचाई डाली जा रही है। जिन्होंने 10 हजार रुपया लगा कर डीजल का पम्प सेट लगाया है, क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल पाती है उनको भी हम कमान्ड में ले रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हृदय को उदार करके बैठें और इस पर विचार करें। उज्रदारी फाइनल होगी। उसे असिस्टेन्ट कलेक्टर फाइनल कर रहा है, वहीं फाइनल आथोरिटी होगा। तो इससे किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। एक मर्तबा जब लेवी लगी थी 20-20 रुपया लिखाई अर्जीनवीस ने ले लिया था, वे दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में चली गयीं। इसी तरह से इसमें भी भीड़ होगी। वकीलों की आमदनी बढ़ी, अदालती दलाल अमीर हो जायेंगे और रेवेन्यू अधिकारियों व कर्मचारियों की हम थली भर दग। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसको इस समय तो पास किया जाए और जैसा संशोधन लाना हमारा फैशन हो गया है, इस को फिर दुरुस्त कर दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, हमारे देश में एक बड़ा भारी किसानों का दुश्मन पैदा हो गया है, उसका नाम लकड़वाला है जिसकी रिपोर्ट कल पेश हुई है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है कि किसानों पर बहुत ज्यादा खर्च हो गया है, किन्तु किसानों से जो मिलता है वह बहुत कम है। उस व्यक्ति की रिपोर्ट को पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ। उसने यह गौर नहीं किया कि किसानों की पैदावार बढ़ गई तो लगान भी बढ़ा, खाद का मूल्य बढ़ा, बिजली और सिंचाई के रेट बढ़े तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के दाम भी बहुत बढ़े। उसने सिर्फ यह देखा कि सरकार ने इतना इन्वेस्ट किया है और उससे कम सरकार को मिल रहा है। इसलिए म कहना चाहता हूं कि वह किसानों का दुश्मन पैदा हुआ और सरकार भी उस दुश्मन के कहने पर चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

(किसी सन्दर्भ में) यह हाउस का विषय नहीं है।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी ने भूमिधरी की सनद के बारे में जिक्र किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके पूर्वजों ने जब भूमिधरी का कानून यहां बनाया था, तो कहा था कि 40 साल तक हम किसानों को नहीं छुवेंगे, जिन्होंने 10 गुना देकर भूमिधरी का राईट प्राप्त किया है। किन्तु हुआ क्या उसके बाद पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त दो बार, चीन की लड़ाई के वक्त चवन्नी बढ़ी। फिर उसके बाद तीन-तीन बार विकास-कर बढ़ा और अभी पिछले साल भी बढ़ा। यही गति रही तो मेरा ख्याल है कि 5-6 वर्ष में यह 20 गुना तक चला जाएगा। पिछले साल से 10 गुना पर चला गया है। एक बार विकास-कर लगा। जब यहां पहली बार यह लग रहा था, तो उसका बड़ा भारी विरोध हुआ। हमने खुद मान लिया था कि जमीन के लगान में समानता नहीं है, वह होना चाहिए। उस पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणा जी ने यहां घोषणा की थी—उन्होंने दुबारा बन्दोवस्त कराने के लिए इसी सदन में ऐलान किया था। फलस्वरूप एक कमिश्नर की नियुक्ति की गयी। उस पर लाखों

[श्री ऊदल]

रुपया खर्च हो गया है, बन्दोबस्त कमिश्नर बैठे हुए हैं। अब मन्त्री जी का कहना है कि लगान नहीं बढ़ रहा है, जबकि इनका उद्देश्य है अतिरिक्त आय करना। इनका यह उद्देश्य छिपाए नहीं छिप रहा है। कानून कितना छल-प्रपंच का है, यह देखने की चीज है।

कहा गया है कि किसानों का लगान कम होने की वजह से उनको कर्ज ज्यादा नहीं मिलता है। अब इससे आपको किसने रोका ह आप किसानों के बड़े हमदर्द हैं तो उसको 2 सौ गुना के बजाए एक हजार गुना कर दीजिए। एक रुपए पर दो सौ रुपए मिलता है कर्जा, चाहे कोआपरेटिव बैंक हो या भूमि विकास बैंक अथवा अन्य कोई संस्था हो, मन्त्री जी बड़ी दरियादिली दिखा रहे हैं, दो सौ को एक हजार कर दी जाये तब हम समझें कि आप बड़े दरियादिल हैं। मैंने एक गांव का कागज मंगवा कर देखा। जो रोस्टर रेट है इनका आदेश है, उसको दुगना किया जाय, दुगुना करने पर अगर 20 रुपये से कम पाता है तो बीस रुपए लिया जाय, जिस किसान का पहले से 15 रुपए बीघा लगान था, अब उसका दुगना हुआ साढ़े 31 रूपए। गांव का नाम खररिया है, परगना पंदरह, जिला वाराणसी में। पूरे गांव में एक किसान मिला जिसका पंदरह रुपए एकड़ लगान है। उसका दुगना साढ़े 31 रुपए हुआ। उसका लगान 20 रुपए हुआ। बाकी पूरे गांव का लगान दुगने से ज्यादा हो गया। एक दोस्त उन्नाव से आए। उन्होंने बताया कि 12 लाख का एक तहसील का लगान था वह बढ़ कर तीन-चार गुना हो रही है।

राजस्व मन्त्री अभी दलील दे रहे थे, फरमाते हैं कि हम ने भूमि विकास-कर जो लगाया है उसमें कमी कर रहे हैं। विकास-कर जो पुराना लगान था, उस पर लगा था। अब वह नए बढ़े हुए लगान पर होगा। तो मालूम होता है कि राजस्व मन्त्री माननीय सदस्यों को समझते हैं कि वे बेवकूफ हैं। विकास-कर 50 फीसदी से 33 फीसदी कर रहे हैं। यह भूल-भुलइया है। इस भूलभुलइया में माननीय सदस्य और इस प्रदेश के किसान आने जाने वाले हैं नहीं। मैं इस विधेयक को काले कानून की संज्ञा देता हूं। किसानों के लिए आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि इतने बड़े विधेयक पर, जिस का असर इस प्रदेश में करोड़ों किसानों के ऊपर पड़ने वाला है, इस पर ठंडे दिल से, गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता थी। इस सरकार ने जल्दबाजी में जो कदम उठाया है वह हितकर नहीं है, अहितकर होगा। मैं आज इस बात की चेतावनी देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रदेश का विकास करने के लिए हमें अपने वित्तीय साधन जुटाने पड़ेंगे और अपनी राजनीतिक भावनाओं को या संकोच की भावना को, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को 16 आने मानते हुए, यह देख कर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस विधेयक पर हम बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं, कुछ माननीय साथी बड़े क्रान्तिकारिता दिखाना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में। लेकिन मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं। इस क्रान्तिकारी भावना के साथ ही साथ सन्जीदगी की बहुत जरूरत है। इसके लिए यह आवश्यक है कि माननीय मन्त्री जी इस पर पुन: विचार करें और मेरा उनसे यही निवेदन भी है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को 4-6 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और सरकार उस पर फिर से विचार कर ले तब उसे लाया जाए। मैं नहीं जानता कि मेरे इस निवेदन का मन्त्री जी पर क्या असर होगा, लेकिन इस सदन की नियमावली के अनुसार जब सदन विचार करने के लिए सक्षम है तो वह स्थगित करने के लिये भी सक्षम है। मैं एक ऐसे पहलू की ओर आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह इसके कानूनी परिणामों पर विचार करें। मैं वकील नहीं हूं, हां मेरा लड़का अवश्य वकील है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
उसका असर पड़ा होगा आप पर।

(हंसी)

श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक द्वारा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 245, 246 और 247 में संशोधन किया जा रहा है। धारा 246 की उपधारा 1 में यह प्राविधान किया गया है कि धारा 245 के अधीन भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिये अस्थायी विवरण-पत्र तैयार करायेगा। इसी धारा की उपधारा 2 में यह है कि अस्थायी विवरण-पत्र ऐसे आकार में प्रकाशित किया जाएगा जैसा नियत किया जाये और उपधारा 3 में है कि अस्थायी विवरण-पत्र में किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन अस्थायी विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर परगना के अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है। इसी धारा की उपधारा 4 में यह व्यवस्था की गयी है कि परगने का अधिकारी, असिस्टेन्ट कलेक्टर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको केवल नौकरशाही की परिभाषा बता देने से ही संतोष नहीं हो जाना चाहिए। आपत्ति करने का अधिकार असिस्टेन्ट कलेक्टर से उच्च अधिकारी को दिया जाना चाहिए। यह कहीं नहीं देखने में आता है कि वही विवरण पत्र बनावे और वही आपत्ति सुने और वही निर्णय दे और उसका निर्णय अन्तिम माना जाए। केवल इस बात पर जिद करना कि चूंकि नौकरशाही कह रही है, राजस्व सचिव कह रहे हैं लिहाजा कोई शब्द बदला नहीं जायगा यह स्पष्ट नहीं किया जायगा, यह रुख देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। मैंने चेष्टा की है कि इस बात को अच्छी तरह से समझा जाय और धारा 246 की जो उपधारायें हैं, उनमें स्पष्टीकरण दिया जाय और किसानों को मौका दिया जाय।

अब मैं इस सदन का ध्यान एक ऐतिहासिक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। लेखपालों के खिलाफ यह बहुत पुराना आरोप है कि वे खतौनी और खसरे में जो चाहते हैं, दर्ज कर देते हैं। खतौनी को तो छोड़ दीजिए क्योंकि उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है लेकिन खाते के मायने होते हैं खसरा। वह खाते में दर्ज करेगा तो उसकी किसान कहां पर आपत्ति कर सकता है या अपील कर सकता है। इसके बारे में इस विधेयक में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। परिणाम यह होगा कि आप लेखपाल को सर्वाधिकार दे रहे हैं कि वह जिस भूमि को चाहे सिंचित लिख दे या असिंचित लिख दे। अगर खसरे में 3 वर्ष में सिंचित नहीं की गई तो यह अधिकार पटवारी के हाथ में होगा। क्या कोई लेखपाल खसरे की नकल किसान को देता है? नहीं देता है। किसान को यह भी पता नहीं होता है कि उसके खाते में भूमि को सिंचित लिखा है या असिंचित और जिसकी कोई सिंचाई हुई ही नहीं उसका नक्शा तो आ ही नहीं सकता है। तो यह बहुत बड़ा अधिकार आप उस वर्ग को देने जा रहे हैं जो उनका दुरुपयोग करता चला आ रहा है। यही कारण है कि वर्ष 1952 में जब यहां पर राजस्व मन्त्री नेता विरोधी दल थे तो उनको लेखपालों का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा था और उस समय पूरे सदन की यह भावना थी कि ये किसानों को तंग करते हैं। तो इसमें सरकार की ओर से कोई गलती नहीं होगी, अनैतिकता नहीं होगी। क्या आप हृदय से कह सकते हैं कि आपने लेखपाल के वर्ग को सुधार दिया है या बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और अब वे ठीक से खसरा तैयार किया करेंगे? हम व्यवहारिक दुनिया में जाकर देखें और व्यवहारिक पहलुओं पर देखें। इन दो बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए इस विधेयक की भावनाओं का आदर करता हूं और समर्थन करता हूं कि हमें प्रदेश की उन्नति के लिए साधन जुटाने

[श्री ईश्वर सिंह]

पड़ेंगे। मुझे यह भी आशा है कि अगर इस कर से अधिक आय होगी तो हमारे माननीय मन्त्री जी इसको घटाने के लिए भी फिर से संशोधन ले आयेंगे। यह तो सही है कि इससे आप किसानों को बहुत बड़े झंझट में डाल देंगे और अगर यहां पर कोई यह कहे कि हमें उनसे क्या वास्ता हम कर लगायेंगे तो यह सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होगी। जब हम यहां पर चुनकर आते हैं तो हमें किसानों के पास और खेतिहरों के पास जाना पड़ता है। तो जिस प्रश्न का सम्बन्ध जन-भावना से है उसके हर पहलू पर हमें विस्तार से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए क्योंकि इस माननीय सदन का निर्णय बहुत महत्व रखता है और उसके कोई मायने होते हैं। मैं पुन: माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों पर गहराई से विचार करने की कृपा करें।

*श्री लक्ष्मी नारायन पांडे (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी; जब यह संशोधन विधेयक पेश होने वाला था तो उम्मीद थी कि भूमि व्यवस्था में सुधार करने का विचार सरकार का है, लेकिन इसमें जो टैक्सों और लगान की भरमार कर दी गयी है, वह इस बात का द्योतक है कि सरकार की नीति प्रदेश की किसान जनता के साथ किस तरह की है और इस बारे में जो समस्या सरकारी सदस्यों की तरफ से रखी जा रही है उससे ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस के साथी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इससे सरकार और किसान जनता का अलगाव होने वाला है और इसका लाभ प्रतिक्रियावादी ताकतें भर-पूर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही हैं। अभी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए उससे स्पष्ट है कि सरकार या कुछ मन्त्रियों या इनके नौकरों की ऐसा मंशा है कि किसान जनता पर ज्यादा बोझ लादा जाय जिसका असर हमारी कृषि नीति पर और कृषि उत्पादन दोनों पर गम्भीर रूप से पड़ने वाला है। किसान आज उत्पादन के दाम गिरने से पीड़ित है और उत्पादन लागत में जो उसके खर्चे निरन्तर बढ़ रहे हैं उनसे वह परेशान है। इमरजेन्सी का जब ऐलान हुआ तो विश्वास दिलाया गया था कि प्रदेश के खेतिहर मजदूर और किसान जनता को राहत मिलेगी लेकिन टैक्सों के बोझ पड़ने से कृषि उत्पादन के दामों के गिरने से गांवों में एक प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है। किसान के उत्पादन की नीति निर्धारित की जाती है, लेकिन मूल्य उत्पादन का नहीं मिलता है। सरकारी खजानों से पैसा जाता है वह सेठ और बिचौलिये लूट करके अपनी जेब भरते हैं। ऐसी हालत में जो यह लगान वृद्धि विकास-कर के नाम पर की जा रही है उससे प्रतिक्रियावादी ताकतों को खुलकर खेलने का मौका देते हैं और करोड़ों जनता को उनके हवाले कर रहे हैं।

अभी 20-सूत्री कार्यक्रम से जनता में काफी जागरण हुआ था और छोटे किसान और खेतिहर मजदूर काफी आशा लगाये थे कि प्रदेश और देश में कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होने वाला है और वह प्रतिक्रियावादी साजिशों को नाकाम करने के लिए आपातकालीन स्थिति घोषित किए जाने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसके अन्तर्गत जो यह लगान वृद्धि और नसबन्दी का ऐलान हुआ है उससे उनकी सारा आशाओं पर तुषारापात हो गया है।

दूसरे, इस विधेयक के जरिए से जो ताकत प्राप्त करने की बात कही गयी है, जिसका उल्लेख हुआ है कि गांव समाज की जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिये सजायें और जुर्माने किए जायं, उससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसके पहले यह सरकार सक्षम नहीं थी कि अनधिकृत लोगों को बेदखल कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि 1950 से 1975 तक जब जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ और आपातकालीन स्थिति की घोषणा होने के पहले तक उस सारी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाथ से वह जमीन निकाली गयी थी। उसके बाद जब आपात्कालीन स्थिति आयी और जमीन के बंटवारे का कुछ काम शुरू हुआ और बेदखली का भी कार्यक्रम शुरू हुआ तो जो बड़े-बड़े लोग थे उनके कब्जे से इस प्रकार की जमीनों को निकाला नहीं गया। दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर मुकदमें चलाए गये जिन्होंने दरअस्ल में कब्जा किया नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? प्रधान और लेखपाल की मर्जी से सारा काम हुआ और जो तिकड़मबाज और दलाल थे वह आज भी कब्जा किए हुए हैं, ऐसे भी सबूत हैं। लिख कर भी अधिकारियों को दिया गया है कि आवंटन का काम पूरा हो जाने के बाद भी गांव समाज की बहुत सी जमीन आज भी लोगों के नाजायज कब्जे में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। धानी ब्लाक में रामपुर में करीब 5 एकड़ जमीन आज भी आवंटित नहीं की गयी है और वहां के प्रधान के कब्जे में है। वहां के एक किसान वर्कर को जो कि उसका विरोध कर रहा था नसबन्दी अभियान का विरोध करने के आरोप में उसको जेल में बन्द करवा दिया। कब्जे का जहां तक सवाल है, सरकार भले ही कहे कि हमने जमीन का आवंटन कर दिया, बहुत सी जगहों पर बहुत सी जमीनों का आवंटन नहीं हुआ और जहां आबंटन हुआ भी है वहां आवंटियों को भी नहीं मालूम कि उनको कहां जमीन मिली है? बहुत सी जगह उनको कब्जा नहीं मिल पाया है।

खरीफ की फसल तो चली गयी, रबी की भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि यह अभियान अब बन्द हो गया है और सब कर्मचारी नसबन्दी के केसों की खोज कर रहे हैं। सारे मुकदमें और दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। एक भी दरख्वास्त पर हमारे जिले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे जिले के ही सौभाग्य से राज्य मन्त्री हैं। वह बतायें कि क्या फरेन्दा तहसील में, जहां से आप विधायक हैं, जो दरख्वास्तें नाजायज पट्टों के सम्बन्ध में दी गयी हैं, उन पर कोई कार्यवाही दफा 198 में हुई? आपको उत्तर मिलेगा कि जीरो। आज एक एक गाटे के आवंटन में भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों, हरिजनों से जितनी कीमत जमीन की है अगर उतनी नहीं तो सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ और हजार-हजार रुपया लिया गया है और जब दरख्वास्त देते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारे यहां के अधिकारी यह भी कहने लगे हैं कि अब तो लेखपाल एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता, जिससे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। तो आज सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि निचले स्तर का एक कर्मचारी जिसका जनता से बहुत ताल्लुक है वह जनता के हित में कारगर नहीं साबित हो पा रहा है, तो इसका क्या उपाय हो?

मैं एक बहुत ही सनसनीखेज बात बताना चाहता हूं और दो-तीन गांवों का नाम बताना चाहता हूं जहां बन्दोबस्त हुआ है वहां नदी के किनारे के गांवों में बन्दोबस्त का हर प्लाट झगड़े की बात बन गयी है। जिसके पास पहले 2 एकड़ जमीन थी उसके पास आज 1 एकड़ रह गयी है और जिसके पास 1 एकड़ थी उसके पास 3 एकड़ हो गयी है और जिसके पास पहले गांव समाज की जमीन थी आज वह बिना काश्त के हो गया है और जो जमीन पहले काश्तकार की थी वह गांव समाज की हो गयी है। जब लोगों ने मुकदमें बाजी करनी शुरू की और मोहाफिजखाने से जब नकल लेना शुरू किया तो जितने लोग उसी प्लाट की नकल लेने गये तो नकल में अलग-अलग नाम दर्ज थे। तो आज जो कागजात मोहाफिजखाने में रहते हैं उन पर भी कोई विश्वास जनता को नहीं रह गया है। इस तरह से वहां पर भी गलत काम हो रहा है। आप सोचिए कि भविष्य का क्या होने वाला है?

इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही रास्ता निकाला गया था और वह था कि जगह-जगह जन प्रतिनिधियों की समितियां बनायी जायें जो इन सब कामों को देखती रहे। इन पर अपना नियन्त्रण रखें, लेकिन इसको खटाई में डाल दिया गया है सारा काम नौकरशाही के भरोसे पर ही छोड़ दिया गया है। आज हर माननीय सदस्य जानता है कि तहसील कार्यालय तथा अन्य सभी कार्यालय भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। यह सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कानून का पालन अपने फायदे के लिए ही किया करते हैं। अतः यदि आप इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए यह जरूरी

[श्री लक्ष्मी नारायन पाण्डे]

है कि आप जन प्रतिनिधियों की समितियां बनायें। ब्लाक स्तर पर आपने जो समितियां बनायी भी हैं उनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाये हुए हैं। उनके जरिए से भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार का एक उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक गांव है---बेसार, धानी ब्लाक है, जिला गोरखपुर है, यहां 3-4 एकड़ का एक एरिया ऐसा है जहां बाढ़ आदि आने पर लोग उस जगह पर जाकर बस जाया करते थे। उस भूमि का आवंटन एक सरकारी कर्मचारी को कर दिया गया है। उसकी जांच-पड़ताल भी हुई और उसमें नीचे से यह लिख कर गया कि वह पट्टा उस सरकारी कर्मचारी के नाम नाजायज हुआ है, लेखपाल से लेकर एस० डी० ओ० तक ने यही रिपोर्ट की कि पट्टा गलत हुआ है, पर हमारे जिले के सबसे उच्च अधिकारी ने उस पट्टे को बहाल कर दिया इसलिए कि वह व्यक्ति एक उच्च सरकारी नौकर था। वह उस जमीन पर मकान बनाये हुए हैं और बाटिका लगाए हैं। इसके बारे में मैंने माननीय मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया था, पर कुछ नहीं हुआ। पिछले साल जब बाढ़ आयी तो कई मवेशी तक बह गए, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, उनको बसने तक की जगह नहीं मिल पायी।

जहां तक विकास के लिए आप लगान बढ़ाने जा रहे हैं विकास के लिए यह जरूरी है, मगर इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए कि यह उन्हीं से लिया जाय जो देने की क्षमता रखते हैं। इसको क्रमवार लिया जाना चाहिए। नीचे वाले से कम और ऊपर वाले से अधिक। इस सब पर व्यापक तरीके से विचार करने के लिए यह जरूरी है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। जो कि किसान और जनता के हितों में हो, उसकी भावनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता हो। आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। जो जनता के बीच में जाते हैं, उनको इस बात का एहसास हो रहा है इस प्रकार के बिल से। इसको काली ताकत की संख्या देने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। हमारी दरख्वास्त है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और विरोधी दल के नेताओं ने जो प्रवर समिति की बात कही है, मैं उसका विरोध करता हूं। प्रातःकाल से, जब से यह आरम्भ हुआ है, किसानों की बहुत बड़ी दुहाई दी जा रही है इस धारणा को लेकर कि मान्यवर, इस समय जो मौजूदा केबिनेट है या जो इधर के लोग बैठे हुए हैं जैसे किसानों से हमदर्दी उनको कुछ है हीं नहीं। जो विरोधी दल के नेता हैं या जो हमार कम्यूनिस्ट लोग हैं खासतौर से वह जो बढ़े हुए लगान की दुहाई देते हैं, वही किसानों के हिमायती बने हुए हैं। मान्यवर, मैंने भी इस बात की जानने की कोशिश की कि वहां पर खराबी है। मान्यवर, जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, इस प्रदेश में 85 फीसदी किसान हैं। 70 फीसदी वह किसान हैं जिनकी जमीन 3 एकड़ या 2 एकड़ से कम है। 10 फीसदी ऐसे हैं, जिनकी साढ़े 12 एकड़ के करीब है। 5 फीसदी ऐसे हैं जिनकी साढ़े 12 एकड़ से ऊपर है। तो मान्यवर, जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, कम से कम मैं समझता हूं, थोड़ी देर के लिए, यह मान लिया जाता है कि जो 5 फीसदी किसान हैं या 10 फीसदी में जो किसान आते हैं। थोड़ी बहुत बातों में उनके लिए कुछ विरोध कहा जाता है। लेकिन जहां पर 70 फीसदी किसानों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश के देवरिया, आजमगढ़, गोन्डा को ले लीजिए। यहां से लेकर वहां तक ले लीजिए, छोटी होल्डिंग पश्चिम में नहीं है। 70 फीसदी लोगों के फायदे के लिए अगर यह लाया जा रहा है, तो मान्यवर, मैं यह नहीं समझ सका, 70 फीसदी जो यहां पर बैठे हुए हैं वह तो दुहाई देते ही हैं। 70 फीसदी के लिए अगर दुहाई दे रहे हैं, तो किस तरह से उसका

विरोध किया जा रहा है। किस तरह से इसको काला कानून कहा गया है। 15 साल पहले, 20 साल पहले जो हालत थी, जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, जहां तक मान्यवर, दुनियां का सम्बन्ध है, तो क्या आज हालात नहीं बदले? लिहाजा 10 फीसदी, 5 फीसदी के लिए दुहाई देने वाले लोग और 70 फीसदी की बात इस तरीके से करते हैं, तो मैं नहीं समझ सका कि इस कानून का सम्बन्ध किस तरीके से है।

मान्यवर, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जब हम लोग जाते हैं तकावी लेने के लिए तो किसान की जो जमीन होती है, यह उसको गिरवी रखता है और उसके आधार पर जो सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। जो तरह-तरह की सहूलियतें किसानों को होनी चाहिए मान्यवर, वह नहीं मिलती। अगर सरकार ने इस तरह का निर्णय लेनेके बाद यह कर लिया है तो मैं समझता हूं कि कौन-सी ज्यादती की है? मान्यवर, मैं लाबी में बैठा हुआ था। मुझे माफ करेंगे, किसी ने लखनऊ जिले के बारे में बतलाया, कई एम0एल0एज ने और जिलों के बारे में बतलाया। जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी जब इस विधेयक को पेश कर रहे थे तो उन्होंने जमींन्दारी एबोलिशन के पहले की स्थिति के बारे में बतलाया कि किसी पर 4 आने बीघा लगान था, किसी पर 2 आने बीघा लगान था, किसी पर 12 आने बीघा लगान था जो परम्परा से चला आता था, तो इसमें कौन सा जस्टिफिकेशन है? अगर आज यह तय किया जा रहा है कि सिंचाई गैर सिंचाई की बातों को लेकर चलें। सन् 1952 से जमींदारी एबोलिशन के शुरू होने से पहले जो लगान था, वही रेट चला आ रहा था। जो मालदार थे वे किसान तो कम लगान परम्परा से देते चले आते थे। और जो छोटे किसान थे उनसे ज्यादा लिया जा रहा था। मान्यवर, मैं नहीं समझता कि इससे कौन सा लगान बढ़ जाएगा? माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस विधेयक को पेश करते समय केवल एक बात कही थी कि कुछ परसेंटेज बढ़ेगा और सब में बराबरी हो जाएगी।

यह विकास का युग है। जब एक तरफ नालियां बनें, ट्यूबवेल्स बनें, सड़कें बनें, बिजली का प्रबन्ध हो, पानी का प्रबन्ध हो और प्लानिंग कमीशन यह कहे कि 600 करोड़ रुपये का एलोकेशन बजट में तभी करेंगे जब आप अपने साधन जुटा कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और इस तरह से 75 करोड़, 60 करोड़ या 125 करोड़ रुपए का इन्तजाम कर सकेंगे। जो आंकड़े हमारे सामने हैं, यह कोई उत्तर प्रदेश में ही बात नहीं होने जा रही है, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिएगा, राजस्थान को ले लीजिएगा, बिहार और पंजाब को ले लीजिएगा। प्लानिंग कमीशन की ओर से जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस के काफी तजुर्बेकार हैं, और उनके रिकमेंडेशन्स हैं तो फिर सरकार क्या कर सकती है? सरकार की यह मंशा नहीं है कि जानबूझ कर किसानों को परेशान किया जाय। एक तरफ हमें पैसे की आवश्यकता है, उसके रिसोर्सेज की आवश्कता है और प्लानिंग कमीशन की शर्त है और दूसरी तरफ अगर जमीन एलोकेटेड है और अगर वह 100 एकड़ है तो 99 एकड़ नहीं होगी, उतनी ही होगी। सेल्स टैक्स में चोरी हो सकती है, शराब के मामले में चोरी हो सकती है और बहुत से मामलों में चोरी हो सकती है, लेकिन जहां तक लगान का सम्बन्ध है, अगर 100 एकड़ जमीन है, तो उस पर कितना लगान होगा, किस तरह से होगा, इस पर आसानी से निर्णय किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाय कि इसका कोई विरोध करता है तो जहां तक इस प्रदेश के किसानों का सम्बन्ध है जो बड़े-बड़े किसान हैं क्या उनको इस प्रदेश के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा नहीं देना चाहिए? अगर वे अपना सहयोग नहीं देंगे तो क्या इस तरह से प्रदेश आगे बढ़ सकेगा? उनको अपने रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना चाहिए वरना इससे तमाम किसानों पर बोझ पड़ता है। भागीरथी जी की तरह से उनको मिसाल लेनी चाहिए। जिस तरह से शंकर की जटा से भागीरथी निकलीं और गंगा के रूप में नीचे आयीं और छोटे-बड़े सब किसानों का भला करती हैं, उसी तरह से इस बात में सब के सहयोग की जरूरत है।

[श्री धर्म सिंह]

गोरखपुर के हमारे एक भाई ने कहा कि छोटे किसान बहुत परेशान हैं। मैं इसको मानता हूं कि परेशान हैं उन्होंने कहा कि जहां तक किसानों के गल्ले का सम्बन्ध है, आज से आठ या नौ महीने पहले जो कुछ हुआ उसको सब लोग जानते हैं। जब सरकार ने गेहूं का भाव 105 रुपए क्विन्टल तय किया था तो उस समय उसका भी बड़ा विरोध किया गया था। बड़ी-बड़ी परेशानियां थीं, यह कहा जा रहा था कि किसानों को लूटा जा रहा है। कहा गया था कि कि गेहूं का भाव 105 रुपए ठीक नहीं है। लेकिन आज गेहूं का क्या भाव है? 80-85 रुपए है। तो किसान को सरकार विरोधी जो कहा गया और काले कानून की संज्ञा जो दी गयी, मैं नहीं समझता हूं कि वह कहां तक उचित है। क्या उस वक्त किसानों को मदद नहीं की गयी? मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त 105 रुपए निर्धारित नहीं होता तो आज इस वक्त गहूं जब 80-85 है, तो उस वक्त किसान का नुकसान ही होता। जहां तक किसानों की चीजों का सम्बन्ध है, चाहे छोटे हों, या बड़े, उनको पैदावार के सम्बन्ध में मान्यवर, सरकार की तरफ से हमेशा इस बात की कोशिश की गयी है कि उनकी पैदावार की कीमत उचित लगायी जाय और अच्छी मालियत दी जाय, जिससे उनके रहन-सहन का स्तर बढ़े। कौन सी बातें मान्यवर, नहीं की गयीं? लिहाजा कानून को काले कानून की संज्ञा देना और इस तरीके से विरोध करना मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरी बात जो सिंचित और असिंचित की इसमें की गयी है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ परेशानी की बात हो। मान्यवर, इस वक्त जो खाते हैं, इस प्रदेश में हैं, वह इस प्रकार के हैं कि पहले से ही यह मालूम है कि इस भूमि में एक बार पानी जाता है या 2 बार पानी जाता है। 2-4 परसेन्ट कहीं गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन पूरे तरीके से एक सिंचित जमीन को असिंचित लिख दिया जाय या असिंचित को सिंचित लिख दिया जाए, यह सम्भव नहीं है। कुछ परसेन्ट गड़बड़ी हो सकती है जिसको कि सरकार को देखना चाहिए। मान्यवर, और बहुत ही बातें कही गयीं हैं जो मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, इस प्रदेश की जनता का सम्बन्ध है। इसमें चकबन्दी भी है और बहुत से ऐक्ट्स वगैरह इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए और इसी के साथ-साथ जो 70-75 फीसदी किसानों को लाभ हो रहा है और जिससे किसानों को अनेक सुविधायें मिलेंगी, सड़कें बनेंगी, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको क्रांतिकारी कदम, जैसा कि राजस्व मन्त्री जी ने कहा, कहता हूं और हृदय से इसका समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि राजस्व मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, लगान की समानता के नाम पर जो बढ़ोत्तरी का विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं प्रवर समिति में भेजने का जो, प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, अभी कल ही हमारे देश की पार्लियामेन्ट ने संविधान में 44वें संशोधन को पास किया है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखी गयी है कि हमारे इस गणराज्य का उद्देश्य समाजवाद है। समावजाद, हमारे देश का उद्देश्य होगा, हमारे संविधान में जोड़ा गया है जिसको कल पास किया गया है। समाजवाद की व्याख्या हो रही है कि समाजवाद कैसा होगा? इसकी व्याख्या तरह-तरह से हो रही है। एक व्याख्या स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1939 में की थी कि हमारा समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद होगा। एक व्याख्या अब की जा रही है कि भारतीय समाजवाद होगा। भारतीय समाजवाद क्या होगा इसको भविष्य ही बताएगा। लेकिन यदि उसका स्वरूप वह होगा जिसकी झलक राजस्व मन्त्री जी ने दी है तो मैं समझता हूं कि यह समाजवाद बड़ा खतरनाक होगा। आपने कहा कि लगान में समानता लाने के लिए हमने लगान में परिवर्तन किया है। तो क्या हमारा समाजवाद

इस प्रकार की समानता करेगा कि एक एकड़ का काश्तकार वही टैक्स देगा जो कि 500 एकड़ वाला काश्तकार टैक्स देगा ? यदि यह कल्पना समाजवाद की है तो बहुत ही खतरनाक कल्पना है।

हमारे इन्कम टैक्स की कल्पना क्या है कि ज्यादा आमदनी बढ़ी तो टैक्स का स्लैब ज्यादा होगा। यदि यह खेती पर नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। छोटे काश्तकार पर दर कम और बड़े काश्तकार पर दर ज्यादा होनी चाहिए। आपने बड़ी उदारता दिखाई है कि हमने विकास कर में कमी कर दी है चूंकि बड़े काश्तकारों पर लगान बढ़ रहा है। यह समानता समाजवाद की आपने दिखाई है। इस तरह के जो प्रश्न विधान सभा में उठे थे कि लगान की जो एनामली है, वह दूर होनी चाहिये, इसको मुख्य मन्त्री जी ने स्वीकार किया था। मांग यह थी कि सीर और खुदकाश्त के काश्तकारों पर लगान सर्किल रेट पर दूना है और सीर व खुदकाश्त के जमींदारों पर लगान सर्किल रेट का 40 प्रतिशत है और इस प्रकार लगान में जो 1 और 5 का डिफरेन्स है, वह दूर होना चाहिए, उसके नाम पर आप यह कर रहे हैं। सिंचित और असिंचित के नाम पर आप लगान बढ़ा रहे हैं। आपके पास आंकड़े होंगे अब प्रदेश की प्रस्तावित मालगुजारी कितनी होगी। लेकिन उनको आपने यहां नहीं कहा और आपने कहा कि मुश्किल से सवा गुना लगान बढ़ेगा। इस प्रकार 5-6 करोड़ और बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैं गारन्टी से कहता हूं कि 50 करोड़ से लगान कम नहीं होगा बल्कि इससे अधिक होगा। हमने लेखपाल से बात की है कि किस रेट से बढ़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका लगान दूना न हो रहा हो। आमतौर पर तो 5-6 गुना हो रहा है। इस तरह से समानता के नाम पर किसानों पर आप लगान बढ़ाना चाहते हैं जिसको कि पहले ही आप बढ़ा चुके हैं। आप सिद्धान्त बनाते हैं कि सर्किल रेट में दूना कर देंगे। जिनका नहीं है उनका हो जाएगा। भूतपूर्व जमींदार सर्किल रेट पर दूना कर देते और इस प्रकार एनामली दूर हो जाती। यह जो किया जा रहा है, वह समाजवाद के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं किया जा रहा है। विकास कर लगाने की कल्पना जो की गई थी वह इसलिए की गयी थी कि जिन काश्तकारों ने विकास योजनाओं से लाभ उठाया है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय। लाभ किसने उठाया, यह सब जानते हैं बड़े काश्तकारों ने, रिच फारमरों ने लाभ उठाया है। उन्होंने आधुनिक तरीके के बीज इस्तेमाल किए, सरकार से कर्ज लिया, पैसा लिया, सुविधा ली, उन्होंने ही ज्यादा फायदा उठाया है, उनको टैक्स देना चाहिए। लेकिन आप उन पर कम करना चाहते हैं। तो मान्यवर, यह विधेयक इस दृष्टि से संगत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह सरकार जो रूढ़िवादी, बुरजवा इकोनोमिस्ट जो हैं, उनके मश्विरे पर चलती है। जैसा कि अभी ऊदल जी ने लकड़वाला कमेटी की बात कही कि काश्तकारों की आमदनी पिछले वर्ष के मुकाबले तीन गुनी बढ़ गयी है। मैं मानता हूं बढ़ गयी है, लेकिन उसी अनुपात में खर्चे बढ़े हैं अथवा नहीं यह भी देखने की आवश्यकता है। बुरजवा इकानामिस्ट एक ही साइड देखते हैं पिक्चर की, कि गल्ले का भाव बढ़ गया, उत्पादन पहले दस मन एकड़ था, 15 मन हो गया जैसा दूसरे सदस्य कह रहे हैं और इससे काश्तकार की आमदनी बढ़ गयी है। जब आमदनी बढ़ गयी तो टैक्स देना चाहिए। उसका दूसरा पहलू भी है कि काश्तकार के उत्पादन में लागत किस मात्रा में बढ़ी उस अनुपात से उसको यह बुरजवा इकानामिस्ट नहीं देखते और इसी वजह से संतुलन नहीं आता। इसी प्रकार की सिफारिशों पर सरकार लगान बढ़ाती जाती है। जैसा लकड़वाला कमेटी बनायी गयी कराधान में जांच करने के लिए।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो पिछले दस वर्ष में काश्तकार की आमदनी और उत्पादन के लागत के अनुपात में क्या अन्तर आया, इसे देखे। दस साल पहले क्या अनुपात था और आज क्या है ? अगर आमदनी कम हो तो टैक्स बर्डन कम करिए और मेरा निश्चित मत है कि वह घटी है। बिजली के भाव दुगने हो गए, डीजल तेल के भाव दुगने हो गए, खाद के दाम बढ़ गए और कृषि यन्त्रों और दवाइयों के दाम बढ़ गए। जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं वह दिला नहीं पाते। माननीय धर्म सिंह जी कह रहे थे कि

[श्री भीखालाल]

गेहूं 80, 90 रुपया प्रति कुवन्टल बिक रहा है। 105 रुपया क्यों नहीं दिला पाते सपोर्ट प्राइस ? धान के दाम 74 रुपया निश्चित किये गए हैं आप दिला नहीं पा रहे हैं। आप कीमत तय करके 74 रुपया कर दें और काश्तकारों को मिले 50 रुपया, 40 रुपया। इन असंगतियों को हमको देखना चाहिए कि किसानों की आमदनी किस तरह से गिर रही है और उसके अनुसार हमको टैक्स लगाने चाहिए। टैक्स का सिद्धान्त है। जैसे आमदनी बढ़ती है वही टैक्स लगे। काश्तकार की आमदनी गिर रही है उनके उत्पादन के खर्च बढ़ रहे हैं। सिंचाई के रेट बढ़े, बिजली के रेट बढ़े, उनकी उपभोग की चीजें जो वह खरीदता है, उनकी कीमत बढ़ी। जब किसान की आर्थिक स्थिति गिरेगी तो देश की आर्थिक स्थिति गिरेगी। उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। इसका असर दूसरे उद्योग धन्धों पर भी पड़ता है।

पिछले दिनों में मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां पर एक भाई मिले, जो कांग्रेसी हैं और ईंट का भट्टा चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि भट्टा चालू हो गया तो उन्होंने कहा एक महीने बाद इरादा है क्योंकि पिछले वर्ष का ही माल अभी पड़ा है, बिका नहीं। अब किसान खरीदने कम आता है। तो परचेजिंग पावर उसकी गिर रही है। तो इस असमानता को दूर करने के नाम पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया और यह असमानता दूर होनी चाहिए। माननीय धर्म सिंह जी ने कहा कि यह बिल 70 फीसदी छोटे किसानों के फायदे के लिए है। उनका फायदा इसमें क्या है ? उसका लगान बढ़ाया जाय तो फायदा क्या है। आपका तर्क है कि लगान बढ़ा देने से उसको कर्ज अधिक मिल सकेगा। तो जमीन उसकी उतनी ही है मालियत बढ़ी नहीं है तो क्या खाली लगान बढ़ा देने से उसकी हैसियत बढ़ जायगी। इससे कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा असर छोटे काश्तकारों और गरीब काश्तकारों पर पड़ेगा। अगर कर्ज अधिक मिलने की बात है तो कर्ज की दर लगान के सौगुने के बजाय दो सौ गुना कर दीजिए। इसलिए इस पर पुनः विचार कीजिये और यह जो प्रस्ताव आया है, इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, इसको स्वीकार कीजिए ताकि इन सारे पहलुओं पर ठंडे दिल से विचार करें और फिर अच्छा बिल यहां लाया जाय तो जो लगान की असंगतियां हैं, वह दूर हों और जो निर्बल वर्ग हैं उस पर बोझा न पड़े।

*श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल पर अपने विचार सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इस बिल के सिलसिले में जैसा कि श्री ऊदल साहब ने फरमाया कि काश्तकार जो चीज खरीदते हैं उनके दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं और जो बेचते हैं उनके दाम कम हो गए हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार को किसान की माली हालत और मुश्किलात के विषय में विचार करना चाहिए। यह सही है कि मौजूदा सरकार ने बैंकों के माध्यम से काश्तकारों को लोन दिला करके रुपयों की काफी बहुतायत करदी है कि वह जितना रुपया चाहे खेत में लगा दें। यह जरूर एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उन रुपयों को इन्वेस्ट करने के बाद भी किसान की माली हालत सुधरी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में नहीं सुधरी है, क्योंकि एक अखबार जो बरेली से निकलता है, 'अमर उजाला' मैं रोज पढ़ता हूं। उसमें हर सप्ताह में 4 रोज तो भूमि नीलामी सूचनायें होती हैं। वे किसान जिनको लैन्ड डेवलपमेंट बैंक कर्जा देती है परन्तु वे अदा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के लगभग 150 किसानों की सूचनायें निकलती हैं। यह एक ठोस तथ्य है कि काश्तकार की माली हालत अच्छी नहीं हुई है अगर किसान की माली हालत अच्छी हो तो वह हरगिज अपनी जमीन को नीलामी में लगाने की इजाजत नहीं दे सकता है। यह इस चीज का ठोस सबूत है कि इतना कुछ करने के बाद भी, साख दिलवाने के बाद भी, इरीगेशन की इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी काश्तकार की हालत अच्छी नहीं हुई है वजह, इस मुल्क में जितने फर्टिलाइजर की जरूरत है वह उतना नहीं है। अब काश्तकार की माली हालत खराब होने से, उसकी परचेजिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पावर खराब होने से आम प्रोडक्शन में जो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, उनकी सेल के ऊपर भी असर हो रहा है।

कानपुर की टैक्सटाइल मिलों में जो कपड़ा गवर्नमेंट की ओर से गरीबों को देने के लिए तैयार करवाया गया था, उसकी लाखों गांठे आज भी एवेलेबुल हैं लेकिन उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। गरीब लोगों की ऐसी हालत है कि वह सरकार द्वारा बनवाया हुआ सस्ता कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो महंगे कपड़े की बात ही छोड़िए। किसी जमाने में यह हुआ करता था कि कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट नहीं लिया जाता था, वह लेना मना था। किन्तु लैन्ड डेवलपमेंट बैंक ने किसानों को जितने कर्जे दिए हैं वह कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट पर है। जो ट्रैक्टर पहले 15 हजार रुपए में था, अब वह 48 हजार में हो गया है उसका जो टायर पहले 300 में था अब वह 2400 में हो गया है। जिस चीज की जरूरत किसान को अपनी खेती को डेवलप करने के लिये होती है, वह सब महंगी हो गयी है। इर्रीगेशन आदि फैसिलिटी के बाद भी किसान अपनी माली हालत को सुधार नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में लगान बढ़ा देना और विकास कर बढ़ा देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जबकि वेस्टर्न यू0 पी0 में हैवी रेन भी हो चुकी है, सेन्ट्रल यू0 पी0 में धान तो बो दिया गया परन्तु उसका ट्रान्सप्लान्टेशन नहीं हो पाया। अत: ऐसी हालात में काश्तकार के ऊपर बोझ डालना मुनासिब नहीं है।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आज लेजिस्लेचर पार्टी में इस बिल की काफी मुखालिफत हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गयी केबिनेट पर कि इस बिल को इल्तवा में डालना मुनासिब नहीं समझा गया। पहले का दस्तूर यह था कि अगर किसी बिल पर मुखालिफत हो तो उसे इल्तवा में डाल कर दुबारा गौर कर लिया जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया। मुनासिब यही था कि मन्त्री जी आज इसको पेश न करते, फिर से गौर कर लेते कि सूबे के हालात क्या हैं और काश्तकार की माली हालत क्या है तथा मेम्बरान के क्या विचार हैं? लेकिन इन हालात के बावजूद आज इस बिल का हाउस में पेश हो जाना काफी हैरतअंगेज बात है। धर्म सिंह जी ने फरमाया कि प्लानिंग कमीशन हमको रुपया नहीं दे रहा है जब तक हम अपने जराए से रुपया वसूल न करें। इसलिए हमको डेवलपमेंट में तकलीफ होगी। यह सरकार के समझने की चीज है कि रुपया कहां से आए और रुपया नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर दूसरे जरिये से रुपया हम ढूंढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो काश्तकार की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए टैक्स के भार को इतना न बढ़ा कर थोड़ा बढ़ा लिया जाता और जब वह रुपया डेवलपमेंट वर्क में इन्वेस्ट हो जाता और काश्तकार की माली हालत सुधर जाती तो बाकी भी बढ़ा लेते। आपका मकसद अगर सूबे की अवाम की खिदमत करना है तो बराए मेहरबानी इस पर गौर फरमायें, टैक्स आहिस्ता-आहिस्ता लें ताकि डेवलपमेंट में दिक्कत न हो और काश्तकार को भी परेशानी न हो।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर इस विधेयक में मन्त्री महोदय यह जोड़ देते "उत्तर प्रदेश के लाखों, करोड़ किसानों की कमरतोड़ विधेयक" तो शायद सत्ता पक्ष के सदस्यों के गले उतर जाता। लेकिन आप देखें कि दुनिया की कोई भी सरकार टैक्स को क्या आमदनी से हट कर वसूल करती है? ऐसी बात नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारी यह सरकार दुनिया की सरकारों से सबक नहीं ले रही है। कहते हम यह हैं कि हमारी सरकार समाजवादी प्रोग्राम पर चल रही है। मन्त्री महोदय ने कहा कि वह लगान नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि लगान में समानता ला रहे हैं। लेकिन आपकी ऐसी नियत नहीं है। जैसा कि ऊदल जी ने भी कहा, दो तिहाई सदस्य जो आपके पक्ष में बैठे हैं वे बड़े खुश होकर सर हिला रहे थे कि वह बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। किसी के गले से यह विधेयक नहीं उतर रहा था। आपके गले से भी नहीं उतर रहा था। इससे इजारेदारों को आप मालामाल कर रहे हैं। छोटे किसानों का इससे

[श्री भगवती प्रसाद]

भला नहीं होगा जैसा कि हमारे राम चन्द्र बक्श जी ने कहा ; मैं उससे हट कर बात करता हूं। 18 एकड़ तक की आपने सीलिंग कर दी है तो उस 18 एकड़ वाले को भी आप दबा रहे हैं। उनके साथ भी आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। भले ही उसकी आमदनी कुछ अंश तक बढ़ी हो जैसे साधन उसको मिले हैं ट्रैक्टर, बिजली आदि की सुविधा से कुछ अंश तक आमदनी बढ़ी हो लेकिन आज ट्रैक्टर के दाम क्या हैं ? आप मेरी बात को सच न माने लेकिन अखबारों में जो खबरें निकली हैं उनको आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कितने लोगों की जमीनें भूमि विकास बैंक ने नीलाम की हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

किनके पास वह ट्रैक्टर है ?

श्री भगवती प्रसाद—

जिले के अन्दर अपने जो आपने हवालात बनाई है (व्यवधान) हम विरोध पक्ष के लोग आज खुश हैं आप वह काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें जनता के बीच अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह खुद समझ रहे हैं। आपने जो सेल बनाए हैं, बिजली के बकाए के लिए, उससे कितनी परेशानियां हो रही है। आपने कबूतर खाने में उनको बन्द कर दिया है। आप 5 एकड़, की बात करते हैं लेकिन बड़े-बड़े किसनों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं। छोटे किसानों की आज जमीनें बिक रही हैं लेकिन आप बड़े-बड़े इजारेदारों को छू तक नहीं सकते हैं। विकास से हम इन्कार नहीं करते हैं जो हुआ है उसको हम मानते हैं। लेकिन जो अपने को सोशलिस्ट कहते थे जैसे कोई अपने को राजनारायण जी का सोशलिस्ट मानता था वह सबे आज नानाजी देशमुख की शेरवानी में और पीलू मोदी की जेब में घुस गए हैं। आज किसानों की क्या हालत हो रही है आपको मालूम होना चाहिए कि जो तीन बीघा में खेती करता है उसका धान जो है वह तीन रुपए पसेरी बिक रहा है। तो इसमें वह कहां से कपड़े लेगा। आप कहते हैं कि राजस्व मन्त्री जी की नियत ठीक है लेकिन ठीक है नहीं। इनका यह पूंजीवाद मिक्स्ड समाजवाद है। देवबहादुर सिंह जी को कष्ट हो रहा है है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को बोलने दें। व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात कहें।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं आपकी नियत पर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन आप मजबूर हैं अपनी नीयत का पालन करने मे। अम्बिका सिंह और ईश्वरी सिंह जैसे सब लोग मजबूर हैं। एक तरफ तो कहा कि इस पर जब तक विचार न हो जाए यह लागू नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ यह। आपने असिंचित भूमि के बारे म घोषणा की है। यह पूरब में कम मिलेगी और पश्चिमी जिलों में अधिक जमीन मिलेगी, तो सिंचित और असिंचित का अन्तर आप देखें। सिंचित तो हमारे सिंचाई मन्त्री ने ले लिया, लेकिन लाखों लाख जो प्राइवेट साधन हैं, जिसके लिए आपने लोन दिया था, वे आज आपके कबूतरखाने में बन्द हैं। अब आप उनको कहां छुड़वायेंगे पता नहीं। आपने यह लगान की बढ़ोत्तरी की है। आपको अंग्रेजों से विरासत में क्या मिला था ? 17 करोड़ की जमींदारी की लगान और 7 करोड़ की वह, कुल 24 करोड़। पहले 7 करोड़ में अंग्रेजी सरकार चलती थी, अब क्या ? आप 17 करोड़ लेकर बैठे रह सकते थे। गरीबों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। हिन्दुस्तान की समाजवादी सरकार, रूस से समाजवाद आयात करने वाली सरकार आज किसानों से 42 करोड़ रुपया ले रही है। आज यह जो खंदक खोद रहे हैं, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। इस देश में अगर ऐसे लोग पनपें, जो प्रतिक्रियावादी हैं, देश को मिटाने वाले हैं,

जो विदेशी लोगों की गुलामी चाहते हैं, जो साम्राज्यवादी हुकूमत के पोषक थे और हैं, उनको आप न पनपाएं अपने किसी कारनामे से तो अच्छा होगा। आप मौखिक समाजवादी बने हुए हैं, इसी पर रुके रहिए और आगे न बढ़िए। अगर आप यह करेंगे तो आप छोटे बड़े सभी किसानों के साथ यह ठीक नहीं करेंगे। बड़े किसानों पर बढ़ायें तो थोड़े ठीक है। आप बिड़ला की अल्यूमिनियम फैक्टरी को तो 3 से 6 पैसा में बिजली देंगे और छोटे किसानों को 24 पैसा में देते हैं। हमको आपसे कम प्रेम नहीं है, हालांकि अपोजीशन में हूं, लेकिन उन लोगों से प्रेम आपसे अधिक ही है। आप मुझे मीसा में बन्द करेंगे, किन्तु यह आयेंगे तो हमें गोली से दगवायेंगे। आप हमारे साथ क्या करेंगे, लेकिन हमें उनसे बड़ा डर लगता है।

हिन्दुस्तान की जनता और दुनियां की जनता कभी बख्शा नहीं है ऐसी सरकारों को जिन्होंने जनता के प्रति मौखिक हमदर्दी दिखाने के लिए झूठे प्रोग्राम और झूठे वादे किए हैं। 1952, 1957 में आपने जितने वादे किए थे सब का उल्टा किया। 60 हजार का ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर का दाम 52 से 105 हो गया, फार्म को जो भी सामान सप्लाई होता है उसके दाम जमीन से आसमान पर पहुंच गए। हम मजदूरों व किसानों के पक्ष में हैं। हम आपके भी पक्ष में हैं। खास तरीके से माननीय राजस्व मन्त्री के पक्ष में हैं। उनकी नीयत दुरुस्त है। लेकिन उनके सर पर इस दिवालिया सरकार का नक्शा है। यह दिवालिया सरकार अपने गरेबान को नहीं टटोलती, उन किसानों की तरफ जिन पर भारी आर्थिक संकट है, नहीं देखती।

आखिर में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में मिसाल के तौर पर कहूंगा। आपने कहा कि 95 फीसदी आवंटन सही है। हमारे गांव मिर्जापुर में तीन-चार हरिजनों को गृह आवंटन की जमीन दिलायी। उस पर 452 का केस हो गया गांव के वह जमींदार जो जमीन नहीं देना चाहते थे, एक हरिजन से अनधिकार दीवानी करवा दिया। तहसील के हाकिम गए। खूंटा गाड दिया। पट्टा कैंसिलेशन की दरख्वास्त ए0 डी0 एम0 के यहां पड़ी है। वह दो साल के पट्टे कैंसिल कर रहे हैं। तीन हरिजन जिनके घर में खाने को नहीं है, बीसों तारीख उनकी पड़ती हैं, 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पड़ती है, हमारे थानेदार ने और उन सामन्तों ने मिल कर 107 की कार्यवाही करा दी। जब वह हरिजन तारीख पर जाने लगे तब उन्होंने सरेंडर कर दिया और हर जगह इस्तीफा दे दिया कि हमें जमीन नहीं चाहिए।

सैलाब में हमारे यहां राजस्व राज्य मन्त्री गए हुए थे। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने उनसे मिलने का हमें मौका नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में सैलाब आया हुआ था, मैंने मिलने की कोशिश की। लेकिन उस सैलाब को दूसरे इलाके में भेजना था। मैं कोशिश करता रहा कि आपको नक्शा दिखा दूं। "भूमि आवंटन का, लेकिन मन्त्री जी ने मौका नहीं दिया। आठ-आठ पेट्रोल की गाड़ियां चल रही थी। राजस्व का अपव्यय हो रहा था। आठ-आठ गाड़ियां नमक बटाने के लिए चल रही थी। आप के प्रोग्राम झूठे हैं। हम जो छोटी पार्टी के हैं, बड़ी मेहरबानी है बोलने को मिलता है? इसलिए हम बोलने का मौका चाहते हैं हर विधेयक पर कि कहीं आप गलती न करें, शासन के ऊपर बैठकर कहीं आप मदांध न हो जायं और अगर यही गलती करते रहेंगे तो निश्चित उसका फल आपको मिलेगा।

*श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

अभी जो चर्चा इस विधेयक पर हुई उससे सारे सदन की भावना सामने आ गयी। सदन के माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है, वह सभी के सम्मुख आ गयी। यहां पर अधिकांशत: शासक दल के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं भी वह उनसे सम्बद्ध हैं। विरोधी दल के लोग यहां पर उपस्थित नहीं हैं। अगर वह भी यहां पर उपस्थित होते तो वह भी अपना असंतोष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर सिंह सेंगर]

प्रकट करते। इतना होने पर भी यह बिल जब आया है तो पास जरूर हो जाए। मान्यवर, इस विधेयक में 2-3 बातें मुख्य रूप से कही गयीं हैं उनकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कहा गया है कि अरबों रुपया सिंचाई पर लगाया गया है और किसानों की आमदनी बढ़ी है लेकिन उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। इसलिए उन पर टैक्स लगाया जा सकता है।

दूसरी बात यह कही गयी कि किसानों की आमदनी बढ़ी है। हमारे प्रदेश को नए संसाधान जुटाने के लिए अधिक रुपए की जरूरत है और कृषि क्षेत्र में अधिक गुन्जाइश है जहां से धन जुटाया जा सकता है अभी हमारे अनेक सदस्यों ने कहा कि जरा किसानों की स्थिति को आप देखें। मैं दूसरे स्थानों की बात तो नहीं जानता हूं लेकिन मैं बुन्देलखंड की बात को अवश्य जानता हूं। माननीय राजस्व मन्त्री जी भी बुन्देलखंड के इलाके के हैं लेकिन उनमें बुन्देलखंड की बात कहने का साहस नहीं रह गया है। बुन्देलखंड के किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। चाहे खाद हो चाहे लगान हो, चाहे आबपाशी हो और चाहे बैंक के कर्ज का मामला हो, प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से लद गया है। उसकी ऐसी हालत नहीं रह गयी है कि वह अपने कर्जे को वापस कर सके एक दो वर्षों में तो उनकी हालत बहुत गिर गयी है। वह अपने सब चीजों को भी बेच कर उस कर्ज को अदा नहीं कर पाता है। तो जिस पर इतना कर्ज का बोझ हो तो उस पर टैक्स लगाना कहां तक उचित है। यह माननीय मन्त्री जी स्वयं समझ सकते हैं यह कहा जा रहा है कि हम लगान बढ़ा रहे हैं तो किसानों को कर्जा लेने में सुविधा होगी क्योंकि इस लगान के अनुपात से कर्जा बैंक देते हैं। मान्यवर, यह लगान बढ़ाने का कोई तर्क नहीं है। अगर आप उनको कर्जा की सुविधा देने के लिए तैयार हैं तो एकड़ के हिसाब से कर्जा दीजिए। एक एकड़ पर 200 रुपए या 400 रुपए जितना कर्जा आप देना चाहें, दे सकते हैं। इस तरह की भी व्यवस्था हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी आप से ही निवेदन कर रहा हूं कि कृपा कर मेरी बात को सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप न कहते तो भी आप के विचार मेरे हृदय में हैं।

श्री वीर सिंह सेंगर—

तो मान्यवर, इसमें समानता लाने की चेष्टा नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी रियासतें थीं और वहां का लगान बहुत अधिक था। उनका बन्दोबस्त 1946 में हुआ था। हम लोग जब जाते हैं तो हमारी खिंचाई होती है। जो रियासतों का रेट है वह बहुत ज्यादा है। मेरी प्रार्थना है कि लगान के रेट को पुन: देखभाल करके पुनर्निर्धारण किया जाय ताकि सब किसानों का लगान एक समान हो जाय। जो एग्जिस्टिंग रेट हैं वह मिनिमम 5 रुपए और 10 रुपए से ज्यादा नहीं है और 10 से 20 रुपए सिंचित के लिए है। तो अब भी उनका रेट ज्यादा है। देखने में यह भी आया है कि अगर रियासतों वाली जमीन का सर्किल रेट है 4 1/2 रुपये तो देशी का 2 1/2 रुपए अब भी सर्किल रेट है। हमारे क्षेत्र जालौन जिले में एक रियासत थी। वहां पर रियासत वाले खेत का लगान अगर 6 रुपए है तो उसके पास वाले खेत का लगान 4 रुपए हैं। मेरी प्रार्थना है कि लगान भूमि के आधार पर होना चाहिए। अगर भूमि कांवर है तो सबका सर्किल रेट वैसा ही होना चाहिए, अगर पडवा है या मार है तो उस भूमि का रेट एक ही होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि रियासत का कुछ और, दूसरी जमीनों का कुछ और। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस मामले को देखें और सब भूमि का सर्किल रेट एक समान कर दिया जाय।

जहां तक किसानों से पैसे लेने की बात है या हमें उनसे कुछ चाहिए क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ी है। मेरा निवेदन है अगर उनकी आमदनी बढ़ी है तो उनका खर्च भी बढ़ा है। अगर आप लेवी के दाम 105 के बजाय 110 कर दें तो भी आप कुछ लेने के

हकदार हैं। पहले आप 8 रुपया उन्हें लैवी के साथ देते थे लेकिन उसको भी आपने बन्द कर दिया है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अब भूमिधर की सनद बनाना बड़ा आसान हो गया है लेकिन मेरा कहना है कि अब बड़ा जटिल हो गया है। तहसीलदार यों ही साधारणतया हाथ नहीं रखने देता है। माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि भूमिधर बनने के लिए बैनामा वाला व्यक्ति पीछे-पीछे दौड़ेगा और जब वह जायगा तो उसे कहा जायगा कि नसबन्दी का कोई केस लाए। अब 300 रुपए में आदमी मिलता है इस काम के लिए। मैं चाहूंगा कि पहले जैसा नियम था कि दरख्वास्त चालान पास हुआ और उसके बाद जैसे ही रुपया जमा किया वह आटोमेटिकली भूमिधर हो गया। अगर कोई औब्जेक्शन करे तो वह कन्टेस्ट हो जाय।

माननीय मन्त्री जी से मेरी एक और प्रार्थना है कि वे ऐसे आदेश प्रसारित करें, भले ही उस कार्य के लिए सरकार कुछ पैसा निर्धारित कर दे कि हर साल किसानों को खसरे की नकल मिल जाया करे, इससे उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी। अगर वह उन्हें नहीं मिलती है तो बहुत गड़बड़ी की सम्भावना है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे रियासती लगान और देसी लगान के सर्किल रेट में जो अन्तर है, उसको पुनरीक्षित कराकर समान करवा दें।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

जहां तक विधेयक का सवाल है माननीय मन्त्री जी स्वयं स्थिति को जानते हैं और वे जिम्मेदार होंगे आगे के सभी कामों के लिए। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी का ध्यान किसानों की दशा सुधारने के लिए गया है और इसी कारण उन्होंने लगान बढ़ाने की प्रक्रिया अपनायी है। यदि किसान की हालत ज्यादा दुरस्त करना जरूरी समझा गया तो निश्चित है कि उसके लिए कुछ संशोधन भी जुटाने पड़ेंगे। अब यह मन्त्री जी के ऊपर है कि वह पैसा लेकर के सुधार और कितना हित किसान का करेंगे और अगर नहीं कर पाते हैं तो यहां का किसान उनको माफ नहीं करेगा। ऐसी हालत में जिम्मेदारी चूंकि मन्त्री जी और उनके सहयोगियों की है, उनकी सरकार बनी हुई है हमें इतनी चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि वह चुनाव में हार जायेंगे इस प्रश्न पर। यह जिम्मेदारी उनकी है—वह हारेंगे या जीतेंगे वे स्वयं जानें। इसलिए मैं समझता हूं कि इतना ही हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कहें कि किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार का ध्यान गया है और इसलिए वह संसाधन इकट्ठा कर रही है कि ज्यादा सड़कें, पुल-पुलियां बनायें, ज्यादा किसान मालदार हो, उसको अधिक सुविधा हो—शायद इसी कारण कर रहे होंगे। हम आशावादी लोगों के लिए यही बात अच्छी होगी।

जहां तक मन्त्री जी ने यह बात कही कि है ढाई गुने ज्यादा लगान नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सदन में जो भी बातें कही जायें वह जिम्मेदारी से कहीं जायें, क्योंकि मैंने अपने मामले में देखा है कि मेरे खाते में जहां 44 रुपया का लगान है और 3 शरीकदार हैं, उसके बारे में जब मैंने पूछा था तो पता लगा कि 240 रुपया अब देना पड़ा करेगा। तो यह 44 का पचगुना हो गया, जब कि वे दुगने और ढाई गुने की बात कहते हैं। वह 5 गुना कैसे लगा रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर हाउस में कहना चाहिए कि हम 5 गुना बढ़ा रहे हैं। तो यह दो गुने और ढाई गुने की बात जो मन्त्री जी ने कही है वह सही नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिधरी की सनद जारी करने की जो बात कही गयी है उसमें मेरा अपना विचार यह है कि जब तक सनद जारी नहीं हो जाय तब तक बैनामा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बीसों मामले आए हैं इस कानून के अन्तर्गत कि जो आदमी एक बार 20 गुना या 10 गुना दाखिल कर देता है। उसके बाद अगर उसकी नीयत में फर्क आ जाय तो एक दरख्वास्त देता है कि मैं 20 गुना वापस लेना चाहता हूं और अगर वह 20 गुना उसको वापस मिल जाय तो उसने जो बैनामा कर दिया है वह वैध नहीं होगा और इस प्रकार जिस आदमी का रुपया ले लिया वह मारा जाता है। वह जमीन का बैनामा माना ही नहीं जाता, क्योंकि सनद जारी नहीं होती। तो इस तरह की धोखाधड़ी बहुत चल रही है। एक आदमी ने 10 हजार की जमीन खरीदी, बैनामा हो गया, सनद जारी नहीं होती और उसको 15,000 देने वाला दूसरा ग्राहक मिल गया तो वह फौरन दरख्वास्त दे देता है कि मैं भूमिधर नहीं बनना चाहता जिससे उसका बैनामा खारिज हो जाय। इसलिए वह सनद एक हफ्ते में जारी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही बैनामा हो सके, यह प्राविधान होना चाहिए। इससे बहुत सारी धोखा-धड़ी समाप्त हो जायगी।

इस बिल से बहुत ज्यादा सुख लोगो को होने वाला नहीं है, बल्कि किसान परेशान होगा क्योंकि मुझे ऐसा मालूम नहीं होता है कि लेखपाल की धांधलेबाजी खत्म हो जाएगी। वह धांधलेबाजी तभी खत्म होगी जब वह 10 गुना, 20 गुना दाखिल करने की प्रथा खत्म हो, क्योंकि वही इन्दराज करता है और वह ठेका ले लेता है सनद जारी कराने और बैनामे तक का। तो जब तक यह 10 गुना, 20 गुना रखेंगे तो आपके बसकी बात नहीं है कि लेखपालों की और कानूनगो लोगों की रिश्वत खत्म हो।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अवैध कब्जों के बारे में आपने बहुत पैनल क्लाज लगाए। मैं बहुत दिनों से विधान सभा में कहता रहा हूं क्योंकि मैं गांव सभा का प्रधान भी हूं कि गांव सभा की भूमि की रक्षा के लिए आपको सख्त कानून बनाना पड़ेगा। यह आपने 3 साल का दन्ड कर दिया। इससे कौन मान जायगा। 447 में भी तो सजा है, उससे कौन मान जाता है। यह इसलिए है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर नाजायज कब्जा है तो मुकदमा करिए। उसमें जमीन छुड़ाने का कोई प्राविजन नहीं है। सिर्फ 6 महीने, 2 साल या 3 साल की सजा काट आएगा लेकिन जिस चीज की बेदखली होनी है वह उसी के पास रहेगी। जो आज कानून बन रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गांव सभा टयोलिया ग्राम तहसील बरेली में है। वहां के एक पुराने प्रधान ने 99 रसीदें गांव सभा की आबादी की भूमि की काट दीं। न कोई प्रस्ताव किया और न कोई समिति बुलाई, विधिवत् कोई काम नहीं हुआ और 99 रसीदें ऐसे काट दीं जैसे उसके घर की जमीन हो और वह सारा रुपया उसने हड़प लिया। मैंने मुकदमा किया और उसकी रसीदें भी 115 में कैन्सिल करा दीं लेकिन उसके बाद भी उसने कब्जा नहीं छोड़ा। सबने मकान बनाने शुरू कर दिए। दो साल लग गए इस मुकदमें को तय होने में तब तक मकान खड़े हो गए। किसी अधिकारी ने यह नहीं देखा कि जब मुकदमा चल रहा है तो मकान क्यों बन रहे हैं? 24 मुकदमें आज भी ऐसे हैं जिनमें बेदखली हो चुकी है लेकिन गांव सभा को आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया, मकान बने खड़े हैं? मैं तो बगैर किसी मदद के उनके मकानों पर कब्जा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इस कानून का भी हाल होगा।

एक बात इस विधेयक में और भी आयी है कि गांवों में मकानों को गिरा कर भी बनाया जा सकता है। गांव सभा बहुत से मुकदमें, जो अवैध आबादी के सम्बन्ध में हैं, इस लिए हार जाती है कि गांव सभा की आबादी के मकानों का कोई नकशा ही नहीं है जैसे कि शहरों के अन्दर हुआ करता है। गांव में अगर कोई आदमी 10 फीट भी बढ़ा लेता है तो वह कहता है कि यह तो हमारा पुश्तैनी है। इसलिए माननीय मन्त्री जी कृपा कर के उत्तर

प्रदेश के सभी गांवों में आबादी का नक्शा तैयार करा दें जिससे कि यह पता चल जाय कि अमुक भूमि ग्राम सभा की है और अमुक काश्तकार की है जिससे कि व्यर्थ की मुकदमेंबाजी समाप्त हो सके और गांव सभा की बहुत सी जमीन जो आबादी की है वह उसे मिल जाय।

पिछले दो, ढाई सालों से मैं बराबर इस बात की मांग करता रहा हूं और आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने वह मांग दोहराई है कि प्रदेश की जिन तहसीलों में चकबन्दी सब से पहले हुई थी उनमें आज से नियम से चकबन्दी नहीं हो पायी, वह पुराने नियमों के अनुसार हुई है। नतीजा यह है कि वहां कोई चकरोड नहीं है, पानी के साधन नहीं है, गूलें नहीं हैं और सबसे बड़ा जो नुकसान है वह यह कि गांव सभा की जमीन एक जगह नहीं है, कहीं 4 बिस्वा छूटी हुई है, कहीं 8 बिस्वा छूटी है और कहीं 10 बिस्वा छूटी हुई है। नतीजा यह होता है कि उन लोगों को, जिनको कि हम भूमि आबंटित करते हैं, बहुत परेशानी होती है। वे तरह-तरह की परेशानियों का सामना आज कर रहे हे। एक को कुछ जमीन यहां मिली है तो दूसरी एक मील दूर मिली है। वह ठीक तरह से उसका इन्तजाम भी नहीं कर पा रहा है। गांव सभा की जमीन भी अगर एक जगह पर होगी तो वह भी उसका सही इन्तजाम कर सकेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि दोबारा ऐसी तहसीलों में चकबन्दी करायी जाय। इस विधेयक में यह किया गया है कि 10 वर्ष बाद भी चकबन्दी हो सकेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को बहुत जल्दी कराया जाय। नयी चकबदी से अगर कुछ तहसीलों को लाभ हो सकता है, तो और तहसीलों के किसानों को भी वही लाभ मिलना चाहिए। जहां चकबन्दी बहुत पहले पुराने कानून के हिसाब से हो गयी है और लोगों को परेशानियां हैं। माननीय बहुगुणा जी ने भी इसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि अगर इस काम में हमारा करोड़ दो करोड़ रुपया खर्च भी हो जाए तो भी हमें इस काम को करवाना चाहिए।

जिस प्रकार अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, मैं उस तरह से व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर इस सब के बावजूद किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचा, आपने उससे कर तो वसूल कर लिया पर कोई सुविधा उसे नहीं पहुंची तो बहुत सारी चीजें फिर आपके सामनें आयेंगी। इससे आपके ससाधन अवश्य बढ़ कर करीब 70 करोड़ हो जायेंगे। काफी पैसा आप किसानों से ले सकेंगे, जिसका कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि उनके बीज की कीमत और पानी की कीमत काफी बढ़ी हुई है, उसकी और परेशानियां भी ज्यों की त्यों हैं। लेकिन आप यह टैक्स उनकी भलाई के लिए ही लगा रहे हैं। आप इसे लगाइए, मगर उसका लाभ उनको पहुंचना चाहिए। अगर इसका लाभ उसको नहीं पहुंचा तो उसकी कमर टूट जाएगी, फिर यह टैक्स आप उससे वसूल भी नहीं कर सकेंगे, कुर्की और वारन्ट आदि निकालने के लिए फिर आपको एक अलग विभाग खोलना पड़ेगा। इसलिए जो कल्पना आप उनकी भलाई की लेकर चले हैं, मैं चाहता हूं वह पूरी हो। भगवान के लिए मुझे भी यह गौरव हासिल हो कि मैं यह कह सकूं कि इस विधेयक पर बोलते समय मैंने माननीय मन्त्री जी की सराहना की थी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के लिए माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस विधेयक पर नहीं, बल्कि पूरे राजस्व पर विचार किया। चाहे लेखपाल हों, चाहे तहसीलदार हों, दुर्भाग्य यह है कि इस राजस्व विभाग का कोई भी आइटम, अगर कुछ आता है, तो उसमें पूरे राजस्व विभाग पर विचार-विमर्श होता है। यहां तक कि लेखपाल वर्ग बहुत बेईमान है, फलाना वर्ग बहुत ईमानदार है। यह तो प्रत्येक वर्ग में बेईमान और ईमानदार होते हैं। एक वर्ग को कहना कि बेईमान है, राजस्व विभाग को कहना कि उसमें सब बेईमान ही हैं, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सभी वर्गों में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अगर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीस्वामी प्रसाद सिंह]

आइटम हो, तो उसमें नसबन्दी का भी भाषण होता है, चकबन्दी का भी भाषण होता है जो इससे सम्बन्धित नहीं हैं। पट्टे का आबंटन का भी भपषण होता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम फेल हो गया। इससे सम्बन्धित जो क्लाज हों, उसके हिसाब से अगर भाषण हो तो उसको तो मैं जल्दी ग्रहण कर पाऊंगा। इतना व्यापक जो आप बता देतें हैं, वह मेरे माइन्ड में आता नहीं है, क्योंकि बजट का भी भाषण हो जाता है, बिहार का भी उसमें भाषण हो जाता है। तो इस तरह से उनके जो मूल्यवान सुझाव होते हैं, उनमें कुछ ही मैं ग्रैस्प कर पाया हूं। यह प्रवर समिति को सुदुर्द करने के लिए हमारे साथी कहे जाने वालों ने जो रखा है, उनकी यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि वह किसानों के भला कैसे शुभ चिन्तक हैं ?

आज सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, हो सकता है कि किसान उनको भला कहेंगे। अगर इसका प्रचार जनता में किया जायगा या उन किसानों के लगान को जिनका कि 6 पैसे एकड़ है, उसको नहीं आप बढ़ाना चाहते और प्रवर समिति में साल-डेढ़ साल मसले को डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई किसान पसन्द नहीं करेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम इतने अप्रिय हो जायगे, शासन पार्टी वालों को शायद चुनाव में मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह कहना कि यह काला कानून है, मैं तो यह समझता हूं कि शायद वह इस बिल की मंशा को नहीं समझ सके। सदियों से, जमींदारी एबालीशन के पहले से जो लगान की असमानता चली आ रही थी, उसमें इतने सालों से कोई प्रवर समिति नहीं हुई। वह इस कानून को फिर टाल देना चाहते हैं। जो केवल इसको काला कानून कह कर किसानों के प्रति हमदर्दी जाहिर करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि यह असत्य साबित होगी। श्रीमन्, कुछ मुझे यह आभास आता है कि इसे काला कानून कहा, हमारे सी0 पी0 एम0 साहब ने भी कहा कि इसका क्या कानून होता तो हमारे गले उतर जाता। कमरतोड़ विधेयक अगर लाते मन्त्री जी तो हमारे गले उतर जाता। तो ऐसा विधेयक लाया जिसको आप बुरा समझते हों, उसको तो हम लाना नहीं चाहते। शासन का जो प्रस्ताव हो जो विरोधी पार्टी पहले करती थी कि हर अच्छे प्रस्ताव का हमें अपोज करना है, वह आज हमें मालूम पड़ा कि प्रत्येक प्रस्ताव का अपोज करने का मतलब है। जहां तक इस कानून का प्रश्न है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए में खास-खास बातें ही कह सकूंगा। चूंकि उन्होंने एक बड़ी गम्भीर बात कहीं और यह कहा कि जब उसका असेसमेन्ट असिस्टेट कलेक्टर कर सकता है, तसीलदार, नायब तहसीलदार, तो वही उसका फैसला कर सकता है। संसार में जहां तक भी हमारी निगाह गयी है, ऐसा कही नहीं हुआ है कि जो आफिसर असेसमेंट करे वही आफिसर उसका फैसला करे। ऐसी कोई विधि मेरी नजर में नहीं है। माननीय सदस्य ने शायद इस क्लाज को पढ़ा नहीं है। और उन्होंने एक सनद पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का भी वकील है और मैं उससे सब कुछ समझता रहता हूं। तो मैं कहता हूं कि सेल्स टैक्स की वकालत हो सकती है, इनकम टैक्स की वकालत हो सकती है लेकिन कम से कम वह रेवेन्यू की वकालत नहीं है। आप इस क्लाज को पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है–246–(1) धारा 245 के अधीन भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी के मालगुजारी का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ अवधारण की प्रक्रिया असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए अस्थायी विवरण-पत्र तैयार कराएगा।

(2) अस्थायी विवरण–पत्र ऐसे आकार में प्रकाशित किया जाएगा जैसा नियत किया जाय।

(3) अस्थायी विवरण-पत्र में किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अस्थायी विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है।

आप सब सेक्शन (1) में देखें–इसमें है असिस्टेन्ट कलेक्टर जो परगनाधिकारी है, लेकिन एस0 डी0 एम0 है। क्लाज (3) के सब क्लाज (2) में जो दिया है वह एस0 डी0 एम0 से मतलब है। (1) और (3) को जो एक कर दिया गया है वह गलत है। इसमें दिया है कि आबजेक्शन परगनाधिकारी सुनेगा और वही फैसला करेगा।

माननीय ईश्वरी सिंह जी ने कहा कि सिंचित भूमि के कैलकुलेशन में लेखपाल समाज बेईमानी करेगा। जिसकी सिंचित भूमि नहीं है उसको भी सिंचित लिख देगा और इस तरह के कागजात में गड़बड़ी करेगा। इसमें लेखपाल के लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह कागज तो तहसीलदार के जिम्मे हो चुका है और तीन साल के बीच में जो भूमि सिंचित दर्ज है वह सिंचित मानी जाएगी, किसी एक साल में जिसमें नहीं होगी तो वह नहीं मानी जाएगी। तो इसमें लेखपाल का क्या प्रश्न है? मैं तो कहता हूं कि यदि इस विधेयक को पढ़कर माननीय सदस्य बोलते तो अच्छा वाद-विवाद हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे बिना पढ़े हुए ही लेखपाल समाज के खिलाफ कह दिया कि वे बेईमान हैं। यह मैं नहीं कहता कि लेखपाल बड़े अच्छे होते हैं। मैं भी उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। जहां तक चकबन्दी का प्रश्न है, हमारे बरेली के एक माननीय सदस्य ने कहा . . .

श्री ईश्वरी सिंह—

असिस्टेंट कमिश्नर की परिभाषा क्या है? नायब तहसीलदार को भी तो परगनाधीश कहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नहीं, नहीं, असिस्टेन्ट कलेक्टर तो एस0 डी0 ओ0 होता है।

अभी हमारे भाई ने जो परिचय दिया, वह प्रधान भी हैं। उन्होंने पुरानी चकबन्दी का हवाला दिया। तो पुरानी चकबन्दी का जो ऐक्ट था वह डिफेक्टिव था। उसमें न तो नालियों का प्राविधान था और न रोड का प्राविधान था। न इसका कोई प्राविधान था कि चक चौकोर होना चाहिए और न इसका प्राविधान था कि अगर 10 एकड़ जमीन है तो उसके दो चक नहीं होने चाहिए। तो इसी हिसाब से इसमें यह संशोधन लाये गये हैं कि अगर चकबन्दी हुए 10 साल हो गये हैं तो उसको हम दोबारा लेंगे। अगर हम ला नहीं बनाते हैं तो हमें सेंटर से जो एड मिलती है वह खत्म हो जाएगी। तो आपने जो कहा कि चकबन्दी करानी चाहिए तो वह तो इसमें आल-रेडी है।

दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि सनद भूमिधरी में गुंजाइश है। अब आप ऐक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि जिस वक्त वह रुपया जमा कर देगा तो रुपया जमा करने का चालान और इन्तखाब नायब तहसीलदार को पेश करेगा तो भूमिधर डिक्लेयर हो जायगा। शुबहा हो तो इन्क्वायरी कर लेगा। अभी तक था कि रुपया जमा किया और रुपया जमा करने के बाद भूमिधरी, जो क्लर्क बनाता था वह उसमें 6-6 महीने और एक-एक साल लग जाता था लेकिन सनद नहीं देता था। इसलिए बैनामा नहीं होता था। हालांकि कुछ रूलिंग हुयीं हैं कि भूमिधर उसको उसी तारीख से माना गया है जबकि रुपया डिपाजिट हो गया है। लेकिन भूमिधरी और सनद के बारे में भ्रष्टाचार था इसलिए भूमिधरी सनद में लिखने पढ़ने को खत्म कर दिया। रुपया डिपाजिट करके इन्तखाब लेकर तहसीलदार को पेश करेगा और तहसीलदार डिक्लेयर कर देगा और कागज में दर्ज हो जायगा तो इसको सरल बनाया गया है। पौड़ी-गढ़वाल के बारे में नेगी साहब ने कहा। तो मिनिमम 5 रुपये असिंचित का है वह अब 2 हो जायगा और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए है तो वह हो जायगा 4 रुपए। अगर मैक्सिमम है 10 रुपए तो 4 रुपए हो जायगा। अगर 20 रुपए है तो 6 रुपए कुछ पैसे हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

वहां का सर्किल रेट मन्त्री जी जानते होंगे कि क्या है ? 54 पैसे प्रति एकड़ है। तो 54 पैसे का 4 रुपये हो जायगा तो कितना बढ़ जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि 1 महीने से 3 महीने कर दिया गया है। तो इसमें कुछ लीगल बात है। तो सेक्शन 80, सी0 पी0 सी0 में 2 महीने का प्राविजन है। इसको 3 महीने किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अपने संशोधन को वापस लेंगे और किसानों को आपकी हमदर्दी जाहिर हो जायगी। इसको वापस ले लें और पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से खंड 43, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 और कुमायूं तथा उत्तरा खंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जून, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा सिवाय अध्याय 6 और 7 के जिन्हें 1 जुलाई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 की धारा 117 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे यहां आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 117 में—

(i) उपधारा (1) में शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाय" रख दिए जायेंगे ;

(ii) उपधारा (6) में शब्द "प्रख्यापन अथवा किसी विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "प्रख्यापन, विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे।

धारा 117-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 117-क में, उपधारा (2) में, शब्द "विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 119 में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिए जायेंगे।

धारा 122-ख का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 122-ख में —

(i) उपधारा (4-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् —

"(4-ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही में जांच के दौरान कारण बताने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि हक सम्बन्धी कोई प्रश्न सद्भावना पूर्वक उठाया गया है तो कलेक्टर आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायलय में अपन हक के सम्बन्ध में प्रख्यापन वाद दायर करें, और इस बीच अग्रतर कार्यवाही रोक देगा।";

(ii) उपधारा (4-घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

"(4-घ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति पूर्णत: या अंशत: ऐसे वाद में सफल हो जाता है, वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रतर कार्यवाही बन्द कर देगा या जारी रखेगा।

(4-घघ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर एसा वाद दायर नहीं करता है, या जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि —

(i) ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता ह जो आवश्यक हो ; और

(ii) यथास्थिति, सम्पत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए प्रतिकर की राशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाय।"

(iii) उपधारा (4-च) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(4-च) पूर्ववती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1975 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो एसे खेतिहर मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायगा कि ऐसे

खेतिहर मजदूर को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है।

स्पष्टीकरण—पद 'खेतिहर मजदूर' का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में उसके लिए दिया गया है।"

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ग से 115-ज के नियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन बनाए गए और सदैव से बनाए गए समझे जायेंगे, मानों यह धारा सभी सारभूत दिनांक पर प्रवृत्त थी और तदनुसार पूर्ववत् बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दी जाय।"

धारा 122-ग का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 122-ग में,—

(i) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—(2) पद 'ग्रामीण शिल्पी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जायं, और शिल्पी के अन्तर्गत कोई बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका या तो स्वयं अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से कोई शिल्प करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को जिसकी कुल आय (जिसमें उसकी या उसकी पत्नी और अवस्यक बच्चों की आय भी सम्मिलित है) एक वर्ष में दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, ग्रामीण शिल्पी नहीं समझा जायगा।"

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(9) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ठ में, उप नियम (2) सदैव से निकाला गया समझा जायगा।"

नई धारा 123-ख का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 123-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दण्ड

"123-ख—(1) जहां किसी व्यक्ति को गांव सभा में निहित किसी भूमि से इस अधिनियम के अधीन बेदखल कर दिया गया है, और वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से या अन्यथा, दावेदार हो, तत्पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है, वहां एसा अध्यासी कारावास

से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाला न्यायालय, उस व्यक्ति को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल कर दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर, चाहे उपधारा (1) के अधीन अभियोजन चलाया जाय या नहीं, उस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भूमि का कब्जा पुनः ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।"

धारा 128 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (ख) में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिए जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(ग) प्रतिकर की वसूली या क्षतिपूर्ति सहित भूमि के कब्जा लेने की प्रक्रिया ;"।

नई धारा 134 से 137 का रखा जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 134 से 137-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

सीरदारों द्वारा भूमिधरी अधिकार के लिए प्रार्थना-पत्र

"134—(1) कोई सीरदार, जो धारा 131 के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो असिस्टेन्ट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र अपने भूमिधरी अधिकार के प्रख्यापन के लिये प्रार्थना-पत्र में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना पत्र एक या अधिक सह सीरदारों द्वारा सम्पूर्ण खाता या उसके किसी भाग या उसमें किसी अंश के सम्बन्ध में दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे खाता, भाग या अंश के लिए मालगुजारी के, जो प्रार्थना-पत्र के दिनांक को देय हो या देय समझी जाय, दस गुना के बराबर राशि नियत रीति से जमा न कर दी गई हो।

भूमिधरी अधिकारों का प्रख्यापन

135—(1) यदि असिस्टेन्ट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा 134 में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र यथोचित रूप से दिया गया है तो वह, आदेश द्वारा, प्रार्थी को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमिधर प्रख्यापित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के पूर्व, असिस्टेन्ट कलेक्टर ऐसी जांच कर सकता है, जैसी नियत की जाय।

136—जहां धारा 135 के अधीन कोई प्रख्यापन यथोचित रूप से किया गया हो, वहां सीरदार प्रख्यापन के दिनांक से प्रख्यापन का परिणाम प्रख्यापन में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमिधर समझा जायगा, और उसके वे सब अधिकार होंगे और वे सब दायित्व होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन भूमिधरों को प्रदत्त या आरोपित हों।

137—(1) धारा 135 के अधीन किए गए प्रख्यापन को, किसी प्रख्यापन का निरसन हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) असिस्टेंट कलेक्टर निम्नलिखित किसी आधार पर निरसित या परिष्कृत कर सकता है, अर्थात् :—

(क) प्रख्यापन कपटपूर्वक मिथ्या सुझाव प्रस्तुत करके, या मामले से सम्बद्ध कोई सारभूत बात असिस्टेन्ट कलेक्टर से छिपाकर प्राप्त किया गया था ;

(ख) प्रख्यापन किसी ऐसे तथ्य के असत्य अभिकथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान करने के लिए आवश्यक था चाहे ऐसा अभिकथन अज्ञानवश या असावधानीवस किया गया हो ;

(ग) उस खाते के विषय में जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन-पत्र दिया गया था, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से यह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी उसके लिए हकदार नहीं था।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रख्यापन-पत्र को निरसित किया जाय वहां राशि को जमा करने वाला व्यक्ति उसे वापस पाने का हकदार होगा।"

धारा 138 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में अंक "134" के स्थान पर अंक "136" रख दिया जायगा।

धारा 154 का प्रतिस्थापन

11—मूल अधिनियम की धारा 154 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

"154—(1) उपधारा (2) में जैसी व्यवस्था की गयी है उसके सिवाय, किसी भी भूमिधर को चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा यदि संक्रामिती ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त और अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबन्ध

(2) भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के, जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, पक्ष में है या संक्रमण जनसाधारण के हित में है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'परिवार' का तात्पर्य संक्रामिती, उसकी पत्नी या उसके पति, (जैसी भी दशा हो), से है और इसके अन्तर्गत उसके अवयस्क बच्चे भी होंगे, और यदि संक्रामिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे।

विदेशी नागरिक भूमि अर्जित नहीं करेंगे

154-क—(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा किसी भूमि का अर्जन करने का अधिकार नहीं होगा।

(2) किसी भूमिधर को उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को किसी भूमि का संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा।"

धारा 156 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) में स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 163 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 163 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

भूमिधर द्वारा शून्य संक्रमण के परिणाम

"163—(1) जहां कोई खाता या उसका भाग धारा 154 या धारा 154-क या धारा 157-क का उल्लंघन करके संक्रमित किया गया हो वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वयं या किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे संक्रमण को शून्य घोषित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संक्रमणकर्ता और संक्रामिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं दिया जायगा।

(2) जहां किसी खाता या उसके भाग के संक्रमण, को उपधारा (1) के अधीन शून्य प्रख्यापित किया गया हो, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :—

(क) संक्रमण के विषय वस्तु को, ऐसे आदेश के दिनांक से समस्त भार से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा ;

(ख) आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान वृक्षों, फसलों और कुएं को, उक्त दिनांक से समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा ;

(ग) संक्रामिती आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान अन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति के सामान को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, हटा सकता है।

(3) जहां कोई खाता या उसका भाग या अन्य सम्पत्ति उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है, और उस पर किसी व्यक्ति का अप्राधिकृत अध्यासन है, वहां कलेक्टर का यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि उस व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन

के लिए वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 167 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"167—धारा 163 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट परिणाम प्रत्येक संक्रमण के सम्बन्ध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, उत्पन्न होंगे, मानो धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक के प्रति निर्देश के स्थान पर ऐसे संक्रमण के दिनांक के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो।"

धारा 210 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 210 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"210—यदि धारा 209 के अधीन किसी भूमि से बेदखली के लिए वाद की प्रस्तुति किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के द्वारा, या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन उसके द्वारा, यथास्थिति, ऐसे वाद की संस्थिति या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए उपबन्धित अवधि के भीतर न की जाय तो कब्जा कर लेने या रखने वाला व्यक्ति—

(i) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उस भूमि का सीरदार हो जायगा, और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ;

(ii) जहां भूमि गांव सभा की ओर से कब्जा रखने वाले किसी असामी के खाते का भाग हो वहां वह उसका वर्ष प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकार रखने वाला असामी हो जायगा।"

धारा 211-क का निकाला जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 211-क निकाल दी जायगी।

धारा 230 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 230 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (क) से (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसे देने की प्रक्रिया ;

(ख) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन जमा करने की रीति ;

(ग) धारा 135 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया।"

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङङ) धारा 163 और 167 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया।"

नई धारा 245, 246 और 247 का रखा जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 245, 246, 247 और 247-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

भूमिधर और सीरदार द्वारा देय मालगुजारी

245—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 1 जुलाई, 1976 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए राज्य सरकार को अपने द्वारा धृत

भूमि के लिए उपधारा (2) और धारा 24 और धारा 247 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मालगुजारी का देनदार होगा।

(2) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि उस धनराशि के बराबर होगी जिसकी गणना उसके खाते में सम्मिलित गाटों पर लागू मौरूसी दरों के दुगने पर की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गणना की गई मालगुजारी —

(i) किसी असिंचित गाटा के संबन्ध में पांच रुपए प्रति एकड़ से कम या दस रुपए प्रति एकड़ से अधिक न होगी ;

(ii) किसी सिंचित गाटा के सम्बन्ध में दस रुपए प्रति एकड़ से कम या बीस रुपए प्रति एकड़ से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण 1—'गाटा' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसके लिए एक पृथक खसरा संख्या दी गई हो।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'सिंचित गाटा' का तात्पर्य ऐसे गाटा से है जिसके क्षेत्रफल के कम से कम आधे भाग में 1379 फसली से 1383 फसली (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के बीच किसी तीन कृषि वर्ष में प्रत्येक में कम से कम एक फसल की सिंचाई किसी स्रोत से की गई हो और पद 'असिंचित गाटा' का तात्पर्य सिंचित गाटों से भिन्न प्रत्येक गाटा से है।

स्पष्टीकरण 3—शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व था, मालगुजारी का देनदार होगा।

मालगुजारी के अवधारण की प्रक्रिया

246—(1) धारा 245 के अधीन भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ असिस्टेंट कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए अस्थायी विवरण-पत्र तयार करायेगा।

(2) अस्थायी विवरण-पत्र ऐसे आकार में प्रकाशित किया जायगा जैसा नियत किया जाय।

(3) अस्थायी विवरण-पत्र में किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अस्थायी विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है।

(4) परगने का अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) अस्थायी विवरण-पत्र का, यदि आवश्यक हो, उपधारा (4) के अधीन आदेश के अनुसार पुनरीक्षण किया जायगा, और तदुपरान्त उस पर परगना के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा और मुहर लगाई जाएगी और वह अन्तिम और निश्चायक हो जायगा।

(6) परगने का अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर उपधारा (5) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र में किसी लिपिक या गणित सम्बंधी भूल या किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली किसी त्रुटि को ठीक कर सकता है।

247—धारा 246 में अभिदिष्ट अन्तिम विवरण-पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि, यथास्थिति, भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी होगी और पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय।"

मालगुजारी की दर पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें सम्यक रूप से परिवर्तन न कर

धारा 249 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 249 में, शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा 247-क में की गयी है, निकाल दिए जायेंगे।

धारा 251 का निकाला जाना

20—मूल अधिनियम की धारा 251 निकाल दी जायेगी।

धारा 252 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 252 में,—

(i) उपधारा (1) में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिए जायेंगे, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाएगा।

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 253 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 253 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायेगा, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 257 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 257 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 264 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 264 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 267 का निकाला जाना

25—मूल अधिनियम की धारा 267 निकाल दी जायेगी।

धारा 287-क का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 287-क में, उपधारा (1) में, शब्द "बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिए" के पश्चात् शब्द "या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिए" रख दिए जायेंगे।

धारा 294 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में —

(i) खण्ड (कक) निकाल दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (ग) निकाल दिया जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में —

(क) क्रम-संख्या 7 में, स्तम्भ संख्या-2 में, अंक और अक्षर "137-क' के स्थान पर अंक "137" रखा जायेगा;

(ख) क्रम संख्या 14 के सामने स्तम्भ—3 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"किसी संक्रमण को शून्य प्रख्यापित करने के लिए प्रार्थना पत्र।"

(ग) क्रम-संख्या 40 और 41 की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

29—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 134 से 134-क में से, जैसा वह इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व थी, किसी धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही इस अध्याय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन कार्यवाही समझी जाएगी और तदनुसार निस्तारित की जाएगी। संक्रमण-कालीन उपबन्ध

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

30—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात् :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1953 में नई धारा 4—क का बढ़ाया जाना

"4-क—(1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से दस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं।"

31—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 5 का संशोधन

"स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जाएगा।"

32—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— धारा 52 का संशोधन

"(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबन्दी योजना के अन्तिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अन्तिम हो जाता है वहां इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किए जायें, कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जाएगा ;

(ख) चकबन्दी कार्यवाही में सम्बद्ध खातेदार को प्रविष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायगा ;

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा।"

धारा 54 का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(गग) चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रांत का ऐक्ट संख्या 3, 1948 की धारा 1 का संशोधन

34—संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।"

धारा 2 का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 2 म —

(क) खण्ड (1) में शब्द "कृषि सम्बन्धी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा ;

(ख) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् ;—

"(4) 'गांव' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, चाहे एकत्र हो या नहीं, जो सम्बद्ध जिले के माल अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खंड (25) के अधीन किसी गांव के रूप में प्रख्यापित क्षेत्र भी सम्मिलित है।"

धारा 4 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 4 में —

(i) शब्द "कृषि सम्बन्धी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा ;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ग) अपने मकान का चाहे वह कच्चा या पक्का या दोनों हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए पुनर्निर्माण या नवीकरण करें।"

अध्याय 5

यू0 पी0 लैण्ड रेवेयू, ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3; 1901 की धारा 33 का संशोधन

37—यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 33 में—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात :—

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्यशीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, जोत बही (पास बुक) तैयार कराएगा और ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में जिनके सम्बन्ध में वह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर से लिए गए ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त खातों की स्थिति में इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत बही (पास बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को, जो नियत किया जाय, दी जाय।

स्पष्टीकरण :—जोत बही (पास बुक) खातेदार की, भूमिधर सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में समस्त जोतों के लिए संहत पास बुक होगी।"

(ख) उप धारा (5) और (6) में जहां कहीं भी शब्द 'जोतबही' आया हो उसके स्थान पर शब्द 'जोतबही (पास बुक)' रख दिए जायेंगे।

धारा 183 का प्रतिस्थापन

38—मूल अधिनियम की धारा 183 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी :—

अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

"183—(1) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिए या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाए तो वह ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को अध्यर्थित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई हो, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और ऐसे वाद में वादी, धारा 145 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि के, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक कि अभ्यापत्ति, जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उनकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972 की धारा 2 का संशोधन

39—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (कक) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

40—मूल अधिनियम की धारा 5 में —

(i) उपधारा (4) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् —

"(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से अस्सी लाख रुपयों की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को गांवों में पेय जल की योजनाओं को तैयार, निष्पादित, प्रोन्नत, प्रवर्तित और अनुरक्षित करने के लिए देगी और शेष धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे ;" ;

(ii) उपधारा (6) में, खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसी पेय जल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों," निकाल दिए जायेंगे।

अनुसूची का प्रतिस्थापन

41—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात् :—

अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

"भूमि विकास कर नीचे विनिर्दिष्ट दर से देय होगा :—

क—किसी भूमिधर, सीरदार या सरकारी पट्टेदारी की स्थिति में —

(i) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं।
(ii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के एक-तिहाई के बराबर धनराशि।
(iii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के आधे के बराबर धनराशि।

(iv) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।	उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि।
ख—किसी मध्यवर्ती की स्थिति में	उसके द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि।

स्पष्टीकरण:—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' के अन्तर्गत व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं।"

अध्याय 7

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17; 1960 की धारा 47 का संशोधन

42—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 47 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अथात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 245, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होगी :—

(1) उन क्षेत्रों में, जहां यह अधिनियम लागू होता है, डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ की जायगी ;

(2) उस जिले में, जहां कोई मौरूसी दर नहीं है, "मौरूसी दर" के प्रति निर्देश का अर्थ "गांव मालगुजारी दर" के प्रति निर्देश से लगाया जायगा ;

(3) किसी ऐसे जिले के सम्बन्ध में, जिसमें अधिकतम मौरूसी दर या गांव मालगुजारी दर एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (i) में शब्द 'पांच रुपए' और 'दस रुपए' के स्थान पर क्रमश: शब्द 'तीन रुपए' और 'पांच रुपए' रख दिये जायेंगे और उसके खण्ड (ii) में शब्द 'दस रुपए' और 'बीस रुपये' के स्थान पर क्रमश : शब्द 'छ: रुपए' और 'दस रुपए' रख दिए जायेंगे।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17; 1976

निरसन और अपवाद

43—(1) उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम, सभी सारभूत समय पर प्रवृत था।

उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 43 तक, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रुल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 501–508 पर)

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 504–508 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 509–513 पर)

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव-विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 514–515 पर)

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंध में संकल्प

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 पर, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार करने हेतु इस राज्य विधान मन्डल को निर्दिष्ट किया गया है, विचार करने के पश्चात् उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।"

मान्यवर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का विवाद बहुत दिनों से चल रहा था। इसकी मध्यस्थता भूतपूर्व गृह मन्त्री, श्री उमा शंकर दीक्षित ने दिनांक 17 मई, 1974 को एक बैठक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों को बुलाकर किया था जिसमें निर्णय किया था। उस निर्णय के द्वारा यह विधेयक जिसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलन्दशहर तथा हरियाणा के गुणगांव आदि के सम्बन्ध में जो झगड़ा चल रहा था उसको तय किया गया है। उसके सन्दर्भ में यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मन्त्री जी यह बता दें कि कितनी सीमा किधर गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तो काफी लम्बा है। इसमें अलीगढ़ के जो गांव हैं वह यह हैं—धरबरा 310 एकड़, फाजिलपुर कच्छ 4 एकड़, समसपुर 662 एकड़, गिरधरपुर 383 एकड़, उदाखानी खादर तथा आरजीकटरी को मिलाकर कुल 1979 एकड़ अलीगढ़ का हरियाणा में चला गया है।

1979 एकड़ अलीगढ़ का हरियाणा में चला गया और हरियाणा से उत्तर प्रदेश को 1222 एकड़ जमीन मिली। इसी प्रकार बुलन्दशहर से यह जो 3546 एकड़ प्राप्त हुई निकली और बुलन्दशहर को जो प्राप्त हुई वह 2426 एकड़ मौके पर प्राप्त हुई जिससे उत्तर प्रदेश को 983 एकड़ अधिक प्राप्त हुई। इसी प्रकार सहारनपुर के जिले तथा मेरठ के जिले में कुछ परिवर्तन हुए हैं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इसमें किस गांव में कितनी एकड़ निकली, कितनी एकड़ आयी यह बता दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस तरह से काफी गांव इसमें हैं और यह काफी लम्बा है।

श्री प्यारे लाल—

इसकी एक कापी सारे सदस्यों को दे दी जाय तो जानकारी हो कितना मिला, कितना गया, कितना पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

कुल बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो टोटल एरिया हरियाणा को चला गया है वह 21581 एकड़ है और हरियाणा से 19079 एकड़ प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के चार जिलों में 11004 एकड़ कम हो गया और प्रदेश के एक जिले में 8502 एकड़ बढ़ गया। इस प्रकार कुल 2502 एकड़ उत्तर प्रदेश का इससे नुकसान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 पर, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार करने हेतु इस राज्य विधान मन्डल को निर्दिष्ट किया गया है विचार करने के पश्चात् उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 516–518 पर)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें हैं। एक श्री दीप नारायण पाण्डेय जी की जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के सिलसिले में है। इसमें तारांकित प्रश्न पहले ही स्वीकार किया जा चुका है इसलिए इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरा प्रश्न श्री विमल प्रसाद तिवारी जी का है जो अस्वीकार किया गया। इसकी जानकारी की जा सकती है।

अब हम उठते हैं कल पुन: 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
3 नवम्बर, 1976

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 388 पर)

जिनकू लाल इन्टरकालेज, बस्ती के फार्म की आय

वर्ष	आय रुपए पैसे में
1971-72	.. 2,088.94
1972-73	.. 3,217.52
1973-74	.. 2,781.01
1974-75	.. 4,051.82
1975-76	.. 4,819.03

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 389 पर)

पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा विस्तार के हेतु किये गये कार्यों का विवरण

1—निम्नांकित विद्यालय जो राजकीय तथा गैर-सरकारी हाई स्कूल के रूप में चल रहे थे उनका इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया —

(1) डूमन्ड राजकीय इन्टर कालेज, पीलीभीत
(2) एस0 एन0 इन्टर कालेज, पीलीभीत
(3) एस0 डी0 बी0 बी0 रामा इन्टर कालेज, पीलीभीत
(4) राजकीय कन्या इन्टर कालेज, पीलीभीत।

2—वर्ष 1961 में बालिकाओं का एक कन्या जूनियर हाई स्कूल (आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीलीभीत) हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत किया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सूची 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 394 पर)

सूची

रिग्स प्रखन्ड, वाराणसी के चतुर्थ उपखंड में रिग मशीनों का विवरण

मशीन का नाम	मूल्य रु0	कुल छिद्रण फुट में	व्यय की गई धनराशि
1—होल मास्टर रिग नं0 4 ..	5,40,000	10,080	1,66,302.49
2—बोल्टास ..	4,90,000	750	99,672.96

सिंचाई मंत्री।

'परिशिष्ट ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 404 पर।)

निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार, जनपद गोरखपुर में राप्ती एवं गोर्रा दोआब के कटान से पीड़ित ग्रामों की सूची

वर्ष 1973	वर्ष 1974	वर्ष 1975	वर्ष 1976
डुमरी	डुमरी	डुमरी	डुमरी
सेमरौना	सेमरौना	सेमरौना	सेमरौना
बरही	बरही	बरही	बरही
चितहरी	चितहरी	चितहरी	चितहरी
अमारी	अमारी	अमारी	अमारी
सहोड़वा पासी टोला	सहोड़वा पासी टोला	सहोड़वा पासी टोला	सहोड़वा पासी टोला
बेतवा उर्फ चनऊ	..	..	चनऊ
	जैराम कोल	जैराम कोल	जैराम कोल
		सहोड़वा यादव टोला	सहोड़वा यादव टोला
		सरार मल्लगवां	सरार मल्लगवां
		उपधौलिया	उपधौलिया
		जोगिया	जोगिया
		भंवरही बंगला टोला	भंवरही बंगला टोला
		बड़हरा	बड़हरा
		बखही	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 411 पर।)

श्री वेद प्रकाश कपूर द्वारा की गयी शिकायतें:—

1—विश्वविद्यालय में अमान्य नियम प्रचलित हैं।

2—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री कपूर को उनके सीनियर इन्स्ट्रक्टर के पद पर बहाल किए जाने का आदेश दिया गया था किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनको बहाल नहीं किया गया ; तथा

3—विश्वविद्यालय द्वारा श्री कपूर को एक बहुत निम्न स्तर का पद इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि उनको उनके पिछले दावों (क्लेम्स) का भुगतान नहीं किया जायगा।

रुड़की विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण—

1—रुड़की विश्वविद्यालय में जो नियम लागू हैं वे अमान्य नहीं हैं।

2—माननीय उच्च न्यायलय के दिनांक 19 जनवरी, 1972 के निर्णय में श्री कपूर के पद को रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त करने और उनको सेवा निवृत्त करने के ढंग में कुछ त्रुटि निकाली गयी थी। उस निर्णय के अनुसार श्री कपूर को रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 1972 से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया था। बाद में रुड़की विश्वविद्यालय की एकाडेमिक कौंसिल तथा सिन्डीकेट ने श्री कपूर के पद को एक मत से दुबारा समाप्त कर उनको पुन: सेवा निवृत्त कर दिया। श्री कपूर ने इसके विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में पुन: अपील की। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय की कार्यवाही को ठीक बताया।

3—श्री कपूर द्वारा धारित सीनियर इन्स्ट्रक्टर का पद समाप्त कर दिए जाने के कारण इस पद पर उनकी पुन: नियुक्ति किए जाने का प्रश्न नहीं उठता था। किन्तु मानवता के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सर्वे टेक्नीशियन के एक नव-सृजित पद पर उसी वेतन-मान तथा उसी वेतन पर दिनांक 16 फरवरी, 1976 से नियुक्त कर लिया गया है जो वह सीनियर इन्स्ट्रक्टर के पद पर पाते।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 419 पर।)

1—कर्णाली (जो भारत में घाघरा कहलाती है) पर भारत नैपाल सीमा से लगभग 40 कि0 मी0 उत्तर में नैपाल राज्य ने एक बांध प्रस्तावित किया है। परियोजना की लागत एवं विद्युत् क्षमता की सही सूचना प्राप्त नहीं है, परन्तु उपलब्ध प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुसार बांध पक्का होगा और उसकी अधिकतम ऊंचाई 207 मीटर होगी। विद्युत्गृह में छः 300 मेगावाट की यूनिटें लगाई जायेंगी जिससे प्रतिवर्ष 8.35 करोड़ यूनिट बिजली प्रजनित होगी। नैपाल में 3,30,000 हेक्टेयर तथा भारत में 1,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा।

2—राप्ती नदी पर नैपाल में जलकुन्डी स्थान पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित बांध की योजना है। इससे बाढ़ नियन्त्रण, जल विद्युत् उत्पादन और सिंचाई के लाभ होंगे। इस योजना के कई विकल्प सोचे गए हैं। अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार 45 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित है जिससे 110 मेगावाट जल विद्युत् मिलेगी। भारत में 2 लाख एकड़ भूमि बाढ़ से बचेगी। नेपाल में 2,20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा भारत को 3,300 घनफुट प्रति सेकेन्ड पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध होगा। लागत 93.70 करोड़ रुपए अनुमानित है।

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी 'छ'

[देखिये पीछे पृष्ठ 421 पर।]

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 और उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (5) में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 की धारा 3 का संशोधन

(क) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ—पदेन,";

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(चच) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की, पदेन;"

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन

"(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बंधन के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर आरोपित करे, परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में,— धारा 35 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "योजना" रख दिया जायगा,

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "आवास या सुधार योजना" रख दिए जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:— धारा 63 का संशोधन

"(1) (क) आवास आयुक्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व की जाने वाली विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष उस वर्ष के लिए परिषद् का बजट रखेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा बजट, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा जो नियत किया जाय और जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(1) आवास और सुधार योजनायें जिनके बारे में परिषद् का प्रस्ताव है कि उन्हें अंशतः या पूर्णतः उस वर्ष निष्पादित किया जाय;

(2) परिषद् के समस्त दायित्वों का यथोचित रूप से निर्वाह, और

(3) इस अधिनियम का दक्षतापूर्वक प्रशासन, और उसके साथ एक विवरण-पत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिए पूंजी और राजस्व लेखे में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किए जायेंगे और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टयां होंगी जो नियत की जाएं।

(ग) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे परिष्कार सहित या परिष्कार रहित स्वीकृत करेगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(घ) राज्य सरकार परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन कर सकती है, या उसे ऐसे परिष्कारों के लिए, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिषद् को लौटा सकती है।

(ङ) जब कोई बजट इस प्रकार लौटाया जाय तब परिषद् तत्काल ऐसे परिष्कार करेगी और इस प्रकार परिष्कृत बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसका अनुमोदन वह तब कर सकती है।

(च) आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट का अनुमोदन किया है, किसी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1963 की धारा 59 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में —

(एक) कोष्ठक और शब्द "(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो तथा जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'चालू आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् —

"(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञापित किया गया हो, तथा जो तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए अनुमोदित की जाए, या जिन्हें ऐसी घोषणा

के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय, जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'विशेष आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)" ;

(दो) शब्द "और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियन्त्रक प्राधिकारी की शक्ति क्रमश : उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् —

"और ऐसे सभी कार्य जिसे यदि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 निलम्बित न होता तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी कर सकते, और जिसे ऐसे निलम्बन के पश्चात् उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 प्रयुक्त होने के कारण, अब भी किया जा सकता है, को करने की शक्ति क्रमश : उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष में निहित होगी।"

(ख) उपधारा (13) में शब्द "चालू आवास परिषद् स्कीम" के स्थान पर शब्द "विशेष आवास परिषद् स्कीम" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के सुचारु कार्य संचालन के लिये निम्नलिखित कतिपय संशोधन प्रस्तावित है :—

(1) परिषद् के गठन में निदेशक (सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की को पदेन सदस्य के रूप में बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 3 में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के बजाय प्रबन्ध निदेशक जल निगम को पदेन सदस्य के रूप में विनिर्दिष्ट करके औपचारिक परिवर्तन भी किया जा रहा है।

(2) धारा 8 में, परिषद् के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का सरलीकरण करने का प्रस्ताव है।

(3) धारा 35 के उपबन्धों का प्रसार सभी प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में करने का प्रस्ताव है।

(4) बजट के सम्बन्ध में धारा 63 के उपबन्धों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है।

(5) परिषद् को आपवादिक मामलों में विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में नई स्कीम आरम्भ करने के लिये भी प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(2) तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 422 पर)

उत्तर प्रदेश पशुक्रय कर विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में पशुओं के क्रय पर कर का उद्ग्रहण करने के लिए

विधेयक

भारत गण राज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम; विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशु क्रय कर अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में—

(1) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशुकर अपील प्राधिकारी से है ;

(2) 'निर्धारण प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु–कर निर्धारण प्राधिकारी से है ;

(3) 'पशु, का तात्पर्य गाय, भैंस, ऊंट हाथी, घोड़ा, गदहा, टट्टू, बकरी, भेड़ या सुअर या उनमें से किसी की सन्तति से है, चाहे वह नर हों या मादा और किसी भी उम्र का हो;

(4) 'पशु क्रय कर' या 'कर, का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है ;

(5) 'संग्रह प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु–कर संग्रह प्राधिकारी से है ;

(6) 'बाजार' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, लगने वाले हाट, मेला या प्रदर्शनी से है, जहां पशुओं के विक्रय का संव्यवहार व्यापक रूप से तय किया जाय, दर्ज किया जाय या सम्पन्न किया जाय ;

(7) 'कीमत' का तात्पर्य पशु क्रय करने के लिये प्रतिफल रूप में क्रेता द्वारा नकद या वस्तु रूप में दी गयी या देय राशि से है, और जब वह वस्तुरूप में हो तो उसके बराबर नकद राशि से है, और कीमत में गिरवी के संव्यवहार की स्थिति में, गिरवी से प्राप्त राशि भी सम्मिलित है;

(8) 'क्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या दूसरे की ओर से पशु क्रय करने वाले व्यक्ति से है और उसमें बाजार में गिरवी रखे गये पशु का पण्यमदार भी सम्मिलित है ;

(9) 'विक्रय' का तात्पर्य कीमत के बदले में स्वामित्व के अन्तरण से है, और इसमें गिरवी का अन्तरण भी सम्मिलित है और पद 'क्रय' का तदनुरूप अर्थ लगाया जायगा ;

(10) 'विक्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या किसी दूसरे की ओर से पशु का विक्रय करने वाले व्यक्ति से है।

अध्याय 2

कर का अधिरोपण

पशु के क्रय पर कर का उद्ग्रहण

3—राज्य सरकार द्वारा इस निमित्ति अधिसूचित दिनांक पर और दिनांक से, बाजार में पशु विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर, अनुसूची में दी गई दर पर, क्रेता द्वारा राज्य सरकार को कर दिया जायगा जो पशु क्रय-कर कहलायेगा।

स्पष्टीकरण—जिस स्थान पर बाजार लगता है, उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर किसी भी स्थान पर किये गये क्रय को बाजार में किया गया क्रय समझा जायगा।

अन्य कर से छूट

4—जहां किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय हो, वहां किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन पशु के क्रय या विक्रय पर कोई कर, उपकर शुल्क या अन्य उद्ग्रहण देय नहीं होगा।

राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति

5—राज्य सरकार, जनसाधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा, किसी क्रेता या क्रेताओं के किसी वर्ग को कर भुगतान से छूट दे सकती है।

अध्याय 3

कर और शास्ति की वसूली

प्राधिकारियों की नियुक्ति

6—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट बाजार के लिये किसी व्यक्ति को, चाहे नाम से या पदनाम से,—

(क) कर और शास्ति का निर्धारण कार्य करने और किसी अन्य कार्य को, जो विहित किया जाय करने के लिये 'पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी,;

(ख) इस अधिनियम में उपबन्धित अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण करने के लिये 'पशु-कर अपील प्राधिकारी';

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का संग्रह या उसे वसूल करने के लिये 'पशु-कर संग्रह प्राधिकारी;

नियुक्त कर सकती है:

परन्तु एक से अधिक क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिए एक ही प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या, किसी विशिष्ट क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिए एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं।

कर संग्रह का अधिकार ठेके पर देना

7—(1) राज्य सरकार, किसी बाजार में कर संग्रह का अधिकार, सार्वजनिक नीलाम या आपसी बातचीत द्वारा, एक बार में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसी शर्तों और उपबन्धनों पर, जैसी राज्य सरकार उचित समझे, किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा की स्थिति में पट्टेदार को और उसके द्वारा कर का संग्रह करने के प्रयोजन के लिये उसके अभिकर्ता के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रह प्राधिकारी समझा जायगा।

प्रतिभूति

8—(1) धारा 6 के अधीन संग्रह प्राधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति से, जो सरकारी सेवा में न हों, ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायगी जिससे इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी राशि का सरकारी कोषागार में जमा किया जाना सुनिश्चित हो जाय।

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पट्टेदार से अपेक्षा की जायगी कि वह पट्टे की शर्तों और निबन्धनों का सम्यक पालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति दे, जैसी राज्य सरकार निदेश दे।

पशुओं का अभिग्रहण करने की शक्ति

9—(1) कर की मांग करने पर भुगतान न करने की स्थिति में संग्रह प्राधिकारी पशु का अभिग्रहण कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण करने पर पशु को निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

(2) यदि पशु का अभिग्रहण किये जाने के 24 घंटे के भीतर कर और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और अभिग्रहण से उत्पन्न व्यय का भुगतान कर दिया जाय तो पशु को छोड़ दिया जायगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित देयों का भुगतान उक्त अवधि के भीतर न किया जाय तो निर्धारण प्राधिकारी पशु को बेच सकता है और कर अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो और ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के कारण हुए व्यय को काटने के पश्चात्, अधिशेष, यदि कोई हो, पशु के स्वामी को लौटा देगा:

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन क्रेता द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।

कर का भुगतान न करने के लिये शास्ति

10—यदि कोई क्रेता क्रय के समय या विहित अवधि के भीतर अपने द्वारा देय कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का भी देनदार होगा:

परन्तु क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी:

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि अदत्त कर की राशि के पांच गुने से अधिक न होगी।

कोषागार में जमा करना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति

11—संग्रह प्राधिकारी अपने द्वारा वसूल की गयी समस्त राशि को वसूल करने के दिनांक से तीन दिन के भीतर सरकारी कोषागार में जमा करेगा जिसके न करने पर, वह इस प्रकार वसूल की गई राशि के अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का देनदार होगा:

परन्तु उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी:

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक न होगी।

भू-राजस्व के रूप में वसूली

12—इस अधिनियम के अधीन देय कर, या शास्ति की राशि या अन्य राशि, निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 4

अपील

अपील

13—(1) कर निर्धारण या धारा 10 या धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को विहित रीति से अपील कर सकता है:

परन्तु कोई ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित कर और अधिरोपित शास्ति की, यदि कोई हो, कम से कम आधी राशि का भुगतान करने का संतोषप्रद सबूत न हो।

(2) अपील प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश देगा जैसा वह उचित समझे और वह आदेश अन्तिम होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

उपस्थित होने आदि के लिये बाध्य करने की शक्ति:

14—निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं :

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी की साक्षी या स्थानीय अन्वेषण या लेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसा अन्तरिम आदेश देना जैसा न्याय के उद्देश्य के लिये आवश्यक हो;

और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

मूल सुधार

15—निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी निर्धारण या अपील के निस्तारण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी समय, यथास्थिति, निर्धारण या अपील के अभिलेख में प्रत्यक्ष किसी भूल का सुधार कर सकता है :

परन्तु कोई ऐसा सुधार, जिससे क्रेता का दायित्व बढ़ जाय क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा।

वादों और कार्यवाहियों पर रोक

16—इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी न्यायालय में कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा, और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के लिये किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम

17—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) क्षेत्र के अनुसार बाजार का परिसीमन और उसकी अवधि;

(ख) रीति जिसके अनुसार कर का निर्धारण, भुगतान या संग्रह किया जायगा ;

(ग) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्र और रजिस्टर ;

(घ) धारा 7 के अधीन कर का संग्रह करने को ठेके पर देने की रीति ;

(ङ) धारा 9 के अधीन पशु का अभिग्रहण, उसकी अभिरक्षा और उसे छोड़ना;

(च) धारा 13 के अधीन अपील का प्रपत्र और उसे करने की रीति और उस पर देय न्यायालय फ़ीस ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) अधिक वसूल की गयी राशि को वापस करना ;

(झ) बाजार में पशु की बिक्री करने वाले विक्रेता द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसकी भूमि पर बाजार लगे; निर्धारण प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना ;

(ञ) नोटिस और आदेश तामील करने का प्रपत्र और उसकी रीति ;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

पशु का नाम	प्रति पशु की दर
	रु0
1—बकरा/बकरी या भेड़/भेड़ी	3
2—भैंस का बच्चा (नर)	5
3—ऊंट का बच्चा (नर या मादा) .. .	5
4—गाय का बच्चा (मादा)	5
5—सुअर	5
6—भैंस का बच्चा (मादा)	10
7—गाय का बच्चा (नर)	10
8—गधा (नर या मादा)	10
9—गाय	15
10—खच्चर या टट्टू (नर या मादा)	15
11—भैंसा	20
12—घोड़ा या घोड़ी	20
13—ऊंट (नर या मादा)	25
14—भैंस	30
15—बैल या सांड़	30
16—हाथी (नर या मादा)	50

स्पष्टीकरण—"बच्चा" का तात्पर्य पशु के ऐसी उम्र के बच्चे से है जो विहित की जाय।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में काफी संख्या में पशु मेला और पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जहां पर, बड़े पैमान पर पशुओं के विक्रय का संव्यवहार होता है। विकास सम्बन्धी कार्य-कलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसे पशु मेलों या प्रदर्शनियों के क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र के पांच किलोमीटर के भीतर भी पशुओं के विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पशु क्रय-कर लगाया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
पशुपालन मंत्री।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ट 422 पर।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 का कतिपय उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उपान्तर सहित उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1962 का पुनः अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3, 4 और 5 में दिये गये उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है।

दीर्घ शीर्षक का संशोधन

3—मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम"

प्रस्तावना का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना रख दी जायगी, अर्थात् :—

"यह समीचीन है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था की जाय"

धारा 1 का संशोधन।

5—मूल अधिनियम की धारा 1 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और कोष्ठक "(अस्थायी अधिकार)" निकाल दिये जायेंगे ; और

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 पारित किया गया था। उपर्युक्त अधिनियम की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गयी थी और यह अवधि 14 दिसम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली थी। इस बीच राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं हिन्दू धार्मिक संस्था तथा निबन्ध अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम निरसित कर दिया गया था। चूंकि उक्त अध्यादेश को समाप्त होने दिया जा रहा है इसलिय यह समीचीन समझा गया कि उपर्युक्त अधिनियम को पुनः अधिनियमित किया जाय और उसकी अवधि को अल्पावधि के लिये बढ़ाने के बजाय उसे स्थायी किया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरन सिंह,
समाज कल्याण मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 480 पर)

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2—फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे आगे उक्त नियम 56 कहा जायगा) में,—

(i) खण्ड (ग) में, द्वितीय बार आए हुए शब्द "पचास वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंतालीस वर्ष" रख दिए जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ङ) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेन्शन और उपदान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षिता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।";

(iii) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(2) यह समाधान करने के लिए कि क्या किसी सरकारी सेवक से खण्ड (ग) के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक-हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहां पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि—

(क) किसी अवधि से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक की दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप में या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गई थी ; या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय ; या

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर, विचार करना अपवर्जित है।

(2-क) प्रत्येक ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया समझा जायगा।"

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

3—जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उक्त नियम 56 के खण्ड (ग) के अधीन अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आधार पर अविधिमान्य निर्णीत कर दिया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण 2 म निर्दिष्ट किसी बात पर नियुक्ति प्राधिकारी ने विचार किया है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकरण को आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन पर न्यायालय या अधिकरण अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन इस अधिनियम के द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण (2) और (2क) के अनुसार कर सकता है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

फण्डामेन्टल रूल 56 के वर्तमान उपबन्धों के अधीन न्यूनतम आयु, जिस पर कोई सरकारी सेवक स्वेच्छया सेवा-निवृत्त हो सकता है, 50 वर्ष है। यह उचित समझा गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के लिए, जो किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हों, एक समर्थकारी उपबन्ध बनाया जाय, जिससे उन्हें 45 वर्ष या इससे अधिक की आयु पर स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जा सके।

2—अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के नियम पर विचार करते समय सर्वोच्च-न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 310 में सन्निविष्ट सिद्धान्त के केवल एक पहलू को व्यक्त किया गया है जिसके अनुसार सरकारी सेवक सरकार की इच्छा पर अपना पद धारण करता है सर्वोच्च-न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि "समुचित प्राधिकारी पर इस नियम के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय विभिन्न बातों का प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में सरकार की यह राय हो सकती है कि किसी विशिष्ट पद पर उस अधिकारी की अपेक्षा जो उस पर आसीन हो, लोक हित में, कोई अन्य अधिक सक्षम अधिकारी अधिक उपयोगी ढंग से आसीन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस पद पर आसीन अधिकारी अदक्ष न हो, किन्तु समुचित प्राधिकारी उससे अधिक दक्ष अधिकारी को रखना चाहे। ऐसा भी हो सकता है कि लोक-हित में यह अपेक्षित हो कि कतिपय प्रमुख पदों पर असंदिग्ध योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हों इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सभी संगठनों और विशेषरूप से सरकारी संगठनों में काफी संख्या में अनुपयोगी व्यक्ति हैं। लोक-हित में ऐसे व्यक्तियों को अलग करना आवश्यक है।" (भारत संघ बनाम कर्नल जे0 एन0 सिन्हा और अन्य, ए0 आई0 आर0 1971, एस0 सी0 40)। ऐसी सामग्री के सम्बन्ध में, जिसके आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो सकता है कि किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निदेश देना लोक हित में होगा, उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। इस निमित्त उपयुक्त संशोधन द्वारा विधिक स्थिति भी स्पष्ट की जा रही है।

3—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 480 पर)

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के द्वारा या अधीन बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त कुछ विधियों का विस्तार करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 15 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'बिहार विधि' का तात्पर्य किसी बिहार अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ख) 'राज्य विधि' का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची में, सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ग) 'अन्तरित राज्य-क्षेत्र' का तात्पर्य बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 द्वारा बिहार राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्धित राज्य-क्षेत्र से है।

राज्य विधियों का अपनाना

3—(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उपान्तरोंके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन किए गए या दिए गए सभी नियुक्तियों, आदेशों या परिनियत संलेखों का विस्तार, आवश्यक परिवर्तन-सहित, जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं हैं, अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर होगा और उपान्तरित रूप में वह सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) अधिसूचना संख्या 10/राजस्व-1/1-6(1)—72, दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपान्तर सहित) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त बना रहेगा और यह समझा जायगा कि सदैव प्रवृत्त बना रहा है।

(3) अन्य सभी राज्य विधियां, जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है, किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्य क्षेत्रों में नहीं है, उक्त दिनांक से अन्तरित राज्य

क्षेत्रों में, यथास्थिति, विस्तारित या प्रवृत्त होगी और सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त रहेंगी।

(4) सभी बिहार विधियां जिनकी प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व सम्पूर्ण अन्तरित राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में है, ऐसे दिनांक से उस राज्य-क्षेत्र में अपने प्रवर्तन के सम्बन्ध में निरसित हो जायेंगी और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, मानों उन विधियों का निरसन और पुन: अधिनियमन अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उपधारा (1) और (3) के आधार पर विस्तारित या प्रवृत्त तदनुरूप विधियों द्वारा किया गया हो।

वाद, अपील आदि का निस्तारण

4—(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी बिहार विधि के अधीन विचाराधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से, धारा 3 की उपधारा (1) से (3) तक में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किए गए वाद, अपील, आवेदन पत्र या अन्य कार्यवाहियां समझी जायंगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेंगी।

(2) किसी बिहार विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवेदनपत्र या अन्य कार्यवाहियां, जिस पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उपशमित हो जायेंगी।

विधि के लागू करने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5—इस प्रयोजन के लिए कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखत किसी राज्य विधान को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किए बिना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है, जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसको अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो।

कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

6—(1) यदि धारा 3 की उपधारा (4) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह ऐसी कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश को किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्य क्षेत्रों के परिवर्द्धन के दिनांक से पूर्व न हो, पूर्ववर्ती प्रभाव दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नहीं था या निवारण अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29, 1976

7—(1) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा 3(1) देखिये]

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	धारा	उपान्तर की सीमा
1	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण-अधिनियम, 1960	धारा 1 धारा 5	उपधारा (3) निकाल दी जायगी। उपधारा (1) में, शब्द "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" रख दिए जायेंगे।
2	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
3	लैन्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1954	धारा 1 धारा 3	उपधारा (2) निकाल दी जाएगी। निकाल दी जायगी।
4	संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करनेका (बाढ़ सहायक) ऐक्ट, 1948	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायगी।
5	उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी अत्यधिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, 1951	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
6	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 द्वारा निरसित और परिष्कार सहित पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायगी।
7	उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
8	उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
9	यू0पी0 पंचायतराज ऐक्ट, 1947	धारा 1	उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:— "(3) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	धारा	उपान्तर की सीमा
			अन्तरित राज्य क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित अन्तरित राज्य क्षत्र के सम्बन्ध में यह ऐसे परिष्कारों के अधीन रहत हुए, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।"
10	उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963	धारा 1	उपधारा (2) निकाल दी जायगी।
		धारा 5	निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात् :— "स्पष्टीकरण—अन्तरित राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित है, 'मौरूसी दर' का तात्पर्य उक्त राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम के लागू करने के पूर्व लगान की विद्यमान दर से है जिसे ऐसी रीति से सुनिश्चित किया जायगा जैसी विहित की जाय।"
		धारा 7	उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:— "प्रतिबन्ध यह है कि 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष के सम्बन्ध में नियत दिनांक के प्रति निर्देश का अर्थ उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से दो मास की अवधि की समाप्ति के दिनांक के प्रति निर्देश है।"
11	उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की (अनुसूची 3 की सूची 2 के साथ पठित) धारा 339 द्वारा यथासंशोधित यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच स्थायी सीमा निधारित की जा चुकी है। ऐसे सीमा निर्धारण के फलस्वरूप बिहार के कुछ राज्य क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की कुछ विधियां अभी भी अन्तरित क्षेत्रों पर लागू हैं।

2—सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त विधियों में एकरूपता लाने और भविष्य में कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से यह व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया कि बिहार राज्य की विधियों का इस राज्य को अन्तरित क्षेत्रों पर लागू होना समाप्त हो जाय और ऐसे क्षेत्रों पर भी इस राज्य की सभी विधियां लागू की जायं।

3—17 मार्च, 1972 से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के उपबन्ध, कतिपय उपान्तर सहित, उक्त अधिनियम की धारा 2-क के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा उक्त राज्य-क्षेत्रों पर लागू किए गए हैं, किन्तु उक्त उपान्तर केवल दो वर्ष के लिए था और उनको पूर्ववत् रखना आवश्यक था। अतएव, अध्यादेश में यह उपबन्धित कर दिया गया है कि ऐसे उपान्तर तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि विधि द्वारा उन्हें निरस्त न कर दिया जाय।

4—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त उपबन्धों को तत्काल लागू करना आवश्यक था जिससे कि न्यायालयों में अविनिश्चित मामलों और विचाराधीन अपीलों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके, इसलिए 18 सितम्बर, 1976 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया था।

5—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 480 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 में नई धारा 26-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, और 25 जून, 1976 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

"26-क—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाए जाने के लिए अर्ह है और किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना-पत्र देता है, तो यह समझा जायगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उक्त व्यक्ति के सदस्य बनाए जाने के दिनांक के पश्चात् किसी समय यह पता लगे कि सम्बद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वत: या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाय, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिए गए आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जाएगा।"

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में—

(एक) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 25 जून, 1976 से निकाला गया समझा जायगा।

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, और 16 फरवरी, 1976 से रखी गयी समझी जायगी :—

"(4) (क)—जहां किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है अथवा नहीं हो सका वहां इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रबन्ध कमेटी ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर, विद्यमान नहीं रह जाएगी।

(ख) निबन्धक, ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक समिति के कार्यकलापों का, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा और निबन्धक को समय-समय पर प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक समिति का, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध कमेटी के केवल साम्प्रतिक कर्त्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण:—जहां वहिर्गामी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किए गए हों या घोषित न किए जा सके हों, वहां यह समझा जायगा कि इस उपधारा के अर्थान्तर्गत कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है।"

(तीन) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, और 16 फरवरी, 1976 से रखी गयी समझी जाएगी अर्थात:—

"(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति का प्रबन्ध उससे प्राप्त करने के लिये, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण:—उपधारा (4) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी।"

(चार) उपधारा (7) निकाल दी जायगी और 16 फरवरी, 1976 से निकाल दी गई समझी जायगी।

धारा 34 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के आरम्भ में आगे हुए शब्द "अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि" के स्थान पर शब्द "अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी" रख दिए जायेंगे और 17 जनवरी, 1972 से रखे गए समझे जायंगे।

नए अध्याय 11-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम के अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जायगा और 28 अगस्त, 1976 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"अध्याय 11-क"

बीमाकृत सहकारी बैंक

निर्वचन

90-क—इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है। ऐक्ट संख्या 47, 1961

90-ख—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात् :— बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध

(एक) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(दो) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13-डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायगा।

(तीन) यदि रिजर्व बैंक की यह राय हो कि लोक हित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए, जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तद्नुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश धारा 35 के अधीन दिए गए हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

(चार) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35-क की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तद्नुसार आदेश देगा, और धारा 35-क के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश उस धारा के अधीन दिया गया हो।

(पांच) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर ऐसे बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

(छः) यथास्थिति परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।"

6—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश के होते हुए भी:— वैधीकरण

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 29

की उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया या दिए जाने के लिए तात्पर्यित कोई आदेश उसी प्रकार विधिमान्य समझा जायगा मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपधारा में किए गए संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(2) निबन्धक इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार कोई ऐसा नया आदेश देसकता है जिसे वह उचित समझे।

(3) राज्य सरकार के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 34 के अधीन किया गया या किए जाने के लिए किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति का नाम-निर्देशन, विधिमान्यत: किया गया समझा जायगा मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त धारा में किया गया संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

नियम 445 का परिणामी संशोधन

7—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 445 में प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 16 फरवरी, 1976 से निकाला गया समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1976 तथा संख्या 27, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 की उपधारा (4) के अनुसार, यदि कोई सहकारी समिति पदावरोही प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल हो, तो निबन्धक जब तक कि कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न हो जाय समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति के निमित्त एक प्रशासक नियुक्त करेगी। चूंकि इस उपबन्ध को कार्यान्वित करन में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव किया गया था इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) का इस प्रकार संशोधन किया जाय जिससे कि यह व्यवस्था हो सके कि यदि कमेटी ने किसी कारण से, निर्धारित अवधि के पूर्व, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया है तो निबन्धक एक प्रशासक नियुक्त करेगा।

2—अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन प्रशासक द्वारा निर्वाचन कराने के लिये पांच मास की अवधि निर्धारित की गयी थी। प्रशासक के लिए उक्त अवधि में निर्वाचन कराना सम्भव नहीं हो सका। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि निर्वाचन कराने की अवधि को पांच मास से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया जाय।

3—किसानों को प्रारम्भिक कृषि उधार समितियों से ऋण सुविधायें शीघ्र देने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि उक्त समितियों की सदस्यता व्यापक बना दी जाय।

4—डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1961 के अधीन डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन किसी बैंक में जमा की गयी धनराशि का बीमा करने के लिये अधिकृत है.यदि ऐसा बैंक उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन कोई पात्र बैंक है। डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन इस प्रयोजन के लिए प्रीमियम लेता है। सहकारी बैंकों को "पात्र सहकारी बैंकों" की परिभाषा के अन्तर्गत लाने और उन्हें जमा बीमा योजना का लाभ देने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को तद्नुसार संशोधित किया जाय।

5—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल ने दिनांक 25 जून, 1976 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 और दिनांक 28 अगस्त, 1976 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादश, 1976 प्रख्यापित किया। वर्तमान विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है।

6—उक्त अधिनियम की धारा 29 और 34 को स्पष्ट करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया गया है।

शान्ति प्रपन्न शर्मा,
सहकारिता मन्त्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 480 पर)

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना

1—(1) यह अधिनियम प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो 14 जुलाई, 1976 के ठीक पूर्व विचाराधीन हों।

अधिनियम संख्या 5, 1920 की धारा 31 का संशोधन

2—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) शब्द "प्रतिसंहृत या नवीकृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत, उपान्तरित या नवीकृत" रख दिए जायेंगे ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि कोई संरक्षण आदेश धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऋण पर लागू न होगा।"

(ख) उपधारा (3) में, परन्तुक में, शब्द "प्रतिसंहृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत या उपान्तरित" रख दिए जायेंगे।

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में खन्ड (घ) के स्थान पर निम्निलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"(घ) भरण-पोषण के लिए किसी करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पारित भरण-पोषण के लिए किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई दायित्व ; या

(ङ) कोई ऋण या दायित्व जिसके सम्बन्ध में देय धनराशि उत्तर प्रदेश लोक धन के (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूली योग्य है।"

निरसन और अपवाद

4—(1) प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही, इस प्रकार समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 31 के अधीन किसी व्यक्ति के दिवालिया घोषित किए जाने के पश्चात् न्यायालय उसकी याचिका पर उसे कतिपय श्रेणी के ऋणों के सम्बन्ध में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान कर सकता है। सरकारी देयों तथा भू-राजस्व के रूप में वसूली के योग्य अन्य देयों की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में उल्लिखित ऋणों और दायित्वों के सम्बन्ध में यह संरक्षण आदेश उपलब्ध न हो, इस उद्देश्य से धारा 31 में यह संशोधन प्रस्तावित है कि कोई संरक्षण आदेश धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऋण पर लागू न होगा। संरक्षण आदेश में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार भी न्यायालय को देने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित है।

2—इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 44 (1) में उन ऋणों और दायित्वों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में दिवालिए को, उन्मोचन आदेश प्राप्त होने पर भी दायित्व से निर्मुक्ति नहीं होती। यह आवश्यक समझा गया कि सरकारी व पब्लिक सेक्टर निगमों के देयों को जिनकी वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकती है तथा भरण-पोषण सम्बन्धी किसी करार के अधीन या किसी भी विधि के अधीन पारित भरण-पोषण के लिए डिक्री या आदेश के अधीन कोई दायित्व भी उसी श्रेणी में सम्मिलित कर लिए जायं जिनके विषय में दिवालिए को उन्मोचन आदेश प्राप्त होने पर भी दायित्व से निर्मुक्ति नहीं मिलती।

3—तद्नुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 31 तथा 44 में संशोधन किया जा रहा है।

4—उपरोक्त संशोधनों के लिए प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976, दिनांक 14 जुलाई, 1976 को प्रख्यापित किया गया था जिस प्रस्तुत विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

प्रभुनारायण सिंह,
न्याय मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 482 पर)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण की तथा सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(1) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(1-क) 'मुख्य निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है और इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित हैं ;"

(2) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(13-क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के सम्बन्ध में 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो ;"

नये अध्याय 1-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम के अध्याय 1 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अध्याय 1-क

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्टर

4-क—मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जायगा जैसा नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्ग की दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

रजिस्ट्रीकरण

4-ख—(1) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर या उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए मुख्य निरीक्षक को आवेदन-पत्र देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गयी है, धारा 4-क के अधीन रखे गए रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि और उसका नवीकरण

4-ग—धारा 4-ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, विधिमान्य होगा और इस निमित्ति आवेदन-पत्र और नियत फीस देने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा उसका समय-समय पर ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, नवीनीकरण किया जा सकेगा।

जिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति

4-घ—जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द 'नियम बना सकती है' के स्थान पर शब्द 'अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है' रख दिए जायेंगे ;

(2) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे ; अर्थात् :—

"(ख-1) अध्याय 1-क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ख-2) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस ;

(ख-3) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र;"

(3) उपधारा (4), निकाल दी जायगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 24, 1976

5—(1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

उद्देश्य और कारण

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, के पास कोई ऐसी सूचनायें नहीं रहती थीं, जिससे ज्ञात हो सके कि प्रदेश में कितनी दूकानें व वाणिज्य अधिष्ठान हैं, उनके मालिक कौन हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी सेवायोजित हैं। यह आवश्यक समझा गया है कि इस प्रकार का विवरण उपलब्ध रहना चाहिए ताकि उपर्युक्त अधिनियम का, जो दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में सेवायोजित कर्मचारियों के कार्य एवं सेवायोजन की दशाओं के विनियमन के उद्देश्य से लागू किया गया है, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके। इस हेतु दूकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था अपेक्षित थी परन्तु अधिनियम में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं था। अत: यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम को संशोधित कर दूकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के अनिवार्य पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क लगान की व्यवस्था की जाय। चूंकि विधान मन्डल सत्र में नहीं था अत: राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (उ0 प्र0 अध्यादेश, सं0 24, 1976) दिनांक 6 अगस्त, 1976 को प्रख्यापित किया गया।

2—तद्नुसार यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर: स्थापित किया जा रहा है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
श्रम मन्त्री।

पी0एस0यू0पी0एल0 218 वि0 सभा—(499)—1977—8401